“उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का योगदान : जौनपुर जनपद के विशेष सन्दर्भ में”

वाणिज्य में
डी० फिल० उपाधि हेतु
प्रस्तुत शोध ग्रन्थ

द्वारा

विनोद कुमार पाण्डेय
शोध छात्र

निर्देशक

डॉ० प्रदीप जैन
उपाचार्य

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

2001

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन

इस परिवर्तनशील ससार मे परिवर्तन तो अवश्यंभावी प्रक्रिया है जो निरन्तर होती रहती है, परन्तु परिवर्तन की गति भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रो मे यह इतनी तीव्र गति से होती है कि समय की सीमाओ को लाघ जाती है, तो कही इतनी धीमी गति से होती है कि लगता है कि वक्त ही ठहर सा गया हो।

बैकिंग व्यवस्था भी इसी प्रकार इतनी तीव्र गति से बदल रही है कि बैकिग का स्वरूप ही परिवर्तित होता जा रहा है। परन्तु बैंकिग के क्षेत्र मे ग्रामीण बैकिग की गति को वह दिशा व गति नही मिल पाई है जिसकी ग्रामीण क्षेत्र को आवश्यकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने ग्रामीण विकास मे नि सन्देह उल्लेखनीय कार्य किया है परन्तु कृषि पर बढते दबाव के प्रति हमें समय रहते ही सचेत होना होगा। कृषको को उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र एव कीटनाशक दवाइयॉ खरीदने, मजदूरी और लगान का भुगतान करने, भूमि मे आधारिक सुधार करने, पुराने ऋणों को समाप्त करने आदि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोत ग्रामीण आवश्यकताओ के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि वित्त की समुचित व्यवस्था कर दी जाय तो ग्रामीण क्षेत्र तीव्र गति से विकसित हो सकेंगें और देश के आर्थिक विकास मे सहायक होगे।

सम्पूर्ण देश का आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि निचले स्तर से विकास योजनाए बनायी जाये। इस शोध कार्य का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के योगदान का अध्ययन करना और ऐसे प्रभावशाली सुझाव देना है, जिससे यह ग्रामीण बैक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे पूर्ण योगदान देकर विकास के लक्ष्य को पूरा करा दे।

इस शोध ग्रन्थ को नौ अध्यायो मे विभाजित किया गया है और प्रत्येक अध्याय में गहन एव आलोचनात्मक अध्ययन करके ऐसे प्रभावशाली तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की दोषपूर्ण वित्तीय व्यवस्था सुदृढ हो सके। इसका प्रथम अध्याय प्रस्तावना है। इस अध्याय मे विकास का अर्थ, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एव राजनैतिक परिवर्तन तथा भारत मे बैकिग विकास और परिकल्पना तथा शोध विधि, अध्ययन क्षेत्र एवं शोध की सीमाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

दूसरा अध्याय उत्तर प्रदेश का परिदृश्य है। इस अध्याय मे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक, सामाजिक एव आर्थिक परिदृश्य का परिचय कराया गया है। तृतीय अध्याय मे भारत मे बैकिग प्रणाली के विकास का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है तथा अनुसूचित व्यवसायिक बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

चतुर्थ अध्याय ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत का है जिसके अन्तर्गत कृषि एव गैर कृषि वित्तीय आवश्यकता एव प्रकार तथा कृषि वित्त के विभिन्न स्रोतो का वर्णन किया गया है। पचम अध्याय भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैक से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, उद्देश्य तथा कार्य, जमाओ तथा अग्रिमो का विस्तृत अवलोकन किया गया है।

षष्टम अध्याय उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित है। इसमे उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थापना, उद्देश्य, कार्य, जमाओं तथा अग्रिमो का वर्णन किया गया है। सप्तम अध्याय जनपद–जौनपुर का परिदृश्य है। इसके अन्तर्गत जनपद की ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक समीक्षा को मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया गया है तथा जनपद से सम्बन्धित जनसंख्या, रोजगार एव वित्तीय आकडों को दर्शाया गया है।

अष्ठम् अध्याय जनपद जौनपुर के विकास मे गोमती ग्रामीण बैक का योगदान से सम्बन्धित है जो इस शोध अध्ययन का मूल बिन्दु है। इस अध्याय मे गोमती ग्रामीण बैक द्वारा जनपद जौनपुर के विभिन्न क्षेत्रो मे विकास हेतु उपलब्ध कराये गये वित्त का विस्तृत वर्णन किया गया है। अन्तिम अध्याय मे निष्कर्ष एव सुझाव जो गहन सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञात हुए है को प्रस्तुत किया गया है।

मै सर्वप्रथम अपने ***शोध निर्देशक मृदुभाषी डॉ. प्रदीप जैन उपाचार्य वाणिज्य एवं प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद*** के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिनके अमूल्य निर्देशन, दुर्लभ स्नेहशीलता, सहयोग एव प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही मै अपने इस कार्य को पूर्ण कर सका।

मै वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग के प्रो पी.सी. शर्मा का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने विषम परिस्थितियो मे मार्गदर्शन करते हुए शोधकार्य शीघ्र सम्पन्न करने हेतु मेरा अदम्भ उत्साह वर्द्धन किया।

मै डा जगदीश नारायण मिश्रा उपाचार्य वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होने सदैव अपने आर्शीवचनो से अभिसिचित कर मुझे इस दिशा में आगे बढने की प्रेरणा दी।

मै आदरणीय प्रो एस.पी सिह, प्रो. के.एम. शर्मा, प्रो रमेन्दु राय, प्रो. एस ए अन्सारी, डा एस एम जेड खुर्शीद एव अन्य समस्त गुरूजनों का आभारी हूँ जिन्होने समय समय पर आवश्यकतानुसार मुझे सहयोग प्रदान किया।

मै श्री सी बी मिश्रा शाखा प्रबन्धक गोमती ग्रामीण बैंक मडियाहूँ का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिनसे मुझे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के योगदान से सम्बन्धित विषय पर शोध कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। मै बैंक के अध्यक्ष तथा अन्य शाखा प्रबन्धको एवं अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिन्होने विभिन्न प्रकार से मुझे सहयोग प्रदान किया है।

मै अपने शोध सहपाठी डा श्याम कृष्ण पाण्डेय एव राजेन्द्र कुमार मिश्र का भी आभारी हूँ जिन्होने शोध कार्य के सन्दर्भ मे मुझे अमूल्य समय एव सहयोग प्रदान कर सहायता की है।

मै अपने पूज्यनीय माता एव पिता जी के श्री चरणो मे अपना कोटिश प्रणाम अर्पित करता हूँ जिनके आशीर्वचन से मै यह कार्य पूर्ण कर सका।

अन्त मे मै आइडियल कम्प्यूटर प्वाइट के विशाल वाजपेयी, बिशेशवर श्रीवास्तव एव रूपेश वर्मा को शोध ग्रन्थ को इतने सुन्दर ढग से व समय पर मुद्रित करने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सहयोग से ही मै इसे समय पर प्रस्तुत कर सका।

Vinod Kumar Pandey

5-02-2001

(विनोद कुमार पाण्डेय)

वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

अध्याय - 1

प्रस्तावना
अध्ययन क्षेत्र
परिकल्पना
शोध विधि एवं सीमाएँ

अध्याय-1

प्रस्तावना

विकास का अर्थ

विकास लुभावना और आकर्षक शब्द है जो सुखद अनुभुति का बोध कराता है। विकास की प्रक्रिया अनवरत है जहॉ विकास क्रम की गति अवरुद्व भी होती है जो प्रभाव की स्थिति का परिचायक है। विकास केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नही होता। विकास की गति व प्रभाव को विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाए व परिवर्तन जैसे सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक घटक समग्र रुप मे निर्धारित करते है। लेकिन सभी घटको मे सबसे महत्वपूर्ण घटक आर्थिक होता है। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद हर क्षेत्र मे परिवर्तन होने लगता है। उनको केवल सही मार्ग दर्शन की आवश्यकता होती है। अलग से कोई प्रयास नही करना पड़ता है।

स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय समाज में नवचेतना आयी तथा व्यक्तियो मे जो समर्पण भाव था वह आजादी के बाद आकाक्षाओ और अपेक्षाओ मे बदल गया। सभी व्यक्तियों ने अपने सपनों को साकार करने का अवसर व साधन चाहा। केवल जागरुक और शिक्षित वर्ग ही नही बल्कि अनपढ ग्रामीण वर्ग भी आजादी से उत्पन्न लाभो के लिए लालायित था तथा रुढिवादी जजीरो मे जकडे, सामन्ती अर्थव्यवस्था से पीड़ित ग्रामीणो ने भी विकास की किरणे आजादी के रुप मे देखी। राष्ट्र निर्माताओ ने योजनाबद्ध विकास की नयी नीति पचवर्षीय योजनाओ के रुप मे उनके कार्यान्वयन का वीणा उठाया और यह विकास क्रम निरंन्तर आगे बढता रहा। विकास का लाभ किसे अधिक मिला और किसे कम यह विवाद का विषय है। किन्तु यह

निश्चित रुप से सत्य है कि विकास का क्रम निरन्तर आगे बढता रहा है। इसके साक्षी चतुर्दिक विकास के परिणाम है जो जीवन के हर क्षेत्र मे लक्षित हो रहे है। इन परिवर्तनो की चर्चा ग्राम विकास के परिप्रेक्ष्य मे हम निम्न आधारो पर कर सकते है

आर्थिक परिर्वतन

आजादी के बाद 50 वर्षो मे ग्रामीण जीवन मे आमूल चूल परिवर्तन हुआ है।यह परिवर्तन हर क्षेत्र आवास, खान–पान, वेषभूषा और रहन–सहन के स्तर मे हुए है। गुड और नमक मिर्चा से रोटी खाने वाला आम ग्रामीण अब डबल रोटी व चाय अपना सका है। नीम की दातुन की जगह टुथ पेस्ट एव ब्रश का प्रयोग करने लगा है। आज पीतल, कॉसे या एल्युमिनियम के बर्तन के स्थान पर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट का प्रयोग गॉवो मे अवश्य ही मिल जायेगा। आजकल गॉव मे भी डायनिग टेबल, कुर्सी, सोफा, और टी वी फ्रीज आदि होना आम बात हो गयी है। गॉवो मे भी छप्पर झोपडी के स्थान पर पक्के मकान तथा मोटर साइकिल, जीपे आदि दैनिक जीवन के अंग बन गये है। वस्त्रो मे भी परिवर्तन आ गया है। पैट–शर्ट, टाई–शूट, बूट, टी–शर्ट, सलवार–कमीज, मिडी टाप, लहंगा, चुनरी आदि रग विरगे प्रचलित हो गयी है। सौन्दर्य प्रसाधन भी गॉवो से दूर नही है। क्रीम, पावडर, कंघे, विन्दि गॉवो की महिलाओ तक पहुॅच गयी है। गैस चुल्हा, जूता, सिगरेट, पान–पराग आदि असानी से उपलब्ध है। गॉवो मे लगने वाले मेलो मे अब परम्परागत बिसाती के समान की बिक्री नही होती। तडक–भडक की हर चीज वहॉ सहज उपलब्ध हो जाती है क्योकि वहॉ उसका बाजार बन चुका है और खरीददार उपलब्ध है।

सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन

किसी भी सामाजिक ढॉचे मे परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। लोग किसी भी नवीन परिवर्तन को असानी से स्वीकार नही करते है। लेकिन कतिपय परिवर्तन ऐसे होते है जो मूल मान्यताओ के साथ ही क्रमिक रुप से स्वीकृति प्राप्त कर लेते है। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थापित सयुक्त परिवार प्रथा अब क्षीण होने लगी है। नये वस्त्र विन्यास के प्रचलन के साथ ही पर्दा प्रथा लुप्त होती जा रही है। सह–शिक्षा के प्रसार के फलस्वरुप महिला व पुरुष वर्ग मे विचार–चेतना का स्तर बदल रहा है। वैवाहिक व अन्य समारोह मे फिजुल खर्चो और दिखावे के स्थान पर सरल आयोजनो का प्रारम्भ भी हुआ है। समूह चितन के स्थान पर व्यक्तिगत चितन की प्रवृति निरन्तर बढ रही है। नैतिक मूल्यो मे ह्रास और बढती हुई उच्छखल प्रवृति की भी शिकायत कम नही है। मिल बैठकर सुलझा लिये जाने वाले विवाद भी अब कोर्ट कचेहरियो मे ज्यादा जाने लगे है। सास्कृतिक मान्यताओ मे भी बदलाव आया है। अब रेडियो और दूरदर्शन के विस्तार ने सभी मान्यताओ मे बदलाव की प्रक्रिया शुरु कर दी है। परपरागत धार्मिक मान्यताओ मे परिवर्तन आने लगा है। क्लब, जलपानगृह और सिनेमा जैसी जगहो पर छुआछूत का भेद नही रखा जा सकता है अत यह बदलाव भी कम महत्वपूर्ण नही है चाहे परिस्थितिक मजबूरियो के कारण ऐसा हो रहा है। विवाह व अन्य मागलिक समाराहो मे परम्परागत लोक गीतो और नृत्यो के स्थान पर फिल्मी सस्कृति से प्रेरित नाच गाने और डिस्को लोकप्रिय होते जा रहे है। यात्रा की वृत्ति मे भी वृद्वि हो रही है।

परिवर्तन की दशा समान नही यह विसगतिपूर्ण है किन्तु परिर्वतन तो है ही। सदियो की जडता के टूटने का चिहन तो दृष्टिगोचर हो ही रहा है। एक नयी सास्कृतिक क्रान्ति का विचार–बोध मूर्त रुप लेता जा रहा है। कम्पयूटर क्रान्ति और 21वी सदी के सूर्योदय ने स्वर्णिम भविष्य के सपनो ने विचार प्रवाह को नयी दिशा प्रदान की है।

शैक्षणिक परिवर्तन

शिक्षा की उपयोगिता और उससे जुडे इतर प्रश्नो को यदि छोड दिया जाय तो शिक्षा का प्रसार सभी क्षेत्रो मे हुआ है। जैसा कि निम्नलिखित आकडो से विदित होता है

तलिका 1 1

देश मे शैक्षिणक सस्थाओ की स्थिति/प्रगति

	शिक्षा सस्था	1951	1961	1971	1981	1991
1	प्राथमिक विद्यालय	209671	330399	408378	494503	558392
2	उच्च प्राथमिक	13596	49663	90621	118335	146636
3	माध्यमिक विद्यालय	7416	17329	37051	51624	78619
4	महाविद्यालय	370	967	2285	3421	4862
5	व्यवसायिक शिक्षण सस्था	208	852	992	1156	886
6	विश्वविद्यालय	27	45	82	110	146
7	चिकित्सा महाविद्यालय	28	60	98	106	128
8	डॉक्टरो की सख्या	61840	83756	151129	267812	399068

स्रोत - विकास मान बैकिग और ग्रामीण विकास श्याम लाल गौड पेज न 3

उपर्युक्त आकडो से शैक्षणिक परिवर्तन का ज्ञान होता है। उच्च तकनीकी क्षेत्र मे भारत विश्व के गिने चुने कुछ देशो मे होने का गौरव रखता है। शिक्षा के विकास से जहॉ पर चारो तरफ परिवर्तन हुआ है वही पर शिक्षित बेरोजगारी ने इस वर्ग को कुन्ठाए दी है। ग्रामीण क्षेत्रो से शहरी क्षेत्रो मे पलायन की गति भी बढी है। किन्तु एक जागरुक नागरिक का हक भी शिक्षा ने आम आदमी को दिलाया है।

राजनैतिक परिवर्तन

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है। भारतीय जनमानस मे न केवल राजनैतिक जागरुकता आयी है बल्कि भारतीय जन–मानस ने चुनावो के समय अपने परिपक्व राजनैतिक दर्शन का भी परिचय दिया है। सकट की घडी मे अभूतपूर्व एकता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा वदनीय गुण है जो समय–समय पर भारतीय परिप्रेक्ष्य मे उजागर हुआ है। क्षेत्रवाद जातिवाद और प्रदेशवाद जैसी सकीर्ण विचार–धारा के रहते हुए भी आदमी मे सोच की नयी पद्धति विकसित हुई है जो भविष्य के प्रति आश्वस्त करती है।

इधर कुछ दिनो से देश मे बढती हिसक घटनाओ और पनपते आतकवाद ने राजनैतिक नेतृत्व के सामने नये–नये प्रश्न चिन्ह उपस्थित किये है। ऐसी घटनाएँ किसी भी राष्ट्र की जीवन धारा मे यदि निरन्तर पनपती रही तो विघटनकारी तत्वो को सिर उठाने का मौका मिलेगा और देश विकास के मार्ग से हटकर गृहकलह जैसी घातक प्रवृत्तियो की ओर अग्रसर होने लगेगा राजनैतिक नेतृत्व के सामने इन प्रवृत्तियो पर अकुश लगाकर राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्य बनाये रखने जैसा चुनौतीपूर्ण दायित्व भी समय प्रवाह ने डाल दिया है। वास्तव मे हर परिवर्तन के मूल मे आर्थिक विकास होता है अत उक्त सभी परिवर्तनो मे आर्थिक विकास की कहानी सन्निहित है। यह आर्थिक विकास सभी क्षेत्रो मे हुआ है। उद्योग, व्यापार कृषि खनिज दोहन, सैन्य, सयोजन यातायात जल साधन जैसे सभी क्षेत्र जो अर्थतत्र मे महत्वपूर्ण स्थान रखते है विकास गगा से लाभान्वित हुए है। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य मे विकास का प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण विकास हमारे अध्ययन का मूल विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था वस्तुत गॉवो की समृद्धि पर ही आधारित रही है और इस स्थिति मे विशेष परिवर्तन आया भी नही है। ग्रामीण विकास से एक सहज अभिप्राय जो लगाया जाता है वह है कृषि का विकास। ग्रामीण विकास के विभिन्न घटको की प्रगति का विस्तृत वर्णन अन्य अध्यायो मे किया गया है।

ग्रामीण विकास समग्र विकास की प्रक्रिया का ही एक अग है इसे एकाकी अथवा एकागी रुप मे नही देखा जा सकता। जैसा कि सर्वविदित है विकास का आधार है साधन—आर्थिक ससाधन। ये आर्थिक ससाधन विभिन्न स्रोतो से उपलब्ध है किन्तु वर्तमान सदर्भो मे बैक सस्थागत वित्त विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन और सस्थागत वित्त की मुख्य इकाई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का ग्रामीण विकास मे क्या योगदान रहा है इसी के क्रमिक विकास व योगदान का अध्ययन इस शोध का मुख्य विषय है।

भारत में विकासमान बैकिंग

विश्व प्रतिमानो के अनुसार यह एक धारणा सी बन गयी है कि औद्योगिक विकास से जुडे हुए बैकर्स या जो शिखर स्तर पर पुनर्वित्त प्रदान करते हो वे ही विकासमान बैकर की श्रेणी मे आते है। वस्तुत ऐसा नही है। ये बडे—बडे सस्थागत वित्तीय सगठन तो विकासमान बैकर की श्रेणी मे आ ही जायेगे लेकिन व्यावसायिक बैक या ग्रामीण बैक भी विकासमान बैकर के रूप मे देखे जा सकते है। भारतीय सदर्भ मे तो सचमुच ही व्यावसायिक बैको की छोटी—छोटी शाखाए विकासमान बैकर की भूमिका बहुत सफलतापूर्वक अदा कर रही है। ग्रामीण बैक तो सच्चे अर्थो मे विकास मान बैकर है। भारत मे ग्रीमण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व केन्द्रीय बैक के पास प्रारम्भ से ही रहा है। जो किसी भी राष्ट्र के मुकाबले विशिष्ट पहचान है। भारतीय रिजर्व बैक ने एक पितृ सगठन के रूप मे अनेक नई व महत्वपूर्ण वित्तीय सस्थाओ की रचना की है वे पहले भारतीय रिजर्व बैक के कार्यक्षेत्र के ही अन्तर्गत थी। भारतीय आद्यौगिक विकास बैक भारतीय लघु—उद्योग विकास बैक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक भारतीय यूनिट ट्रस्ट राष्ट्रीय आवास बैक आयात निर्यात बैक ऐसी ही कुछ प्रमुख विकासमान बैकिग सस्थाओ के नाम है जिनका जनक भारतीय रिजर्व बैक ही रहा है और ये सब आज विकासमान बैकिग के रूप मे स्थापित एव प्रमुख वित्तिय सस्थाये है।

हमारे शोध का मूल विषय ग्रामीण विकास मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की भूमिका है। अत इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से सम्बन्धित समस्त बातो का अध्ययन करके विस्तार पूर्वक विवेचना की गयी है।

भारत मे बैकिग विकास का सक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। सन् 1935 मे भारत मे बैको की शाखाओ की सख्या 946 थी जिसमे से 160 शाखाए इम्पीरियल बैक की तथा शेष अन्य बैको की थी। उस समय लगभग प्रति तीन लाख की जनसख्या के लिए एक बैक कार्यालय था जो कि पर्याप्त नही था। उस समय देशी बैक और महाजन ही बैकिग का प्रमुख कार्य करते थे। जमा राशियॉ प्राप्त करना हुडियो को भुनाना वित्त प्रदान करना तथा प्रेषणो के क्रय और विक्रय के माध्यम से सामान्य बैकिग सुविधाएँ प्रदान करना था। देशी बैकरो के अग्रिम जमानत के आधार पर होते थे तथा ब्याज दरे उच्चतर होती थी। महाजन आमतौर पर जमा राशियॉ प्राप्त नही करते थे और मुख्य रुप से अनुत्पादक व्यय के लिए वित्त प्रदान करते थे। सामान्यत बैकिग सेवाए देश के किसी भी भाग मे पर्याप्त नही थी। भारतीय रिजर्व बैक 1935 मे बना। हिल्टन यग आयोग ने सिफारिश की थी कि मुद्रा और ऋण के नियन्त्रण के लिए कार्यो का द्वि भागीकरण और उत्तरदायित्व का विभाजन समाप्त होना चाहिए।[1] चौथे दशक के अतिम वर्षो मे रिजर्व बैक ने कुछ मुख्य कार्य हाथ मे लिए जिनमे से एक था उत्कृष्ट और पर्याप्त एव ऋण विन्यास को आधुनिक ढग से निर्मित करना। इस प्रयोजन से बैको के पर्यवेक्षण और नियत्रण हेतु बैकिग कम्पनीज अधिनियम 1949 (1965 मे जिसका नाम बैकिग विनिमय अधिनियम के रुप मे हुआ) के अर्न्तगत रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया को व्यापक अधिकार सौपे गये। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान बैको द्वारा न्यूनतम साविधिक चल निधि और न्यूनतम नकद प्रारक्षित निधि रखने बैकिग कम्पनियो के निरीक्षण और पर्यवेक्षण तथा अतिम लेखा प्रस्तुत करने से सबन्धित है। इस अधिनियम मे 1949 और

---

1 भारतीय रिजर्व बैक बुलेटिन जनवरी 1989 पृष्ठ 19

1965 के बीच किये गये मुख्य सशोधन समापन प्रक्रिया भारतीय बैको के कार्यालय विदेशो मे खोलने तथा नीति सबन्धी मामलो के बारे मे बैको को निर्देश जारी करने का अधिकार रिजर्व बैक को देने से सबन्धित है जो बैकिग कारोबार को गैर बैकिग कारोबार से मिलाने पर निषेध का पालन नही कर सके अथवा गैर अनुसूचित व्यवसायिक बैक न्यूनतम पूँजी अपेक्षाओ से सम्बन्धित मानदडो के अनुरुप खरे नही उतरे ऐसे बहुत से बैको को रिजर्व बैक ने बद करवा दिया। अन्य अनेक बैक मिला दिये गये। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरुप बैको की कुल सख्या दिसम्बर1947 की 640 से घटकर दिसम्बर 1957 मे 389 रह गयी।[1]

कृषि वित्त की समस्या वाणिज्य और उद्योग के लिए वित्त की समस्या से भिन्न है। वाणिज्य और उद्योग अपेक्षाकृत सगठित व्यवसाय है और इनकी वित्त की माग उत्पादक कार्यो के लिए ही होती है। यही कारण है कि इनकी वित्त की माग को पूरा करने के लिए बहुत पहले ही विभिन्न देशो मे बैको और आद्योगिक वित्त की विशिष्ट सस्थाओ का विकास हुआ है। कृषि अपेक्षाकृत असगठित व्यवसाय है। इसकी सफलता या असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर होती है इसके अलावा किसानो द्वारा लिये जाने वाले ऋणो मे स्पष्ट रुप से उत्पादक और अनुत्पादक मे भेद कर पाना आसान नही होता। इसलिए बैको ने खेती के लिए या उससे सम्बन्धित दूसरे कार्यो के लिए ऋण देने मे प्राय दिलचस्पी नही दिखाई और लम्बे अर्से तक किसान ऋण के लिए मुख्य रुप से साहूकार और महाजनो पर निर्भर रहे है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वतन्त्रता के समय भारत एक ऐसे देश की श्रेणी मे था जहॉ पर अधकार बीमारी बेरोजगार एव आलसी लोग रहते थे। यहॉ के लोगो को अपना जीवन स्तर सुधारने की न उमग थी न पर्याप्त साधन। भारतीय गॉवो की पहचान थी सूखी नदियॉ अधनगे एव भूखे बच्चे व स्त्रियॉ उजडे खेत आदि। आजादी के बाद भारत की प्रमुख समस्या

---

1 भारतीय रिजर्व बैक बुलेटिन जनवरी 1989 पृष्ठ 18–19

अपने करोड़ो निवासियो की मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति और जीवन स्तर को ऊँचा उठाना था। सन 1957 मे भारत के रिजर्व बैक के गवर्नर श्री आयगर ने कहा था कि पिछले चालीस वर्ष की अवधि के दौरान गरीबी अपने उच्च शिखर पर बनी रही और लोग उन्ही आदि कालीन दशाओ मे बने रहे जिनमे उनके पूर्वज रहते थे ।

यही तथ्य भारतीय उपमहाद्वीप के लाखो गॉवो के बारे मे भी सत्य है। इस देश मे हाल ही मे विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये है। इस गरीबी और पिछडेपन की स्थिति को दूर करने के लिए योजनाबद्ध विकास के मार्ग को अपनाया गया है ताकि कृषि उद्योग व यातायात आदि सभी क्षेत्रो मे विकास हो सके।

भारत कृषि प्रधान देश है जहॉ की अधिकतर जनसख्या गॉवो मे रहती है अत ग्रामीण विकास मे ग्रामीण साख का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सम्भवत इसी कारण से रिजर्व बैक ने आरम्भ से ही कृषि साख विभाग की स्थापना कर दी थी इस विभाग को निम्न कार्य सौपे गये थे

1 कृषि सगठन के सम्बन्ध मे रिजर्व बैक राज्य सहकारी बैक तथा अन्य बैको की क्रियाओ मे समन्वय स्थापित कराना।

2 ग्रामीण, ऋणग्रस्तता, ग्रामीण वित्त सहकारिता आदि से सम्बन्धित कानूनो का अध्ययन करना तथा उन पर अपना मत प्रकाशित करना।

3 कृषि साख की समस्याओ के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियो का दल रखना जो आवश्यकता के समय केन्द्रीय सरकार,राज्य सरकार या सहकारी सस्थाओ को परामर्श दे सके।

रिजर्व बैक आफ इण्डिया ने सन 1951 मे अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण हेतु एक गोरवाला समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1954 मे प्रस्तुत की और सुझाव दिया कि देश मे ग्रामीण साख की उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैक की स्थापना

होनी चाहिए जो देश के ग्रामीण क्षेत्रो मे अपनी शाखाओ का जाल बिछाकर देहातो मे बैकिग सुविधाओ का विकास करे और कृषि के लिए आवश्यक मात्रा मे सस्ती साख सुलभ करे।

गोरवाला समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने तत्कालीन इम्पीरियल बैक आफ इण्डिया को ही स्टेट बैक मे परिणत कर दिया। सन 1955 मे स्टेट बैक ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास किया गया और 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैक की भारत स्थित समस्त सम्पत्ति और दायित्व स्टेट बैक को सौप दिये गये।

ग्रामीण साख मे व्यापारिक बैको की अत्यन्त सीमित भूमिका के कारण सरकार ने जुलाई 1969 मे 14 प्रमुख बैको तथा 1980 मे 6 बैको का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के बाद बैको ने ग्रामीण साख मे अपने योगदान मे काफी वृद्वि की तथा अपनी शाखाओ का ग्रामीण क्षेत्र मे विस्तार किया। उदाहारण के लिए राष्ट्रीयकरण से ठीक पहले (अर्थात जून 1969 मे) भारत मे व्यापारिक बैको की कुल 8262 शाखाए थी जिनमे से केवल 1832 (अर्थात 22 2 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रो मे थी। मार्च 2000 मे कुल शाखाओ की सख्या 64000 तक पहुॅच चुकी थी जिसमे से 14454 (22 6 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रो मे थी। उपयुर्क्त विवेचन से यह बात स्पष्ट होती है कि राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैको ने ग्रामीण ऋण प्रदान करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी उनकी निम्नलिखित नीतियो के आधार पर आलोचना की जाती है

1 कर्मचारी ग्रामीण शाखाओ मे अनिच्छा से कार्य करते है।

2 अत्यधिक ग्रामीण शाखाए खोले जाने से बैको के प्रशासनिक खर्च बढे तथा बैको के साख मे भी कमी हुई है।

3 बैको के ऋण कार्यक्रमो मे लाभ अधिकतर बडे व मध्यम श्रेणी के किसानो को ही प्राप्त हुआ है।

4 बैको द्वारा दिये गये ऋणो का सकेन्द्रण भी कुछ राज्यो मे ही है।

5 ऋणो की वसूली की स्थिति अच्छी नही है। लगभग आधा ऋण ही वापस लौटता है जिससे कृषि को ऋण देने वाली सस्थाओ का अस्तित्व ही खतरे मे आने की आशका है।

6 अनेक ग्रामीण शाखाए साख विकास के कार्यक्रमो को बनाने व उन्हे लागू करने मे असफल रही है।

7 व्यापारिक बैको ने भी अपनी ऋण सेवाओ का विस्तार अधिकतर उन्ही ग्रामीण क्षेत्रो मे किया है जिनमे पहले से ही सहकारी समितियॉ कार्यरत थी इस प्रकार भौगोलिक रिक्तता को पूरा कर सकने मे व्यापारिक बैक असफल रहे है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1975–76 मे तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती इन्दिरा गॉधी ने प्रत्येक 17000 की आबादी पर एक बैकिग शाखा खोलने का निर्णय लिया जो स्थानीय लोगो को साख एव ऋण सुविधा प्रदान कर सके। जिनसे लोगो की आय मे वृद्धि हो एव उनका आर्थिक स्तर ऊँचा हो सके। किन्तु बैको ने सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र मे अपनी शाखा खोलने मे असमर्थता प्रदर्शित की क्योकि उनकी शाखाए खोलने की लागत अधिक थी एव कर्मचारी भी सूदूर क्षेत्र मे काम करने के अभ्यस्त नही थे।

सन 1975 मे भारत मे आपात स्थिति की घोषणा के बाद बीस–सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमो की एक कडी के रुप मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना का विचार सरकार के समक्ष आया और तत्कालीन सरकार ने कम लागत अवधारणा के आधार पर बैकिग शाखा खोलने का निर्णय किया जिसमे यह परिकल्पना की गयी थी कि निश्चित क्षेत्रो मे खुलने वाली शाखाऍ केवल ऋण वितरण का कार्य करेगी। इसी सन्दर्भ मे भारत सरकार ने 26 सितम्बर

1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित करने की घोषणा की।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का मुख्य उद्देश्य विशेष रुप से छोटे तथा सीमान्त किसानो कृषि मजदूरो कारीगरो तथा छोटे उद्यमकर्ताओ को उधार तथा अन्य सुविधाए उपलब्ध कराना है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि—व्यापार वाणिज्य उद्योग एव अन्य उत्पादक क्रियाओ को विकसित कर सके।

आरम्भ मे 2 अक्टूबर 1975 को पॉच क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये। पश्चिम बगाल मे माल्दा राजस्थान मे जयपुर हरियाणा मे शिवानी एव उत्तर प्रदेश मे मुरादाबाद और गोरखपुर मे। ये बैक क्रमश यूनाइटेड बैक बैक ऑफ इण्डिया सिडिकेट बैक स्टेट बैक आफ इण्डिया द्वारा चालू किये गये। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की अधिकृत पूॅजी एक करोड रुपये और निर्गमित एव चुकता पूॅजी 25 लाख रुपये थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की अशपूॅजी मे योगदान सचालित व्यवसायिक बैक द्वारा 35 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत योगदान दिया जाता है। यद्यपि मूल रुप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अनुसूचित व्यवसायिक बैक ही है किन्तु वे कुछ पहलुओ मे इनसे भिन्न है

1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक छोटे तथा सीमान्त किसानो, ग्रामीण कारीगारो, कृषि मजदूरो और निर्धन आर्थिक दृष्टि से कमजोर ग्रामीणो को ही उत्पादक उद्देश्यो के लिए ऋण तथा अग्रिम देते है।

2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की ऋण की दरे किसी राज्य मे सहकारी समितियो की ऋण दरो से तुलनीय है।

3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्यक्षेत्र राज्य के एक या कुछ जिलो के निर्धारित इलाके तक सीमित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2000 तक देश मे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा उनकी कुल 14517 शाखाए एव आच्छादित जिलो की सख्या 443 थी। क्षेत्रीय

ग्रामीण बैको द्वारा अपने कुल ऋणो का 90 प्रतिशत कमजोर वर्गो को उपलब्ध कराया गया। रिजर्व बैक आफ इण्डिया इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सहायता एव रियायते देता है। जुलाई 1982 मे नाबार्ड की स्थापना के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को रिजर्व बैक से प्राप्त होने वाली पुनर्विन्त की सुविधा नाबार्ड से प्राप्त हाने लगी ।

अध्ययन का क्षेत्र

शोध कार्य के अध्ययन का क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होने के कारण शोध का कार्य क्षेत्र विशेष रुप से जौनपुर जनपद पर केन्द्रित किया गया है जो कि प्रदेश का एक अत्यन्त अविकसित जनपद है।

जौनपुर जनपद मे गोमती ग्रामीण बैक जो कि जनपद का क्षेत्रीय ग्रमीण बैक है कि विभिन्न शाखाओ की निक्षेपो एव अग्रिमो का विकास खण्ड तहसील एव जिला स्तर पर अध्ययन किया गया है तथा उनका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जौनपुर जनपद मे स्थित सहकारी बैको तथा व्यापारिक बैको के निक्षेपो तथा अग्रिमो का गोमती ग्रामीण बैको से तुलानात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त गोमती ग्रामीण बैक का प्रदेश मे स्थित अन्य ग्रामीण बैंको व्यापारिक बैको के समस्त जमा तथा अग्रिमो का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

परिकल्पना

इस अध्ययन मे निम्नलिखित परिकल्पना का निरुपण किया गया है

1 ग्रामीण बैक की स्थापना से पूर्व भारत मे विद्यमान ग्रामीण वित्त के स्रोत अपर्याप्त थे।

2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा साहूकारो सहकारी बैको तथा अन्य व्यापारिक बैको की कमियो को दूर किया गया है।

3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ऐसे क्षेत्रो मे स्थापित किये गये है जहा पहले से कोई बैक विद्यमान नही थे। स्थापना के पश्चात शाखाओ जमा तथा ऋणो की मात्रा मे ग्रामीण क्षेत्रो मे निरन्तर वृद्धि हुई है।

4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ग्रामीण क्षेत्र के कृषको कृषि श्रमिको और अन्य ग्रामीण समुदायो के सहायतार्थ ही स्थापित किये गये थे।

5 क्षेत्रीय ग्रमीण बैक ग्रामीण बचतो को गतिशील बनाने मे भी सहायक हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे सुषप्ता वस्था मे पडी निष्क्रिय पूँजी को एकत्रित करके उसी ग्रामीण क्षेत्र मे विनियोग करके लोगो का विकास करना इन बैंको के माध्यम से सम्भव हुआ है।

6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वत रोजगार योजनाओ के अर्न्तगत बेरोजगारो को आर्थिक सहायता प्रदान कर ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शोध विधि एवं सीमाएं

शोध विधि

जनपद जौनपुर के सामाजिक आर्थिक तथा सास्कृतिक विकास के अध्ययन के लिए मुख्यत प्राथमिक तथा द्वितीयक ऑकडो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकडे शोधार्थी ने व्यक्तिगत रुप से सर्वेक्षण द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किये है तथा द्वितीयक आकडे जौनपुर जनपद के क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (गोमती ग्रामीण बैक) के प्रधान कार्यालय एव विभिन्न शाखाओ बैकर्स ग्रामीण विकास सस्था लखनऊ, जिला कार्यालय जौनपुर रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया शाखा कानपुर एव लखनऊ तथा नाबार्ड मे कार्यरत उपयुक्त अधिकारियो से प्राप्त किये गये है।

सीमाएँ

वर्तमान अध्ययन मे द्वितीयक आकडो का भी प्रयोग किया गया है अतएव द्वितीय आकडो पर आधारित शोध की समस्त सीमाएँ इस शोध ग्रन्थ मे भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना होगा कि शोध का कार्य काल साधारणतया जून 2000 तक ही सीमित है तथा जनपद जौनपुर से सम्बधित ऑकडे केवल मार्च 2000 तक ही प्राप्त हुए है।

अध्याय - 2

उत्तर प्रदेश का परिदृश्य

भौगोलिक परिदृश्य

सामाजिक परिदृश्य

आर्थिक परिदृश्य

अध्याय-2

भौगोलिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश भारत के सीमान्त प्रदेशो मे से एक अति महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई तिब्बत एव नेपाल की सीमाओ को छूती है। इसके उत्तर–पश्चिम पश्चिम और दक्षिण–पश्चिम मे हिमाचल प्रदेश हरियाणा दिल्ली और राजस्थान है तथा दक्षिण मे मध्यप्रदेश और पूर्व मे बिहार की सीमाए उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है।

भौगोलिक दृष्टि से यह 77 5⁰ 3 – 84⁰39 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका पूर्व पश्चिम का विस्तार 650 किमी है। उत्तर से दक्षिण तक यह 23⁰52 तथा 31⁰28 उत्तरी अक्षाशो के मध्य है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसका प्रसार 240 किमी है। इसका कुल क्षेफ 2 94 411 वर्ग किमी है। जो कि सम्पूर्ण देश के कुछ क्षेफ का लगभग 8 9 प्रतिशत है। प्रदेश का 246329 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मैदानी भाग के और 48084 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तरी पर्वतीय भाग के अर्न्तगत आता है। जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्रमश 83 70 प्रतिशत व 16 30 प्रतिशत है।[1]

क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से मध्यप्रदेश, राजस्थान एव महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश राज्य का देश मे चौथा स्थान है किन्तु जनसख्या की दृष्टि से (देश की जनसख्या का 19 44 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश का देश मे प्रथम स्थान है। यह प्रदेश 83 जिलो 904 विकास खण्डो और 1 12 804 गावो के साथ फैला हुआ है।[2]

स्रोत- 1 उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक फरवरी 2000 पेज–32

उत्तर प्रदेश धरातलीय दृष्टि से विभिन्नताये लिए हुए है। यहा पर पवर्त पहाडिया पठार मैदान आदि सभी प्रकार की भू–दृश्यावलिया होती है। राज्य के प्राकृतिक भागो को स्पष्ट रूप से चार भागो मे बाटा जा सकता है।

1 पर्वतीय प्रदेश

2 उप–पर्वतीय प्रदेश

3 गगा का मैदान

4 दक्षिण का पहाडी एव पठारी भाग

पर्वतीय प्रदेश

इस प्राकृतिक प्रदेश के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र आता है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा टोस नदी द्वारा हिमाचल प्रदेश से और पूर्व मे काली नदी द्वारा नेपाल से विलग होती है। दक्षिण मे उप–पर्वतीय क्षेत्र की हिमाच्छादित शिखरो द्वारा भारत–तिब्बत सीमा बनाती है।

उत्तर के हिमालय सम्भाग मे चकराता एव देहरादून उत्तर काशी अल्मोडा चमोली गढवाल टेहरी गढवाल पिथौरागढ तथा नैनीताल जिले के कुछ भाग आता है। इस प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशो मे चौथा स्थान है, व जनसख्या की दृष्टि से पाचवा स्थान है।

उप-पर्वतीय प्रदेश

राज्य का उप–पर्वतीय प्रदेश क्रमश शिवालिक पर्वत श्रेणियो के साथ पूर्व से पश्चिम तक तथा उत्तर–पश्चिम मे सहारनपुर से लेकर पूर्व मे देवरिया जिले तक विस्तृत है। यह क्षेत्र ककरीली तथा पथरीली मिट्टी द्वारा निर्मित है। इस क्षेत्र मे नम एव दलदली मैदान पाया जाता है जो राज्य के

सहारनपुर विजनौर बरेली पीलीभीत लखीमपुर खीरी बहराइच गोण्डा बस्ती गोरखपुर और देवरिया जिलो के उत्तरी भाग मे फैला हुआ है।

गंगा का मैदान

उत्तर प्रदेश का बडा भू—भाग गगा के मैदान के अन्तर्गत आता है। इसमे कोई भी स्थान (सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग को छोडकर जहाँ से शिवालिक पर्वत श्रेणिया शुरू होती है) समुद्र की सतह से 300 मीटर से अधिक ऊचाई पर नही है। यहा की मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है।

दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी भाग

दक्षिण के पठारी भाग को बुन्देलखण्ड का पठार कहा जाता है। इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी एव गगा नदी द्वारा निर्धारित है। इस क्षेत्र के बहुत कम स्थानो पर पठारो की ऊचाई 450 मीटर से अधिक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिलो के कुछ स्थानो पर कैमूर एव सोनपार की पहाडिया लगभग 600 मीटर तक ऊची है।

जलवायु

उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबन्धीय एव मानसूनी है जहा धरातलीय विषमताओ और समुद्र तल से विभिन्न स्थानो की अलग—अलग ऊचाइयो के कारण यहा जलवायु मे अन्तर पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय भाग बर्फ से ढका रहता है जहा शीतकाल मे कडाके की ठड पडती है और दिसम्बर से मार्च के बीच हिमपात होता है।

राज्य के दक्षिण भाग की जमीन बजर और पथरीली होने के कारण गर्मियो मे अधिक गर्मी तथा जाडे मे अधिक ठडी पडती है। राज्य मे मध्य

जून से मध्य सितम्बर तक बगाल की खाडी से आने—वाले मानसून के फलस्वरूप मुख्य रूप से वर्षा होती है। हिमालय सम्भाग मे सामान्यत भारी वर्षा होती है। राज्य के प्रमुख भागो मे वर्षा का वार्षिक औसत 94 सेमी रहता है। नैनीताल देहरादून एव गढवाल जिले मे सबसे अधिक वर्षा होती है। मैदानी क्षेत्र मे सर्वाधिक वर्षा (184 7 सेमी) होती है तथा मथुरा मे सबसे कम (54 4 सेमी) वर्षा होती है।

राज्य के जल संसाधन

राज्य की प्रमुख नदिया गगा और यमुना है। इनका बहाव उत्तर मे हिमालय तथा दक्षिण मे विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है।

राज्य के विभिन्न नदियो को उद्गम स्थलो के आधार पर तीन भागो मे बाटा जा सकता है।

1 हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदिया (गगा यमुना, काली शारदा एव गण्डक नदिया प्रमुख है।)

2 गगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदिया (गोमती वरूण रिहन्द पाण्डो ईसन आदि प्रमुख है।)

3 दक्षिण पठार से निकलने वाली नदिया (चम्बल बेतवा, केन सोन रिहन्द तथा कन्हार आदि मुख्य है।)

उत्तर प्रदेश जनसंख्या

उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसख्या वाला राज्य है जहा देश की कुल जनसख्या का 16 4 प्रतिशत भाग निवास करता है। इस प्रकार प्रत्येक छठा भारतवासी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

1991 की जनगणनानुसार राज्य की जनसख्या 13 91 करोड थी जिसमे 7 40 करोड पुरुष तथा 6 51 करोड स्त्रिया सम्मिलित है। इस प्रकार राज्य की जनसख्या मे 53 2 प्रतिशत पुरुष तथा 46 8 प्रतिशत स्त्रिया है।

राज्य की 80 16 प्रतिशत जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे निवास करती है तथा केवल 19 84 प्रतिशत जनसख्या नगरीय क्षेत्रो मे रहती है। 1991 की जनगणनानुसार राज्य मे अनुसूचित जाति की जनसख्या 2 93 करोड है जिसमे 1 56 करोड पुरुष (53 2 प्रतिशत) तथा 1 37 करोड स्त्रिया (46 8 प्रतिशत) है।[1] 1991 की जनगणनानुसार राज्य मे साक्षरता प्रतिशत 41 6 प्रतिशत था (जिसमे 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग को सम्मिलित नही किया गया है।) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो मे साक्षरता दर 36 66 प्रतिशत रही जबकि नगरीय क्षेत्रो मे यह दर 61 प्रतिशत रही।

राज्य मे जनसख्या घनत्व 473 तथा स्त्री पुरुष अनुपात 879 स्त्रिया प्रति हजार पुरुष था। राज्य की 88 64 प्रतिशत जनसख्या हिन्दी भाषी है इसके बाद क्रमश उर्दू 10 5 प्रतिशत पजाबी 0 58 प्रतिशत बगाली 0 15 प्रतिशत, सिन्धी 0 19 प्रतिशत, मराठी 0 01 प्रतिशत भाषा बोलने वालो का स्थान है।[2]

उत्तर प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा

उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो की जलवायु अलग–अलग होने के कारण यहा पर अनेक प्राकृतिक सम्पदा विद्यमान है।

(1) **खनिज सम्पदा :** उत्तर प्रदेश मे अन्य राज्यो की अपेक्षा खनिज कम उपलब्ध है राज्य मे पहली खनिज नीति 29 दिसम्बर 1998 को घोषित किया गया। जिसमे कि खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया

स्रोत 1 जनगणना 1991

2 उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक – 2000 पेज न 37

गया तथा 12 जिलो को खनिज बहुल जिले घोषित किये गये जो कि निम्नलिखित है सहारनपुर झासी जालौन इलाहाबाद बादा हमीरपुर महोबा ललितपुर मिर्जापुर सोनभद्र नैनीताल तथा देहरादून। खनिज नीति 1998 के अन्तर्गत निम्न बिन्दु प्रमुख है।

1 खनिजो से प्राप्त राजस्व के 5 प्रतिशत भाग से खनिज विकास निधि स्थापित करने की योजना।

2 औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता मे एक कार्यकारी दल का गठन।

3 राज्य के आई आई टी तथा पॉलीटेक्निको मे खनन पाठ्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा।

4 पटटे के लिए आवेदन का निस्तारण दो से चार हफ्ते के बीच करते हुए पटटे 60 दिन मे देने की घोषणा।

5 खनिज उद्योग मे देशी/विदेशी निवेशको की भागीदारी को प्रोत्साहन।

खनिज–नीति मे प्रकाशित तथ्यो के अनुसार 'खनिज उत्पादन मे राज्य का देश मे 10वा स्थान तथा देश के कुल खनिज उत्पादन मे प्रदेश का 26 प्रतिशत भाग है।

तालिका 2.1

उत्तर प्रदेश मे प्रमुख खनिज तथा खनिज क्षेत्र

क्र स	खनिज	क्षेत्र
1	ताबा	प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कुमाऊँ चमोली (पोखरी एव धनपुर क्षेत्र) नैनीताल अल्मोडा पौडी गढवाल टिहरी गढवाल पिथौरागढ एव सोनराई।
2	सगमरमर	देहरादून टिहरी गढवाल एव मिर्जापुर सोनभद्र।
3	यूरेनियम	ललितपुर।
4	लोह अयस्क	गढवाल अल्मोडा एव नैनीताल (हेमेटाइट एव मैग्नेटाइट दोनो प्रकार का ही लौह अयस्क उपलब्ध)
5	कॉच बालू	वाराणसी के चकिया क्षेत्र झासी के मुडारी बाला बहेट और इलाहाबाद तथा बादा जिलो के शकरगढ लौहगढ बोरगढ और धानद्रोल क्षेत्र मे।
6	चॉदी	अल्मोडा जिला (अल्पमात्रा)
7	मैग्नेलाइट	अल्मोडा जिला (अल्पमात्रा)
8	हीरा	बादा एव मिर्जापुर
9	चूना पत्थर	देहरादून (चकराता तहसील), गढवाल (लैस टाउन तहसील) मिर्जापुर (गुरुमाकनाच) सोनभद्र (कजराहट), टिहरी पिथौरागढ पौडी नैनीताल जिले मे भी उपलब्ध है।

क्र स	खनिज	क्षेत्र
10	सीसा	कुमाऊँ क्षेत्र मे (राय घरनपुर रेलम बेसकन दसोसी और दण्डक क्षेत्रो मे) देहरादून जिले मे (कुमा—बरेसा और मुधौल क्षेत्र मे) अल्मोडा जिले मे (चैना पानी और बिलौन क्षेत्र मे)
11	कोयला	सोनभद्र के निचले गोडवाना क्षेत्र मे मिर्जापुर जिले के सिगरौली क्षेत्र मे।
12	जिप्सम	गढवाल (खरारी धारी खेरा लक्ष्मन झूला नरेन्द्र नागिन और मधुधनी क्षेत्र मे), देहरादून (घपीला क्षेत्र) नैनीताल जिला (नैनीताल खुरपाताल मझरिया क्षेत्र) झॉसी हमीरपुर जिलो मे भी उपलब्ध
13	ग्लास लैण्ड	इलाहाबाद (करछना तहसील) बादा (करवी तहसील) मऊ जिला।
14	डोलामाइट	मिर्जापुर सोनभद्र टिहरी बादा एव देहरादून।
15	एस्टबेस्टस	गढवाल (उडवीमठ एव कान्धेरा मे)

स्रोत उत्तर प्रदेश एक अध्ययन - पेज न 43

रोजगार

उत्तर प्रदेश मे 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य के कुल व्यक्तियो मे 29 13 प्रतिशत व्यक्ति काम करने वाले है। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो मे यह प्रतिशत क्रमश 30 52 प्रतिशत तथा 26 26 प्रतिशत है। जबकि राज्य के कुल पुरुषो मे काम करने वाले पुरुषो का अनुपात 49 31 प्रतिशत है तथा स्त्रियो मे यहा प्रतिशत केवल 7 45 प्रतिशत है।

तालिका 2 2

विभिन्न उद्योगो मे काम करने वालो का विवरण (प्रतिशत मे)

(1991 की जनगणनानुसार)

क्र स	श्रेणी	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1	कास्तकार	53 27	53 94	48 18
2	खेतिहर मजदूर	18 94	16 70	35 82
3	पशुपालन शिकार आदि	71	74	51
4	खनन एव उत्खनन	08	09	06
5	पारिवारिक उद्योग	2 41	2 26	3 55
6	विनिर्माण ससाधन (पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त)	5 34	5 72	2 45
7	निर्माण	1 24	1 36	31
8	व्यापार एव वाणिज्य	6 17	6 79	6 45
9	परिवहन सचार	1 86	2 09	16
10	अन्य सेवाए	9 98	10 31	7 51

स्रोत जनगणना 1991

उपयुर्क्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की अधिकाश जनसख्या खेतिहर है। जो कुल कार्यशील जनसख्या का 53 27 प्रतिशत है। कृषि कार्यो मे पुरुष तथा स्त्री की भागीदारी लगभग बराबर है। जबकि दूसरे स्थान पर खेतिहर मजदूर है जो कि कुल कार्यशील जनसख्या का 18 94 प्रतिशत है इस क्षेत्र मे महिला का योगदान अधिक 35 82 प्रतिशत है जबकि पुरुष का केवल 16 70 प्रतिशत है।

वर्तमान मे उत्तर प्रदेश मे कुल 83 जिले है जिसमे से 1991 के बाद सृजित 17 जिले निम्न है —

सन्त कबीर नगर चम्पावत साहू महाराज नगर ऊधम सिह नगर रूद्रप्रयाग कन्नौज औरैया बागपत अम्बेडकर नगर गौतम बुद्ध नगर चन्दौली श्रावस्ती ज्योतिबा फूलेनगर कौशाम्बी वागेश्वर महामाया नगर (वर्मान हाथरस) तथा बलराम पुर।

तालिका 2 3

1991 की जनगणना के समय प्रदेश के 63 जिलो का क्षेत्रफल जनसख्या आकार तथा घनत्व

क्र सख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसख्या	पुरुष	महिलाए	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
1	उत्तरकाशी	8 016	2 39 709	1 24 978	1 14 731	30
2	चमोली	9 168	4 54 871	2 27 131	2 27 740	50
3	टेहरी गढवाल	4 421	5 80 153	2 81 934	2 98 219	131
4	देहरादून	3 088	10 25 679	5 56 432	4 69 247	332
5	गढवाल	5 397	6 82 535	3 34 371	3,51 164	126
6	पिथौरागढ	8 856	5 66 408	2 85 297	2 81 111	64
7	अल्मोडा	5 385	8 36 617	4 00 900	4 35 717	155
8	नैनीताल	6 794	15 40 174	8 23 798	7 16 376	227
9	साहरनपुर	3 860	23 09 029	12,47 254	10 61 775	498
10	मुजफ्फरपुर	4 049	28 24 543	15 28 634	13 13 909	702
11	बिजनौर	4 715	24 54 521	13 11 710	11 42 811	521
12	मेरठ	3 911	34 47 912	18 61,742	15 86 170	882

क्र सख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसख्या	पुरुष	महिलाए	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
13	गाजियाबाद	2 594	27 03 933	14 76 188	12 27 745	1 042
14	बुलन्दशहर	4 353	28 49 859	15 35 572	13 14 287	655
15	मुरादाबाद	5 967	41 21 035	22 24 855	18 96 180	691
16	रामपुर	2 367	15 02 141	8 08 419	6 93 722	635
17	बदायू	5 168	24 48 338	13 52 744	10 95 594	474
18	बरेली	4 120	28 34 616	15 41 086	12 93 530	688
19	पीलीभीत	3 499	12 83 103	6 92 361	5 90 742	367
20	शाहजहापुर	4 575	19 87 395	10 94 363	8 93 032	434
21	अलीगढ	5 019	32 95 982	17 88 880	15 07 102	657
22	मथुरा	3 811	19 31 186	10 63 487	8 67 699	507
23	आगरा	4 027	27 51 021	15 01 927	12 49 094	683
24	एटा	4 446	22 44 998	12 30 561	10 14 437	505
25	फिरोजाबाद	2 362	15 33 054	8 36 926	6 96 128	649
26	मैनपुरी	2 759	13 16 746	7 18 173	5 98 573	477
27	फर्रुखाबाद	4 274	24 40 266	13 29 574	11 10 692	571
28	इटावा	4 326	21 24 655	11 60 227	9 64 428	491
29	कानपुर(नगरीय)	1 040	24 18 487	13 25 728	10 92 759	2 325
30	कानपुर(देहात)	5 137	21 38 317	11 60 736	9 78 081	416
31	फतेहपुर	4 152	18,99 241	10 09 369	8,89 872	457
32	इलाहाबाद	7 261	49 21 313	26 24 829	22 96 484	678

क्र सख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसख्या	पुरुष	महिलाए	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
33	जालौन	4 565	12 19 377	6 66 865	5 52 512	267
34	झासी	5 024	14 29 698	7 67 430	6 62 268	285
35	ललितपुर	5 039	7 52 043	4 03 685	3 48 358	149
36	हमीरपुर	7 165	14 66 491	7 96 448	6 70 043	205
37	बादा	7 624	18 62 139	10 11 230	8 50 909	244
38	खीरी	7 680	24 19 234	13 13 517	11 05 717	315
39	सीतापुर	5 743	28 57 009	15 58 905	12 98 104	497
40	उन्नाव	4 558	22 00 397	11 74 856	10 25 541	483
41	हरदोई	5 986	27 47 082	15 10 831	12 36 251	459
42	लखनऊ	2 528	27 62 801	14 80 839	12 81 962	1 093
43	रायबरेली	4 609	23 22 810	12 03 153	11 19 657	504
44	बहराइच	6 877	27 63 750	15 01 250	12 62 500	402
45	गोण्डा	7 352	35 73 075	19 07 575	16 65,500	486
46	बाराबकी	4 401	24 23 136	13 04 303	11,18 833	551
47	फैजाबाद	4 511	29 78 484	15 48 368	14 30 116	660
48	सुल्तानपुर	4 436	25 58 970	13,23 422	12 35 548	577
49	प्रतापगढ	3 717	22 10 700	11 12 755	10 97 945	595
50	बस्ती	4 284	27 38 522	14 29 610	13 08 912	639
51	गोरखपुर	3 324	30 66 002	15 93 355	14 72 647	922
52	देवरिया	5 445	44 40 024	22 57 554	21 82 470	815

क्र सख्या	जिले का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसख्या	पुरुष	महिलाए	घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
53	आजमगढ	4 214	31 53 885	15 71 593	15 82 292	748
54	जौनपुर	4 038	32 14 636	16 12 164	16 12 472	796
55	बलिया	2 988	22 62 273	11 62 307	10 99 966	757
56	गाजीपुर	3 377	24 16 617	12 34 615	11 82 002	716
57	वाराणसी	5 091	48 60 582	25 63 848	22 96 734	955
58	मिर्जापुर	4 952	16 57 139	8 79 820	7 77 319	335
59	हरिद्वार	1 994	11 24 488	6 09 054	1 15 434	564
60	सिद्धार्थ नगर	2 944	17 07 885	8 92 981	8 14 904	580
61	मऊनाथ भजन	1 727	14 45 782	7 32 487	7 13 295	837
62	सोनभद्र	6 358	10 75 041	5 77 403	4 97 638	169
63	महाराजगज	2 948	16 76 378	8 78 048	7 98 330	569

स्रोत उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक, पज न 39

सामाजिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहा की अधिकाश जनसख्या कृषि एव कृषि सबधी क्रियाओ से अपनी जीविका चलाती है यह प्रदेश सास्कृतिक एव सामाजिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है यहा पर भारतीय सस्कृति एव सभ्यता विकसित हुई तथा उसका विस्तार हुआ। इस राज्य मे त्रेता युग मे राम की जन्म एव लीला स्थली अयोध्या एव द्वापर युग

मे कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा तथा पौराणिक महत्व सजोए शिव नगरी काशी प्रमुख आकर्षक स्थलो मे है। इसी प्रकार के अनेक ऐतिहासिक एव धार्मिक स्थल इस प्रदेश के हिमालय क्षेत्र मे विद्यमान है। इस प्रदेश के कुछ जनपद एव क्षेत्र अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते है यथा— इलाहाबाद मिर्जापुर बादा मेरठ व कौशाम्बी से प्राप्त पुराअवशेष आदिम युग के मानव की सभ्यता के मूक साक्षी है।

उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो मध्य प्रदेश से जुडी हुई है वहा की आदिम जन—जातीय सस्कृति की उत्तरी सीमा जो चीन एव नेपाल से जुडी है की जनजातीय सस्कृति सभ्यता एव रीति रिवाज से भिन्न है। इस प्रकार इस प्रदेश का सामाजिक परिदृष्य विविधता मे एकता दर्शाता है। सभी प्रकार की जातियो एव धर्मो का मिलन इस प्रदेश की अपनी एक अलग सामाजिक एव धार्मिक विशेषता है।

यहा पर एक ओर तो गगा यमुना नदियो द्वारा निर्मित विशाल मैदान अपनी उर्वरा भूमि से समाज की मूलभूत आवश्यकताओ मे भोजन सबसे अधिक आधारभूत आवश्यकता की आपूर्ति करते है जबकि दूसरी ओर प्रयाग का सगम तीर्थ एव हरिद्वार का गगा तीर्थ स्थल सभी जातियो के लोगो को समाज के एक सूत्र मे बाधने का प्रयास करता है। ये सभी स्थल सामाजिक एकता के प्रतीक है। यही कारण है कि इस प्रदेश का सामाजिक आर्थिक एव राजनीतिक दृष्टि से महत्व बढता जा रहा है। प्रदेश की जनसख्या वृद्धि दर 2 54 प्रतिशत वार्षिक से अधिक रही है जो कि देश के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 1971 मे देश की जनसख्या 8 83 करोड थी जो कि 1991 मे बढकर 13 91 करोड हो गयी। इसप्रकार प्रदेश मे ग्रामीण एव नगरीय जनसख्या मे भारी असतुलन है।

तालिका 2 4

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण व नगरीय जनसख्या

(करोड मे)

जनगणना वर्ष	ग्रामीण	नगरीय	कुल योग
1901	4 32	540	4 87
1911	4 32	490	4 82
1921	4 17	493	4 67
1931	4 42	556	4 98
1941	4 95	701	5 66
1951	5 45	862	6 33
1961	6 42	947	7 38
1971	7 59	1 240	8 84
1981	9 09	1 990	11 09
1991	11 15	2 760	13 91

स्रोत उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक समीक्षा

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विगत नौ दशको मे (1901–1991) ग्रामीण एव नगरीय जनसख्या का अनुपात 20 प्रतिशत व 80 प्रतिशत रहा अर्थात उत्तर प्रदेश मे कृषि पर जनसख्या के दबाव मे बहुत ही कम कमी आयी जो कि इतनी लम्बी समयावधि मे न के बराबर कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश तथा अन्य पडोसी राज्यो मे नगरीय जनसख्या की वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत के आस–पास रही जबकि औद्योगिक दृष्टि से विकसित प्रदेशो यथा – महाराष्ट्र गुजरात एव तमिलनाडू, कर्नाटक मे नगरीकरण का प्रतिशत क्रमश 37 7 34 9 34 2 तथा 30 9 रहा है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश मे कृषि बाहुल्यता प्रदर्शित होती है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरो मे जो जनसख्या का प्रवास ग्रामीण क्षेत्रो से हुआ उसके परिणाम स्वरूप नगरीय जीवन मे आर्थिक एवम् सामाजिक विषमताये तथा सामाजिक बुराइयो मे वृद्धि हुई और अन्तत नगरो के ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया दिखायी पडने लगी है।

विगत दो दशको मे जनसख्या वृद्धि के कारण राज्य के जनसख्या घनत्व मे वृद्धि हुई है। जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 2 5

राज्य मे जनसख्या घनत्व

(व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)

	1981	1991
ग्रामीण	314	385
नगरीय	4363	5553
कुल	377	473

स्रोत जनगणना 1981 एवं 1991

राज्य मे जनसख्या घनत्व 1901 1911 एव 1921 मे क्रमश 165, 164 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 था जो कि लगातार घट रहा था जबकि 1921 के बाद लगातार वृद्धि हुई जो कि 1931, 1941, 1951, 1961 1971 1981 मे क्रमश 169 192 215 251, 300 तथा 377 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था तथा 1991 की जनगणना के अनुसार यह 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। यह घनत्व कुल भारत के 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से बहुत अधिक है। यदि जनसख्या वृद्धि की यही दर जारी रही और जनसख्या घनत्व का अनुपात ऐसे ही बढता रहा तो 2051 तक प्रदेश मे कृषि पर जनसख्या का दबाव भयावह स्थिति मे पहुच जायेगा क्योकि मानव भूमि अनुपात तेजी से घट रहा है।

राज्य की जनसख्या मे तीव्रतर वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रो के विस्तार व विकास के महत्व को स्वीकार किया गया है। राज्य मे 1000 से कम जनसख्या वाले गाव 47 3 प्रतिशत (83235) 1000 से 1999 जनसख्या समूह वाले गावो का उत्तर प्रदेश मे प्रतिशत 44 8 2000 से 4999 जनसख्या समूह वाले गाव का प्रतिशत 7 2 तथा 5000 से अधिक जनसख्या वाले गाव मात्र 0 7 प्रतिशत है।

प्रदेश मे स्त्री–पुरुष का अनुपात वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 879 है जबकि 1981 की जनगणना मे यह अनुपात 885 था इस प्रकार एक दशक मे प्रति हजार पुरुष पर 6 की कमी आयी है। ग्रामीण क्षेत्र मे यह अनुपात 884 तथा नगरीय 860 रहा है।

प्रदेश की जनजातियाँ

भारतीय सविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातिया जनजातियो या जनजाति समुदायो के अथवा उनके समूहो या भागो के अन्तर्गत आती है जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जाये। जनजाति समुदाय के निम्न लक्षण होते है

1 कई परिवारो का समूह : जनजाति का निर्माण कई परिवारो के सकलन से होता है। परिवार ही जनजाति समाज की मौलिक इकाई है।

2. विशिष्ट नाम प्रत्येक जनजाति का कोई न कोई विशिष्ट नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह जानी जाती है।

3 एक निश्चित भू-भाग प्रत्येक जनजाति एक निश्चित भू–भाग मे निवास करती है। डॉ रिवर्स का मत है कि जनजाति के लिए निश्चित भू–क्षेत्र होना आवश्यक नही है। क्योकि कई जपजातिया घुमक्कड जीवन व्यतीत करती है। किन्तु डॉ मजूमदार का मत है कि घुमक्कड

जनजातिया भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मे ही घूमती है सभी स्थानो पर नही। अत प्रत्येक जनजाति का निवास एक निश्चित भू–क्षेत्र मे होता है।

4 **हम की भावना** एक भू–भाग मे निवास करने के कारण एक जनजाति के सदस्यो मे सामुदायिक भावना पायी जाती है इसी कारण वे सकट के समय एकता का प्रदर्शन करते है।

5 **सामान्य भाषा** · एक जनजाति की एक सामान्य भाषा होती है जिसका प्रयोग सभी लोग करते है। यह भाषा अलिखित होती है तथा इसका हस्तान्तरण मौखिक रूप से ही होता है।

6 **जनजाति अन्तर्विवाह** सामान्यत सभी जनजातिया अपनी ही जनजाति मे विवाह करते है अन्य जनजातियो से नही।

7 **एक राजनीतिक सगठन** प्रत्येक जनजाति का अपना एक राजनीतिक सगठन होता है। वे अपना शासन स्वय करते है। शासन कार्य वशानुगत राजा मुखिया या वयोवृद्धि लोगो की समिति द्वारा किया जाता है। परन्तु भारत मे इनका पृथक एव स्वतत्र राजनीतिक सगठन नही है वरन् सभी जनजातिया भारतीय गणराज्य की सदस्य है।

8 **संस्कृति :** प्रत्येक जनजाति को अपनी एक विशिष्ट सस्कृति होती है। एक जनजाति के रीति–रिवाज प्रथाए एव जादुई विश्वास एव क्रियाए सामाजिक सगठन नैतिकता विश्वास और मूल्य अन्य जनजातियो से भिन्न होते है।

9 **अर्थव्यवस्था** सामान्यत सभी जनजातियो की अर्थव्यवस्था आजीविका स्तर की है जिसमे आत्मनिर्भरता अधिक पायी जाती है। सामान्यत वस्तु विनिमय व्यापारिक क्रियाओ का आधार होता है। आर्थिक सम्बन्ध अधिकाशत नातेदारो एव परिचित लोगो तक सीमित होते है।

10 **नातेदारी का महत्व** जनजाति समाज मे नातेदारी को बहुत महत्व दिया जाता है। जनजातीय लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक एव

सामाजिक सम्बन्ध अपनी नातेदारी तक ही सीमित रखते है।

11 धर्म : प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म होता है। इनके धर्म मे प्रकृति पूजा आत्मावाद और जीववाद की प्रधानता पायी जाती है। ये लोग कई जादुई क्रियाए भी करते है।

12 सामान्य पूर्वज कई जनजातिया अपनी उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज से मानती है यह पूर्वज वास्तविक भी हो सकते है और काल्पनिक भी।

उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातिया है – भोटिया बुक्सा जौनसारी राजी तथा थारू। इसके अतिरिक्त शौका खरकर माहीगीर आदि कुछ अन्य जनजातिया है। प्रदेश की ये जनजातिया प्रत्येक जिले मे रहती है किन्तु देहरादून तथा नैनीताल जिलो मे इनकी भारी सख्या निवास करती है। यहा इनकी जनसख्या क्रमश 76085 तथा 73998 है। इनका सक्षिप्त विवरण निम्न है

1 भोटिया उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र मे स्थित भोट प्रदेश मे निवास करने वाले लोगो को भोटिया कहा जाता है राज्य के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र मे तिब्बत एव नेपाल के सीमावर्ती भाग को भोट प्रदेश कहते है। भोटिया लोग अल्मोडा, चमोली पिथौरागढ तथा उत्तर प्रदेश काशी के क्षेत्र मे फैले हुए है।

भोटिया लोग मगोल प्रजाति के वशज है। पुरुष लम्बा कोट, पाजामा तथा पहाडी टोपी पहनते है जबकि महिलाए ‘चुग तथा फूयाबेल पहनती है ये कमर को आकर्षक पट्टी से बाधे रखती है। महिलाए भी टोपी पहनती है। मूगे की माला इनका मुख्य आभूषण होता है। भोटिया के अनेक लोग बौद्ध धर्म अपना लिया है फिर भी ये लोग हिन्दु धर्म व परम्पराओ को मानते है। ये लोग गावला तथा ‘बैग रैग चिम देवताओ की पूजा करते है।

इन लोगो मे अपहरण विवाह की प्रथा प्रचलित रही है किन्तु समय के परिवर्तन के कारण माता–पिता द्वारा निर्धारित विवाह करने लगे है। पहले ये लोग हुडेक वाद्ययत्र बजाकर मनोरज किया करते थे किन्तु अब इनका स्थान सगीत एव सिनेमा ले रहे है।

ये लोग तिब्बत से नमक सुहागा ऊन याक की पूछ सोना जानवरो की खाल भेड–बकरी तथा खच्चर लाते है और इसके बदले मे चावल गुण चीनी तम्बाकू लोहा बर्तन सूती वस्त्र तथा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुए तिब्बत को ले जाते है। इसके अतिरिक्त ये आशिक रूप से कृषि या मुख्यत पशुपालन द्वारा अपनी आजिविका कमाते है।

2 बुक्सा : बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति नैनीताल पौडी गढवाल देहरादून तथा बिजनौर जिलो मे छोटी–छोटी बस्तियो मे रहती है। नैनीताल जिले की बाजपुर रामनगर तथा काशीपुर तहसीलो मे इनकी जनसख्या बहुतायत मे है।

यह जनजाति पतवार राजपूत घरानो से सम्बन्धित मानी जाती हे ये लोग मुख्यत हिन्दी भाषा ही बोलते है। देवनागरी लिपि मे पढना–लिखना इनकी परम्परा है। ग्रामीण पुरुष धोती कुर्त्ता सदरी तथा पगडी और पढे लिखे कोट–पैण्ट तथा बुशर्ट भी पहनते है। ग्रामीण महिलाए गहरे रग का लहगा तथा चोली पहनती हे जबकि शिक्षित महिलाए साडी–ब्लाउज ही पहनती है।

इस जनजाति मे चार सामाजिक वर्ग है। जिनमे बुक्सा ब्राह्मणो को सर्चोच्च सामाजिक सम्मान प्राप्त है। इनमे मैदानी हिन्दु लोगो के समान ही विवाह सस्कार होते है इस समाज मे घर जवाई प्रथा बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह आज भी प्रचलित है।

बुक्सा जन महादेव कालीमाई दुर्गा लक्ष्मी राम तथा कृष्ण की पूजा करते है। धान, मक्का गेहू, चना लाहा की खेती तथा पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है।

3 जौनसारी - यह जनजाति कालसी चकराता त्योणी लाखामण्डल बावर जौनपुर (जिला टेहरी गढवाल) राबेन तथा परगने काना आदि की ऊची पहाडियो पर निवास करती है। इस जनजाति की उत्पत्ति मगोलो तथा डेमो के रक्त मिश्रण से हुई है।

पुरुष जौनसारी धोती कमीज तथा जाकेट और महिला जौनसारी घुटनो तक का कुर्त्ता एव घाघरा पहनती है।

जौनसारी लोग हिन्दु देवी–देवताओ की पूजा नही करते है। ये लोग 'महसू देवता की पूजा करते है। ये लोग लकडी का कई मजिल का घर बनाकर रहते है। इन लोगो मे बहुपति प्रथा प्रचलित है। अन्तर्जातीय विवाहो का भी प्रचलन है। महिलाए कृषि कार्य करने मे दक्ष होती है।

4 राजी इस जनजाति को बनरौत भी कहते है। यह जनजाति पिथौरागढ जिले के धारचूला एव डी डी हाठ विकास खण्डो के किमखोला चिपथडा गानागाव मौका तिरवा चौरानी कूना कनयाल तथा जतडी ग्रामो मे ही मुख्यत निवास करती है।

राजी जन प्राय जगल मे ही रहना पसन्द करते है तथा जगल के देवता की पूजा करते है। बाघनाथ इनका मुख्य देवता है। ये लोग घोर अन्ध विश्वासी होते है।

इनकी भाषा मे तिब्बती तथा सस्कृत के शब्दो की बहुतायत होती है। घर पर ये लोग 'मुण्डा तथा बाहर कुमाऊनी भाषा बोलते है जिसमे हिन्दी तथा पहाडी भाषा का पुट होता है।

इनमे वधु को मोल लेकर ही विवाह किया जाता है। महिला को पुनर्विवाह का अधिकार होता है

पहले इन लोगो का व्यवसाय जगल काटकर लकडी बेचना था किन्तु अब कटाई पर रोक लग जाने के कारण ये लोग मजदूरी करते है।

5. थारु : यह जनजाति नैनीताल से लेकर गोरखपुर तक के तराई क्षेत्र मे निवास करती है। ये लोग किरात के वशज कहे जाते है। राजस्थान के थार क्षेत्र से आकर यहा बसने तथा मदिरा का अधिकाधिक प्रयोग करने के कारण इन्हे थारु कहा जाता है।

थारु पुरुष लगोटी की तरह धोती तथा अगरखा पहनते है। ये बडी चोटी भी रखते है। थारु महिलाए रगीन लहगा चोली तथा ओढनी पहनती है। इन्हे गोदना खुदवाने का विशेष चाव होता है।

ये लोग हिन्दु धर्म को मानते है ये लोग धान दाले तिलहन तथा सब्जियो की खेती करके जीविकोपार्जन करते है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश मे और अनके जनजातिया है यह जातिया सामाजिक एव आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते है। जिसके लिए विशेष आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

आर्थिक परिदृश्य

उत्तर प्रदेश की जनसख्या दबाव भौगोलिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था के सूचको को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह प्रदेश सम्पूर्ण देश के आर्थिक एव औसत जीवन स्तर को प्रभावित करता है। प्रदेश की अर्थव्यस्था एव आर्थिक सरचना के विश्लेषण के लिए कई बिन्दुओ पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। यथा– आय जनसख्या का व्यवसायिक वितरण कार्यबल की सरचना आदि।

आय संरचना

किसी भी प्रदेश मे उसकी आय अर्थव्यवस्था एव उसके विकास का सूचक होती है। आय की गणना चालू मूल्यो एव आधार वर्ष के मूल्यो के

आधार पर आकी जाती है। प्रथम योजना के प्रारम्भ मे उत्तर प्रदेश की जनसख्या की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से 5 प्रतिशत अधिक थी परन्तु दूसरी योजना के अन्त मे यह आय 7 प्रतिशत कम हो गयी और तब से अब तक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से कम ही रही है। एक विशेषज्ञ समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि उच्च जनसख्या घनत्व निम्न प्रति व्यक्ति आय एव मन्द विकास की दर लघु कृषि जोत निम्न स्तर का नगरीकरण उद्योगो का आय मे निम्नदर से योगदान साक्षरता की नीची दर तथा परिवहन सचार एव विद्युत शक्ति पर अपर्याप्त व्यय तथा प्रदेश का एक बडा हिस्सा पिछडा है।

उत्तर प्रदेश की कुल आय प्रचलित मूल्यो पर 1993–94 मे 78211 करोड रुपये थी जो कि वर्ष 1998–99 मे बढकर 152726 करोड रुपेय हो गयी। इस प्रकार सकल आय मे वृद्धि तो हुई परन्तु यह वृद्धि परिवर्तन सकल राष्ट्रीय आय के वृद्धि परिवर्तन से कम रहा है। इसी प्रकार राज्य की प्रति व्यक्ति आय मे भी परिर्वतन तो आया परन्तु प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना मे वृद्धि दर निम्न रही है। वर्ष 1993–94 मे प्रचलित मूल्यो पर प्रति व्यक्ति आय 5287 रुपये थी जो कि 1998–99 मे बढकर 9261 रुपये हो गयी। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है

तालिका 2.6

उत्तर प्रदेश की कुल एवं प्रति व्यक्ति राज्य आय

वर्ष	1993-94 के भावो पर		प्रचलित भावो पर	
	कुल (करोड रु)	प्रति व्यक्ति (रु)	कुल (करोड रु)	प्रति व्यक्ति (रु.)
1993–94	78211	5287	78211	5287
1994–95	83469	5510	91867	6064
1995–96	85603	5518	102478	6605
1996–97	91768	5794	120955	7637
1997–98	93797	5808	133617	8273
1998–99	97137	5890	152726	9261

स्रोत साख्यिकीय डायरी 1999 पेज न. 62

तालिका 2 7

राज्य आय के सूचकाक

(1993-94 = 100)

वर्ष	1993-94 के भावो पर	
	राज्य आय	प्रति व्यक्ति आय
1994–95	106 7	104 2
1995–96	109 5	104 4
1996–97	117 3	109 6
1997–98	119 9	109 8
1998–99	124 2	111 4

स्रोत साख्यिकीय डायरी 1999 पेज न 63

तालिका 2 6 एव 2 7 से स्पष्ट है कि राज्य मे कुल आय एव प्रति व्यक्ति आय मे लगातार वृद्धि हुई है। 1993–94 प्रचलित भावो पर कुल आय 78211 करोड थी जो 1998–99 मे बढकर 152726 करोड हो गयी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय 1993–94 मे 5287 रुपये से बढकर 1998–99 मे 9261 रुपये हो गयी। फिर भी यह वृद्धि अन्य राज्यो की अपेक्षा कम रही है।

तालिका 2 8

भारत के विभिन्न प्रमुख राज्यो मे प्रति व्यक्ति अनुमानित आय

(प्रचलित भावों पर रुपये मे)

क्र स	राज्य	1980-81	1996-97	1997-98
1	आध्र प्रदेश	1380	10306	10590
2	असम	1284	6928	7335
3	बिहार	917	4231	4654
4	गुजरात	1940	14675	16251

क्र स	राज्य	1980-81	1996-97	1997-98
5	हरियाणा	2370	16392	17626
6	हिमाचल प्रदेश	1704	9737	10659
7	कर्नाटक	1520	10279	11693
8	केरल	1508	10309	11936
9	मध्य प्रदेश	1358	7571	8114
10	महाराष्ट्र	2435	17666	18365
11	उडीसा	1314	5893	6767
12	पजाब	2674	18006	19500
13	राजस्थान	1222	8481	9215
14	तमिलनाडु	1498	11708	12989
15	उत्तर प्रदेश	1278	6713	7263
16	पश्चिम बगाल	1773	9579	10636

स्रोत साख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 1998 पेज न 75

तालिका 2 8 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मे प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यो की तुलना मे काफी कम रही है।

राज्य मे आय मे वार्षिक वृद्धि दर भी काफी कम रही है। आठवी पचवर्षीय योजना (1992–97) मे राष्ट्रीय आय मे वार्षिक वृद्धि पर 9 प्रतिशत थी जबकि उत्तर प्रदेश की 4 2 प्रतिशत थी जो कि लगभग भारत की तुलना मे 50 प्रतिशत से भी कम है।

तालिका 2.9

भारत के प्रमुख राज्यो मे आय मे वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

(आठवीं पचवर्षीय योजना 1992-97)

क्र स	राज्य	कृषि एव पशुपालन	विनिर्माण	योग
1	आध्र प्रदेश	3 8	1 2	5 3
2	असम	1 5	0 7	2 8
3	बिहार	(–) 1 5	(–) 3 9	0 3
4	गुजरात	10 0	20 1	11 2
5	हरियाणा	3 7	6 1	4 7
6	हिमाचल प्रदेश	1 3	8 6	5 2
7	कर्नाटक	3 0	5 3	4 7
8	केरल	4 9	3 9	6 7
9	मध्य प्रदेश	6 3	10 0	6 1
10	महाराष्ट्र	11 6	10 3	9 5
11	उडीसा	(–) 3 4	6 9	2 7
12	पजाब	3 0	10 3	4 7
13	राजस्थान	8 7	2 2	7 2
14	तमिलनाडु	(–) 0 4	8 5	6 2
15	उत्तर प्रदेश	2 7	4 2	3 2
16	पश्चिम बगाल	6 6	5 6	6 6
	भारत	3 9	9 0	6 8

स्रोत साख्यकिय डायरी उत्तर प्रदेश 1999 पेज न 76

इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का विकास उत्तर प्रदेश की तुलना मे अधिक तीव्र गति से हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनसख्या वृद्धि भारत की जनसख्या वृद्धि दर से अधिक रही है।

तालिका 2.10

विभिन्न औद्योगिक स्रोतो से आय वृद्धि की वार्षिक दर

(1993-94 के भावो पर)

	खण्ड	**1993-94 से 1998-99 तक**
1	कृषि एव पुशपालन	2 2
2	समस्त प्राथमिक उप–खण्ड	2 5
3	विनिर्माण	6 0
4	समस्त माध्यमिक उप–खण्ड	6 0
5	अन्य उप–खण्ड	5 5
6	कुल राज्य आय	4 4
7	प्रति व्यक्ति आय	2 2

स्रोत साख्यिकीय डायर उ प्र 1999 पेज न 66

तालिका 2 10 से स्पष्ट है कि विनिर्माण क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही जो कि विकास का सूचक तो है परन्तु दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय की औसत वृद्धि दर 2 2 प्रतिशत ही है जबकि प्रदेश की कुल आय मे 4 4 प्रतिशत की वृद्धि पर अकित की गयी।

उत्तर प्रदेश मे पचवर्षीय योजनाओ मे निर्धारित व्यय की राशि मे लगातार वृद्धि हो रही है। फिर भी यहा की बढती हुई जनसख्या तथा भारत की अपेक्षा यह काफी कम रही है।

तालिका 2 11

विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ की व्यय राशि

योजना का नाम	अवधि	निर्धारित परिव्यय राशि (करोड रुपये मे)
प्रथम पचवर्षीय योजना	1951–56	153
द्वितीय पचवर्षीय योजना	1956–61	233
तृतीय पचवर्षीय योजना	1961–66	561
तीन वार्षिक योजनाए	1966–69	455
चतुर्थ पचवर्षीय योजना	1969–74	1166
पाचवी पचवर्षीय योजना	1974–79	2909
वार्षिक योजना	1979–80	829
छठी पचवर्षीय योजना	1980–85	6594
सातवी पचवर्षीय योजना	1985–90	11949
वार्षिक योजना	1990–91	3208
वार्षिक योजना	1991–92	3696
वार्षिक योजना	1192–93	3640
वार्षिक योजना	1993–94	3872
वार्षिक योजना	1994–95	4762
आठवी पचवर्षीय योजना	1992–97	22006 (सम्भावित)
नवी पचवर्षीय योजना	1997–2002	46340 (अनुमानित)

स्रोत उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक 2000 पेज न 49

जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक सरचना मे जनसख्या का व्यावसायिक वितरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योकि जनसख्या के व्यावसायिक वितरण के आधार पर ही उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का मूल्याकन किया जा सकता है। जनसख्या का व्यवसायिक वितरण निम्न वर्गो मे वर्गीकृत किया जाता है

1 प्राथमिक क्षेत्र – कृषि मछली सग्रहण वनोत्पाद।

2 द्वितीयक क्षेत्र – उत्पादन सम्बन्धी समस्त आर्थिक क्रियाए यथा विनिर्माण खनन कुटीर एव लघु उद्योग आदि।

3 तृतीयक क्षेत्र – सेवा क्षेत्र बैकिग यातायात बीमा वित्त आदि।

जनसख्या के व्यवसायिक विभाजन का प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है।

तालिका 2 12

उत्तर प्रदेश मे उद्योगवार मुख्य कर्मगारो की सख्या

(वर्ष 1991 की जनगणनानुसार)

	क्षेत्र		सख्या हजार मे
1	प्राथमिक क्षेत्र	कृषि श्रमिक पशुपालन जगल मे कार्य करना कृषक मछली पकडना शिकार एव बागवान फलोधान एव सम्बन्ध क्रियाए।	30160
2	द्वितीयक क्षेत्र	खनन एव उत्खनन विनिर्माण, शोधन सेवाए एव मरम्मत तथा निर्माण	3751
3	तृतीयक क्षेत्र	व्यापार एव वाणिज्य परिवहन सग्रहण एव सचार तथा अन्य सेवाए।	7450
	योग		**41361**

स्रोत जनगणना - 1991

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश मे प्राथमिक क्षेत्र पर जनसख्या की निर्भरता अब भी सर्वाधिक है यदि प्रतिशत मे देखा जाय तो यह लगभग 70 प्रतिशत होगी जबकि द्वितीयक एव तृतीयक क्षेत्र मे यह निर्भरता बहुत ही कम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रदेश मे अभी भी द्वितीयक एव तृतीयक क्षेत्रो का विस्तार बहुत कम हुआ है।

कार्य बल संरक्षण

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे विभिन्न क्षेत्रो की विकास दर एव मापन निर्धारित करने मे कार्यबल/श्रमशक्ति के ऊपर विभिन्न क्षेत्रो की उत्पादकता पर निर्भर करती है। यद्यपि कार्य बल मे वृद्धि जनसख्या वृद्धि का ही फल है। प्राप्त आकडो से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1981 मे कुल जनसख्या मे कर्मकारो का प्रतिशत 30 72 था जो कि 1991 मे बढकर 32 20 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2 13

उत्तर प्रदेश मे कुल जनसख्या में कर्मकारो की विभिन्न श्रेणियो का प्रतिशत

कुल जनसख्या से प्रतिशत

क्र स	वर्ग	1981	1991
1	मुख्य कर्मकार	29 23	29 73
2	सीमान्त कर्मकार	1 49	2 47
3	कार्य न करने वाले	69 28	67 80
	योग	**100 00**	**100 00**

स्रोत उत्तर प्रदेश एक अध्ययन आज तक 2000 पेज न0 69

वर्ष 1981 एव 91 मे मुख्य कर्मकारो का प्रतिशत कुल जनसख्या मे लगभग समान है, परन्तु सीमान्त कर्मकारो का कुल जनसख्या मे प्रतिशत 1991 मे 2 47 हो गया जबकि 1981 मे यह 1 49 था। वर्ष 1991 मे 1981 की तुलना मे कार्य न करने वालो के प्रतिशत मे कमी आयी है।

अध्याय - 3

भारत में बैंकिंग
बैंकों का वर्गीकरण
व्यावसायिक बैंकों की प्रगति

अध्याय-3

भारत में बैंकिंग

भारत एक विकासशील राष्ट्र है। किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए आर्थिक नियोजन अत्यन्त आवश्यक है और आर्थिक नियोजन को सफल होने के लिए धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक नियोजन मे बैको के महत्व को ध्यान मे रखते हुए भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात से बैको की सरचना मे आधारभूत परिवर्तन किये गये है। यद्यपि इस समय भी देश मे मुद्रा बाजार असगठित एव सगठित दोनो रूपो मे विद्यमान है परन्तु पिछले पच्चास वर्षो मे देश के सगठित मुद्रा बाजार मे महत्वपूर्ण परिर्वतन हुए है।

1949 मे रिर्जव बैक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण करके देश के केन्द्रीय बैक को पूर्णरूप से सरकारी बैक कर दिया गया है। बैको के सन्तुलित विकास तथा उन पर प्रभावशाली नियत्रण करने के लिए सरकार द्वारा बैकिग कम्पनीज एक्ट 1949 पारित किया गया एव 1955 मे इम्पीरियल बैक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गयी। 1969 मे देश के 14 व्यावसायिक बैको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 मे 6 अन्य बैको का राष्ट्रीयकरण किया गया।

औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए 1948 मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थाना की गई तथा 1955 मे औद्योगिक साख एव विनियोग निगम की स्थापना की गयी। देश के औद्योगीकरण के स्तर को उन्नत बनाने और औद्योगिक विकास से सम्बन्धित परियोजनाओ की स्थापना के लिए 1964 मे भारतीय औद्योगिक विकास बैक की स्थापना की गयी। देश मे औद्योगिक वित्त की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट,

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक जीवन बीमा निगम सामान्य बीमा निगम एव राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम आदि की भी स्थापना हुई।

1963 मे कृषि पुनर्वित्त एव विकास निगम एव 1968 मे कृषि वित्त निगम की स्थापना की गयी। 1975 मे कृषि एव ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना हुई। देश की आयात एव निर्यात की वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए 1982 मे भारतीय निर्यात एव आयात बैक की स्थापना की गयी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए 1982 मे राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण बैक की स्थापना की गयी।

बैंकों का वर्गीकरण

वर्तमान समय मे देश मे कार्यरत विभिन्न बैको को निम्न वर्गो मे वर्गीकृत किया जा सकता है

(1) केन्द्रीय बैक
(2) व्यावसायिक बैक
(3) सहकारी बैक
(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैक
(5) राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैक
(6) विकास बैक
(7) गैर–बैकिग वित्तीय मध्यस्थ
(8) अन्य प्रकार के बैक

केन्द्रीय बैंक

बैकिग जगत मे केन्द्रीय बैकिग एक अभूतपूर्व घटना है। इसीलिए विल रोजर्स ने केन्द्रीय बैकिग को महान मानवीय आविष्कार का दर्जा दिया

है। बैक आफ इग्लैण्ड विश्व का प्रथम केन्द्रीय बैक है जिसकी स्थापना सन् 1694 ई मे हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर सन् 1920 की ब्रसेल्स मे आयोजित अन्तराष्ट्रीय वित्तीय गोष्ठी मे पारित प्रस्तावो के आधार पर यह निश्चित किया गया कि जिन देशो मे अभी तक केन्द्रीय बैक स्थापित नही किये गये है वहॉ शिघ्रताशीघ्र इनकी स्थापना के प्रयत्न किये जाय जिससे उन देशो कि मौद्रिक एव बैकिग व्यवस्थाओ मे स्थिरता का भाव उत्पन्न किया जा सके एव अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक एव वित्तीय सहयोग को बढावा मिले।[1] भारत मे तीन प्रेसीडेन्सी बैको के एकीकरण के द्वारा सन् 1921 ई मे इम्पेरियल बैक आफ इण्डिया की स्थापना की गयी जो व्यवसायिक बैक के साथ ही साथ केन्द्रीय बैक सम्बन्धी कुछ कार्यो को भी करता था। किन्तु हिल्टन यग कमीशन (1926) की सिफारिशो के आधार पर एक पृथक केन्द्रीय बैक के रूप मे रिजर्व बैक आफ इण्डिया की स्थापना के सम्बन्ध मे 8 सितम्बर सन् 1933 को सभा मे एक बिल पेश किया गया। बिल पारित होने पर गर्वनर जनरल ने उसे अपनी स्वीकृति 6 मार्च सन् 1934 को प्रदान कर दी। इस स्वीकृति के आधार पर रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने 13 अप्रैल 1935 से केन्द्रीय बैक के रूप मे कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।[2] एम एच डी कोक ने केन्द्रीय बैक के निम्नलिखित सात कार्यो की चर्चा की है

(1) निर्गमनकर्त्ता बैक

(2) सरकारी बैकर ऐजेण्ट तथा वित्तीय सलाहकार

(3) सदस्य बैको के नकद कोष का सरक्षक

(4) विदेशी मुद्रा के राष्ट्रीय कोष का सरक्षक

(5) अन्तिम ऋणदाता

(6) समाशोधन गृह के रूप मे कार्य करते हुए केन्द्रीय निपटारा एव हस्तान्तरण बैक

---

1 डी काक एम एच केन्द्रीय बैकिग (तीसरा सस्करण) पेज 19

2 स्नातको के लिए अधिकोषण तथा बीमा डॉ एस ए अन्सारी।

(7) साख नियन्त्रण

किसी भी देश के केन्द्रीय बैक का प्राथमिक एव महत्वपूर्ण कार्य सरकार की आर्थिक नीति के परिप्रेक्ष्य मे मौद्रिक प्रणाली को इस प्रकार नियन्त्रित करना है जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था का चहुँमुखी विकास होकर देश मे आर्थिक स्थायित्व स्थापित हो सके। रिजर्व बैक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बैकर के रूप मे कार्य करता है एव केन्द्रीय और राज्य सरकारो को विभिन्न आर्थिक मामलो मे सलाह देता है। रिजर्व बैक देश मे साख नियन्त्रण करने के लिए बैक दर खुले बाजार की क्रियाए न्यूनतम नकद कोष चयनात्मक साख नियन्त्रण तथा नैतिक दबाव आदि रीतियो का प्रयोग करता है।

व्यावसायिक बैंक

सामान्यतया जब बैक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय व्यावसायिक बैक से ही होता है। ब्रिटिश ससद ने बैक की परिभाषा देते समय कहा कि बैक एक फर्म या सस्था है जो परम सदविश्वास के साथ बैकिग व्यवसाय करता है। ये बैक छोटी–छोटी बचतो को एकत्रित करके आवश्यकता वाले क्षेत्रो मे विनियोजित करते है। व्यवसायिक बैक को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है

(1) अनुसूचित बैक

(11) गैर–अनुसूचित बैक

(111) लाइसेन्स धारी बैक

(1v) गैर लाइसेन्स धारी बैक

(v) सार्वजानिक क्षेत्र के बैक

(v1) निजी क्षेत्र के बैक

(v11) भारतीय बैक

(v111) विदेशी बैक

(i) अनुसूचित व्यवसायिक बैंक

वह बैक जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची मे सम्मिलित कर लिया गया हो उसे अनुसूचित बैक कहते है। अधिनियम की धारा 42 (6) के अनुसार किसी ऐसे बैक का नाम द्वितीय अनुसूची मे सम्मिलित कर लिया जायेगा जो भारत मे बैकिग व्यवसाय करता हो तथा निम्न शर्तो को पूरा करता हो।

1 उसकी प्रदन्त पूॅजी तथा रक्षित निधि 5 लाख रूपये से कम मूल्य की न हो।

2 बैक के कार्य कलाप जमाकर्न्ताओ के हितो के विपरीत न हो।

3 यह बैक एक राज्य सहकारी बैक अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अनुसार एक कम्पनी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय से अधिसूचित एक सस्था अथवा भारत के बाहर प्रचलित किसी सन्नियम के अन्तगर्त सम्मिलित कोई निगम अथवा कम्पनी हो।

(ii) गैर-अनुसूचित व्यवसायिक बैंक

गैर—अनुसूचित बैक वे बैक है जिनका नाम रिजर्व बैक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची मे सम्मिलित नहीं किया गया है। यद्यपि इन बैको को वे समस्त सुविधाएॅ उपलब्ध नही होती जो कि अनुसूचित बैको को प्राप्त होती है परन्तु बैकिग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक बैकिग कम्पनी जो कि एक अनुसूचित बैक नहीं है, को एक नकद कोष रखना आवश्यक है।

(iii) लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक

वे बैक जो बैकिग नियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अनुसार

लाइसेन्स प्राप्त करके बैकिग कार्य करते है उन्हे लाइसेन्सधारी बैक कहते है। रिजर्व बैक निम्नलिखित बातो से सतुष्ट होने पर लाइसेन्स प्रदान करता है।

1 कम्पनी के व्यवसाय का सचालन जमाकर्त्ताओ के प्रतिकूल न हो।

2 कम्पनी अपने वर्तमान तथा भावी जमाकर्त्ताओ के दोवो की मॉग का पूर्ण भूगतान करने की स्थिति मे होगी।

3 कम्पनी के प्रस्तावित प्रबन्ध तन्त्र का स्वरूप जनता अथवा जमाकर्त्ताओ के हितो के प्रतिकूल न हो।

4 कम्पनी की पूॅजी सरचना तथा उपार्जन क्षमता पर्याप्त हो।

5 अन्य शर्त जो रिजर्व बैक उचित समझता हो।

(iv) गैर लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैंक

वे बैक जो बैकिग नियमन अधिनियम की धारा 22(1) के अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त नही करते है गैर लाइसेन्सधारी व्यवसायिक बैक कहलाते है।

(v) सार्वजनिक बैंक

वह बैक जिनका राष्ट्रीय करण कर दिया गया है उन्हे सार्वजनिक बैक कहते है। सार्वजनिक बैक को निम्न दो भागो मे बॉटा जा सकता है।

(1) स्टेट बैक तथा उसके सहयोगी बैक

(2) राष्ट्रीय कृत व्यावसायिक बैक

भारत मे वर्तमान मे 28 सार्वजनिक बैक है।[1]

---

1 स्नातको के लिए अधिकोषण एव बीमा डा एस ए उन्सारी पेज न 149

भारतीय स्टेट बैंक

अगस्त 1951 मे रिजर्व बैक ने श्री गोरवाला की अध्यक्षता मे ग्रामीण साख की समस्याओ की जॉच करने तथा उनसे सम्बन्धित सुझाव देने हेतु ग्रामीण सास सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की थी जिसने अपनी रिपोर्ट 1954 मे प्रस्तुत की थी। इस समिति का यह मत था कि यह बैक इम्पीरियल बैक तथा 10 बैको (जिनकी स्थापना देशी राज्यो मे वहॉ की सरकार के सहयोग से हुई थी) को मिलाकर बनाया जाय। इस बैक की अधिकाश पूँजी सरकारी अधिकार मे रखने का सुझाव दिया गया था। इस नये बैक का नाम स्टेट बैक ऑफ इण्डिया रखने की सिफारिश की गयी।[1]

भारत सरकार ने ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिश स्वीकार कर लिया और तदनुसार जुलाई 1955 से भारतीय स्टेट बैक की स्थापना कर दी।

1959 मे स्टेट बैक ऑफ इण्डिया (सबसीडियरी बैक) एक्ट 1959 पारित करके भूतपूर्व रियासतो से सम्बन्धित बैको का राष्ट्रीयकरण करके उन्हे भारतीय स्टेट बैक का सहायक बैक बना दिया गया। ये बैक निम्न थे

1 स्टेट बैक ऑफ जयपुर

2 स्टेट बैक ऑफ इन्दौर

3 स्टेट बैक ऑफ हैदराबाद

4 स्टेट बैक ऑफ मैसूर

5 स्टेट बैक ऑफ पटियाला

6 स्टेट बैक ऑफ बीकानेर

7 स्टेट बैक ऑफ ट्रावनकोर

8 स्टेट बैक ऑफ सौराष्ट्र

---

1 मुद्रा बैकिग एव राजस्व डॉ हरिश्चन्द्र शर्मा 1995 पेज न 90

सहकारी बैंक

भारत मे सहकारी बैक भी बैकिग के आधार–भूत कार्य सम्पन्न करते है किन्तु ये व्यावसायिक बैको से भिन्न होते है। देश मे सहकारी बैको की स्थापना अलग–अलग राज्यो द्वारा बनाए गए सहकारी समितियो के अधिनियमो द्वारा की गई है। सहकारी बैको का गठन देश मे तीन स्तरो वाला है। राज्य सहकारी बैक सम्बन्धित राज्य मे शीर्ष सस्था होती है। इसके बाद केन्द्रीय या जिला सहकारी बैक जिला स्तर पर कार्य करते है। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियो का होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है।

उपयुक्त त्रिस्तरीय सहकारी बैको के अतिरिक्त 16 सितम्बर 1985 से एक बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (1984) के अन्तगर्त कुछ बहुराज्यीय सहकारी समितियो का गठन भी किया गया है जो एक राज्य तक सीमित नही होती तथा एक से अधिक राज्यो मे सदस्यो की आवश्यकताए पूरी करती है। इस प्रकार की बहुराज्यीय सहकारी समितियॉ केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार मे आती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक राष्ट्रीयकृत बैको के तत्वाधान मे ग्रामीण क्षेत्रो मे खोले गये है। इन बैको के दो प्रमुख उद्देश्य है, प्रथम कृषि व्यापार वाणिज्य तथा अन्य उत्पादक कार्यो के लिए वित्त व्यवस्था करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। द्वितीय छोटे–छोटे साहसियो, शिल्पकारो कृषि श्रमिको तथा छोटे एव अन्य सीमान्त कृषको के लिए साख एव अन्य सुविधाऍ प्रदान कर उन्हे साहूकारो के चगुल से बचाना।

सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद तथा गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) भिवानी (हरियाणा) जयपुर (राजस्थान) तथा मालदा (पश्चिम बगाल)

मे पॉच क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना की गयी। बाद मे देश के अन्य भागो मे भी इन बैको का विस्तार किया गया। बैक की पूँजी मे 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार 15 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 35 प्रतिशत प्रायोजक बैक का हिस्सा होता है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ("NABARD")

इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 मे की गयी। नार्वाड ग्रामीण क्षेत्रो मे एक शीर्षस्थ सस्था के रूप मे अनेक वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त सुविधाए प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रो मे उत्पादन गतिविधियो के विस्तृत क्षेत्रो को बढावा देने के लिए ऋण देती है।

विकास बैंक

देश मे मध्यम और दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त की व्यवस्था के लिए विकास बैको की स्थापना की गयी थी। जिनमे मुख्य निम्नलिखित है

(i) औद्योगिक वित्त निगम

1 जुलाई 1948 को देश मे औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गयी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य देश मे दीर्घकालीन एव मध्यकालीन ऋण प्रदान करना है। निगम केवल ऐसी सहकारी समितियो तथा लिमिटेड कम्पनियो को ऋण प्रदान करता है जो भारत मे स्थापित हो तथा वस्तुओ का निर्माण अथवा विधियन खनन विद्युत शक्ति का सृजन अथवा वितरण जहाजरानी एव जहाज निर्माण होटल उद्योग एव वस्तुओ के सरक्षण मे सलग्न उद्योगो से सम्बन्धित हो।

(ii) राज्यों के वित्तीय निगम

राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 मे भारत सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकारो को अपने राज्यो के लिए पृथक वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य की लघु एव मध्यम आकार वाली औद्योगिक सस्थाओ को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना था। पजाब राज्य मे सर्वप्रथम 1953 मे राज्य वित्त निगम की स्थापना की गई और इसके बाद विभिन्न राज्यो ने अपने–अपने राज्यो मे वित्त निगमो की स्थापना की।

(iii) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

इसकी स्थापना 1954 मे कम्पनी अधिनियम के अन्तगर्त एक सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप मे की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य उद्योगो के सन्तुलित एव सगठित विकास मे सरकार की सहायता करना है।

(iv) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम

इस निगम की स्थापना 1955 मे भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तगर्त एक लिमिटेड कम्पनी के रूप मे की है। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र मे उपक्रमो के निर्माण विकास आधुनिकीकरण के कार्य मे सहायता प्रदान करना एव विनियोग बाजारो का विकास करना है। यह दीर्घकालीन एव मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है।

(v) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम

रूग्ण इकाइयो के पुनर्निर्माण मे सहायता करने के लिए 1971 मे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना गयी थी। मार्च 1984 मे

इस निगम का पूरा उपक्रम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक को हस्तान्तरित कर दिया गया था। इस बैक का मुख्य उद्देश्य बन्द पडी निष्क्रीय एव रूग्ण औद्योगिक इकाइयो का पुनर्निर्माण कर उन्हे नवजीवन प्रदान करना है।

(vi) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

देश के औद्योगिक विकास मे वित्तीय आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैक की स्थापना सन् 1964 मे रिजर्व बैक के एक अनुषगी बैक के रूप मे की गयी थी। 1976 मे इसे रिजर्व बैक से अलग कर दिया गया और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया। इस बैक का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उद्यमो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ

इसके अन्तर्गत निम्न सस्थाओ को सम्मिलित किया जाता है

(i) भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जुलाई 1964 मे हुई। यह समाज के विभिन्न वर्गो की बचत को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियो मे विनियोजित करती है। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य छोटी–छोटी बचतो को विकास कार्यो के लिए गतिशील बनाना तथा देश मे पूँजी निर्माण को अधिक तेज करना है।

(ii) जीवन बीमा निगम

जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करके जीवन बीमा व्यवसाय चलाने के लिए सितम्बर 1956 मे जीवन बीमा निगम की स्थापना की गयी। यद्यपि जीवन बीमा निगम का मुख्य कार्य पालिसी धारियो के जीवन पर बीमा

करना है किन्तु इस माध्यम से यह छोटी–छोटी बचतो को एकत्रित करती है तथा उनका विनियोग विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियो मे करती है। इस समय जीवन बीमा निगम एक महत्वपूर्ण विनियोक्ता के रूप मे कार्य कर रहा है।

(iii) सामान्य बीमा निगम

सामान्य बीमा निगम की स्थापना दिसम्बर 1972 मे एक सरकारी कम्पनी के रूप मे की गयी थी। निगम की अधिकृत पूॅजी 75 करोड रूपये है जो सौ–सौ रूपये के 75 लाख समता अशो मे विभक्त है। यह एक सूत्रधारी कम्पनी है जिसकी चार सहायक कम्पनियॉ है। सामान्य बीमा का समस्त कार्य ये चारो कम्पनियॉ करती है।

(iv) भारतीय आयात-निर्यात बैंक

इस बैक की स्थापना आयात–निर्यात के क्षेत्र मे विकास बैक के रूप मे 1 जनवरी 1982 को की गयी। यह एक वैधानिक निगम है जिसका सम्पूर्ण नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास है। इस बैक का मुख्य उद्देश्य वित्त की व्यवस्था तथा देश के अन्तराष्ट्रीय व्यापार को बढावा देने के लिए माल और सेवाओ के आयात–निर्यात को सुविधाजनक बनाना है।

अग्रणी बैंक

14 बैको के राष्ट्रीयकरण के पश्चात एफ के एफ नरीमान की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट 15 नवम्बर 1969 को प्रस्तुत की। इस समिति ने सुझाव दिया कि देश के सभी जिलो को बैको के मध्य बॉट दिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक बैक को अपने हिस्से मे आये जिलो मे बैको की शाखाओ के विस्तार साख वितरण व सामान्य

विकास के लिए उत्तर दायी बनाया जाना चाहिए। सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार भारत के 335 जिलो को 17 बैको मे बॉटा गया। वर्तमान मे अग्रणी बैक योजना 443 जिलो मे लागू है जिसका उत्तरदायित्व निम्न बैको पर है

अग्रणी बैंक

1 यूनियन बैक ऑफ इण्डिया
2 स्टेट बैक ऑफ हैदराबाद
3 भारतीय स्टेट बैक
4 इलाहाबाद बैक
5 स्टेट बैक ऑफ इन्दौर
6 आन्ध्र बैक
7 स्टेट बैक ऑफ मैसूर
8 बैक ऑफ इडिया
9 बैक ऑफ पटियाला
10 बैक ऑफ इण्डिया
11 बैक ऑफ सौराष्ट्र
12 बैक ऑफ महाराष्ट्र
13 देना बैक
14 बैक ऑफ राजस्थान लि
15 इण्डियन बैक
16 केनरा बैक
17 इण्डियन ओवरसीज बैक
18 कॉरपोरेशन बैक
19 जम्मू एव कश्मीर बैक
20 यूनाइटेड बैक ऑफ इण्डिया
21 पजाब नेशनल बैक

22 यूको बैक

23 पजाब एण्ड सिध बैक

24 यू पी स्टेट कॉआपरेटिव बैक लि

25 सिडीकेट बैक

26 विजया बैक

27 स्टेट बैक ऑफ वि ए जयपुर

28 सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया

अग्रणी बैक से आशय उस बैक से होता है जिसे कुछ जिलो मे बैकिग विकास का उत्तरदायित्व सौपा जाता है जैसे उत्तर प्रदेश मे यूनियन बैक ऑफ इण्डिया को निम्न 7 जिले सौपे गये है

(1) जौनपुर

(11) वाराणसी

(111) भदोही

(1v) गाजीपुर

(v) मऊ

(v1) आजमगढ

(v11) चन्दौली

यह बैक इन सातो जिलो के लिए अग्रणी बैक है जिसपर उपरोक्त जिलो मे बैकिग विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। जब कभी किसी राज्य मे नये जिले सृजित होते है तो रिजर्व बैक उन जिलो को भी एक अग्रणी बैको को सौप देता है।

अग्रणी बैंक के कार्य

रिजर्व बैक द्वारा अग्रणी बैको के निम्न कार्य निर्धारित किये गये है

(1) आवटित जिलो मे बैकिग विकास की सम्भावनाओ का सर्वेक्षण करना।

(11) उन औद्योगिक एव व्यापारिक इकाइयो की जानकारी प्राप्त करना जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ बैक के माध्यम से पूरी नही कर पा रही है।

(111) आवटित जिले मे कृषि उपज के सग्रह एव बिक्री की स्थिति का अध्ययन करना।

(1v) अपने क्षेत्र मे खाद व कृषि के काम आने वाली वस्तुओ के रखने वाले व्यापारियो तथा कृषि औजारो की मरम्मत की सुविधा प्रदान करने वालो का पता लगाना।

(v) ऋण देने वाली प्राथमिक एजेन्सियो की सहायता करना।

(v1) सरकारी व अर्द्धसरकारी एजेन्सियो से सम्पर्क करना तथा

(v11) ग्रामीण बैको की स्थापना करने का दायित्व अपने जिलो मे 2 अक्टूबर 1975 से इन्ही बैको को सौपा गया है।

अग्रणी बैंक योजना की सफलता

इस योजना की प्रमुख सफलता निम्न है

(1) बैको की शाखाओ का विस्तार हुआ है।

(11) बिना बैक वाले स्थानो पर बैक स्थापित हुई है।

(111) सभी जिलो का गहन सर्वेक्षण बैकिग सुविधाओ की आवश्यकता को ध्यान मे रखकर किया गया है।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको मे 35 प्रतिशत पूँजी अग्रणी बैक ने लगायी है।

(v) अविकसित ग्रामीण क्षेत्रो मे बैक का विकास हुआ है।

व्यावसायिक बैंकों की प्रगति

देश मे व्यावसायिक बैको की प्रगति का विश्लेषण निम्न तालिकाओ द्वारा किया जा सकता है

तालिका 3 1

अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों की बैक/शाखावार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

वर्ष	अनुसूचित बैक		गैर-अनुसूचित बैक	
	बैको की सख्या	शाखाओ की सख्या	बैको की सख्या	शाखाओ की सख्या
1949	94	2852	526	1589
1956	89	2953	333	1240
1961	82	4388	209	725
1969	73	8045	16	217

Source Ansarı Mohd Salman- "Workıng of the Regıonal Rural Banks ın Eastern Uttar Pradash" Page - 21

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आजादी के पश्चात देश मे बैको की सख्या बहुत कम थी तथा राष्ट्रीयकरण के पूर्व तक यह निरन्तर कम

होती गयी। इस कमी का कारण अलाभकारी बैक थे उनको बन्द कर दिया गया या तो दूसरे मे विलय कर दिया गया। वर्ष 1949 मे इन अनुसूचित बैको की शाखाओ की सख्या 2852 थी जो कि 1969 मे बढकर 8045 हो गयी। जबकि गैर अनुसूचित बैको की शाखाओ की सख्या जो 1949 मे 1589 थी घटकर 1969 मे 217 रह गयी।

तालिका 3 2

व्यावसायिक बैको की शाखाओ की प्रगति का क्रमवार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति)

क्र स	वर्ष जून के अन्त मे	भारत शाखाओ की सख्या	उत्तर प्रदेश शाखाओ की की सख्या	भारत प्रति बैक औसत जनसख्या (हजार मे)	उत्तर प्रदेश प्रति बैक औसत जनसख्या (हजार मे)	उत्तर प्रदेश का अखिल भारत से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	1969	8262	747	65	119	9 04
2	1989	57698	8066	12	14	13 97
3	1990	59388	8355	12	13	14 06
4	1991	60190	8444	12	13	14 02
5	1992	60649	8512	11	13	14 03
6	1993	61248	8578	11	13	14 01
7	1994	61742	8607	14	16	13 94
8	1995	62346	8646	14	16	13 87
9	1996	63084	8680	15	18	13 76
10	1997	63724	8765	15	18	13 75
11	1998	64280	8818	16	18	13 57
12	1999	64713	8839	16	19	13 66
13	2000	64976	8863	16	19	13 64

स्रोत (1) भारतीय रिजर्व बैक बुलेटिन

(2) रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

नोट— 1969 की औसत जनसख्या 1961 की जनगणना पर आधारित है। 1989 से 1993 तक 1981 की जनगणना के अनुसार तथा इसके पश्चात 1991 की जनसख्या पर आधारित है।

तालिका 3 2 से स्पष्ट है कि वाणिज्य बैको की शाखाओ मे निरन्तर प्रगति हुई है। जून 1969 मे शाखाओ की सख्या 8263 थी जबकि 20 वर्ष पश्चात 1989 मे 57698 हो गयी इस प्रकार 598 35 प्रतिशत (29 91 प्रतिशत प्रतिवर्ष) की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जून 2000 के अन्त तक भारत मे व्यावसायिक बैको की कुल शाखाओ की सख्या 64976 हो गयी। इस प्रकार 1989 की तुलना मे 2000 मे 12 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मे भी 1969 की अपेक्षा 1989 मे 979 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि अखिल भारतीय वृद्धि की तुलना मे अधिक है। जून 2000 के अन्त मे उत्तर प्रदेश मे कुल शाखाओ की सख्या 8863 हो गयी। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति बैक औसत जनसख्या जून 1969 मे 65 हजार थी जबकि बाद के वर्षो मे कम हो गयी और 1989 मे 12000 प्रति बैक हो गयी तथा 2000 मे पुन बढकर प्रति बैक औसत जनसख्या 16000 हो गयी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मे भी जून 1969 के अन्त मे प्रति बैक औसत जनसख्या 119 हजार थी तथा बाद के वर्षो मे कम होकर 1989 मे 14 हजार तथा पुन बठकर 2000 मे 19 हजार हो गयी। उत्तर प्रदेश का अखिल भारत से प्रतिशत जून 1969 मे 9 04 था जबकि बाद के वर्षो मे 14 प्रतिशत के लगभग रहा।

तालिका 3.3

व्यवसायिक बैको की जमा-ऋण प्रगति का विवरण

(राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति)

(करोड रूपये मे)

क्र स	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	सकल ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	1949	844	482	57 12
2	1961	1873	1335	71 28
3	1967	3741	2646	70 73
4	1969	4674	3615	77 34

Source Ansarı Mohd Salman- "Workıng of the Regıonal Rural Banks ın Eastern Uttar Pradash" Page - 21

तालिका 3 3 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आजादी के पश्चात तथा राष्ट्रीय करण से पूर्व बैको की जमाओ तथा ऋणो मे निरन्तर प्रगति हुई है। वर्ष 1949 मे कुल जमा धनराशि 844 करोड थी जो 1969 मे बढकर 4674 करोड रूपये हो गयी। इस प्रकार जमाओ मे 453 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1949 मे सकल ऋण की राशि 482 करोड रूपये थी जो 1969 मे 3615 करोड हो गयी। इस प्रकार ऋणो मे 650 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो कि जमा की वृद्धि की अपेक्षा लगभग 150 प्रतिशत अधिक थी। ऋण जमा अनुपात भी सन्तोषजन रही। ऋण जमा अनुपात 1949 मे 57 12 प्रतिशत था जो कि बाद के वर्षो मे 1961 1967 व 1969 मे क्रमश 71 28 70 73 77 34 प्रतिशत रहा। ऋण जमा अनुपात से यह विदित होता है कि बैको ने अर्थव्यवस्था के विकास मे महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।

तालिका 3.4

भारत मे सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैको की जमा-ऋण प्रगति का क्रमवार विवरण

(राष्ट्रीयकरण के बाद की स्थिति)

(धनराशि करोड रूपये मे)

क्र स	वर्ष	सकल जमा	सकल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	1971	5906	4684	79 3
2	1976	14155	10877	76 8
3	1981	37988	25371	66 8
4	1986	85404	56067	65 7
5	1991	192542	116301	60 4
6	1996	433819	254015	58 6
7	1997	505599	278401	55 1
8	1999	714025	368837	51 7
9	2000	813345	435958	53 6

स्रोत (1) रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

(2) रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया बुलेटिन

(3) बैकिग साख्यिकीय

तालिका 3 4 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भारत मे सभी अनुसूचित व्यासायिक बैको की जमाओ तथा ऋणो मे निरन्तर प्रगति हुई है। 1971 मे जमा 5906 करोड रूपये था जो कि 1981 मे 37988 तथा 1991 मे 192542 करोड रूपये हो गयी और यह बढकर 2000 मे 813345 करोड

हो गयी। इसी प्रकार ऋण मे भी निरन्तर वृद्धि रही 1971 मे यह राशि 4684 करोड रूपये थी जो कि 1981 1991 एव 2000 मे बढकर क्रमश 25371 116301 तथा 435958 करोड रूपये हो गयी। ऋण जमा अनुपात प्रत्येक वर्ष सन्तोष जनक रहा जो कि 50 प्रतिशत से सदैव ऊपर रहा है। 1971 मे सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात 79 3 प्रतिशत था जबकि न्यूनतम 1999 मे 51 7 प्रतिशत था। 2000 मे पुन बढकर 53 6 प्रतिशत हो गया।

अध्याय - 4

ग्रामीण वित्त व्यवस्था एवं स्रोत

अध्याय-4

ग्रामीण वित्त

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की अधिकाश जनता गाँवो मे निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र मे लोगो की वित्तीय आवश्यकता अनेक प्रकार की होती है जिसमे से प्रमुख निम्न दो प्रकार की है

(क) कृषि वित्तीय आवश्यकता

(ख) गैर कृषिय वित्तीय आवश्यकता।

कृषि वित्तीय आवश्यकता

भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय एव कुल रोजगार के अवसरो मे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। परन्तु अन्य देशो की तुलना मे सापेक्षिक दृष्टिकोण से भारतीय कृषि अपनी अल्प उत्पादिता एव पिछडे पन के लिए विख्यात है जबकि कृषि क्षेत्र को न केवल कृषि कार्य मे लगे हुए लोगो के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए, अपितु अतिरेक भी सृजित करना चाहिए। इससे कृषि के अभिनवीकरण एव उसमे पर्याप्त विनियोग की आवश्यकता प्रतीत होती है और कृषि साख का महत्व स्पष्ट होता है। भारत मे कृषि की नवीन तकनीक का प्रादुर्भाव (1960–61–1970–71) के दशक मे हुआ है। प्रत्येक कृषक परिवार इस नवीन तकनीक से कृषि मे सुधार एव उससे लाभ उठाना चाहता है जबकि यह तकनीक विभिन्न आधुनिक आगमो

जैसे— रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाए आधुनिक कृषि यन्त्र ट्रैक्टर थ्रेसर पम्पसेट आदि पर आधारित है जिसके लिए कृषि साख की आवश्यकता पडती है।

भारत मे साधारणतया छोटी जोत वाले कृषको की आय मात्र जीवन निर्वाह के लिए ही सभव हो पाती है। कभी—कभी तो उसे आवश्यक उपभोग के लिए भी ऋण लेना पडता है ऐसे निर्धन समाज मे कृषक को प्रत्येक फसल मे खेती के कार्यो के लिए जैसे खाद बीज जुताई आदि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है।

कृषि साख का प्रकार एवं वर्गीकरण

बैकिग सस्थाओ और वित्त के प्रकारो को समझने के लिए कृषको द्वारा ऋण की मॉग के प्रकार को जानना आवश्यक है। कृषको के बीच भिन्न—भिन्न प्रकार के ऋणदाताओ को जानना और इन ऋणदाताओ द्वारा भिन्न—भिन्न प्रकार का ऋण भिन्न प्रकार के उद्देश्यो के लिए प्रदान करना की भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

कृषि साख को विभिन्न आधारो पर वर्गीकृत किया जा सकता है जो कि निम्नलिखित है

(1) खेती के स्वभाव के आधार पर

(11) आर्थिक स्थिति के आधार पर

(111) उत्पादकता के आधार पर

(1v) अवधि के आधार पर

(v) सुरक्षा के आधार पर

(v1) साख सस्थाओ के आधार पर

(i) खेती के स्वभाव के आधार पर

खेती के स्वभाव के आधार पर कृषि साख का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे क्या कृषक नकद फसल के लिए ऋण ले रहा है या फल फूल उगाने के लिए या बागवानी के लिए या फिर मिश्रित खेती के लिए ऋण प्राप्त कर रहा है।

(ii) आर्थिक स्थिति के आधार पर

कृषि साख का दूसरा वर्गीकरण सामान्यत कृषक की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। जो बहुत लाभदायक है। कृषक का यह वर्गीकरण उनके खेती के आधार पर किया जाता है। प्रथम बार भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने इस आधार पर कृषक ऋण प्राप्तकताओ का वर्गीकरण किया। इसमे कृषको को समिति ने तीन वर्गो मे रखा (1) बडा कृषक (2) मध्यम कृषक (3) छोटा कृषक।

(iii) उत्पादकता के आधार पर

इस आधार पर कृर्षि साख दो प्रकार के होते है

(अ) उत्पादक साख (ब) उपभोक्ता साख

(अ) उत्पादक साख : उत्पादक साख को ऐसे साख के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है जो कृषको द्वारा अपनी आय को अधिक बढाने के लिए एव अपनी उत्पादन क्षमता को बढाने के उद्देश्य से लिया जाता है। उत्पादक साख विनियोग के उद्देश्यो के लिए लिये जाते है। साख के प्रयोग की प्रवृत्ति कुछ निश्चित सम्पत्ति जैसे कुऑ ट्रैक्टर पम्पसेट बीज थ्रेशर मशीनो आदि को खरीदने के लिए लिया जा सकता है। उत्पादक साख को पुन निम्न वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है

राजीनामा साख यह वह साख है जिसे नये ऋण की व्यवस्था पुन निवास खेती छाया की बनावट या खेती के भवन के लिए लिया जाता है।

विकास साख यह ऐसी साख है जिसे कुँओ का खोदना नाली की व्यवस्था या भूमि को समतल करने के उद्देश्य से लिया जाता है।

साज और समान साख : साज और समान साख (औजार) वह साख है जिसे औजारो को खरीदने के लिए प्राप्त किया जाता है जैसे ट्रैक्टर पम्पसेट या मशीनो की मरम्मत के लिए और अपने खर्चो के लिए।

(ब) उपभोक्ता साख : उपभोक्ता साख सेवा या दैनिक उपभोग की वस्तुओ की शीघ्र आवश्यकता की सतुष्टि के लिए लिया जाता है। ऐसी उपभोक्ता साख या ऋण की पुन अदायगी भविष्य मे आय की आशा पर निर्भर होती है।

एक समय उपभोक्ता साख को ऋण देने वाली सस्थाओ के द्वारा अनुकूल विचार नही किया गया। लेकिन अब यह महसूस किया गया कि कुछ कृषक अपने शीघ्र और दैनिक उपभोग की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दो फसलो के बीच उन लोगो को सक्षम बनाने के लिए और उनके परिवार सन्तोषपूर्वक कार्य करने के लिए प्राप्त कर सकते है। ऐसी साख को लगभग उपभोक्ता साख के दर्जा पर विचार किया जा सकता है। फिर भी यह निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि उपभोक्ता साख को अनावश्यक चीजो पर खर्च न किया जाय जैसे चल सम्पत्ति या विलासिता की वस्तुओ पर आदि।

(iv) अवधि के आधार पर साख

कृषि साख का चौथा महत्वपूर्ण वर्गीकरण समय की अवधि या अन्तराल के आधार पर किया जा सकता है। अवधि के आधार पर साख निम्न तीन प्रकार की होती है

(1) अल्पकालीन या मौसमी साख : खेती मे निरन्तर होने वाले कार्यो जैसे बीज खाद व उर्वरक खरीदना फसल काटते समय या कृषिकार्य की अन्य प्रक्रिया मे श्रमिको की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के ऋण की अवधि 3 माह से 18 माह की होती है। अर्थात् दो फसलो या तीन फसलो के बीच का समय होता है। ऐसे ऋणो का भुगतान प्राय फसल कटने पर कर दिया जाता है।

(2) मध्यकालीन साख . मध्यम काल का ऋण वह ऋण होता है जो 18 माह से लेकर 5 वर्ष तक के लिए दिये जाते है। मध्यम दर्जा का ऋण बैल या दूध वाले जानवर या छोटे कृषि यत्र कुएँ की खुदाई या कृषि योग्य भूमि के विकास के उद्देश्य के लिए दिया जाता है। वर्तमान समय मे कृषि कार्य के अभिनवीकरण की प्रकिया मे मध्यकालीन साख की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है।

(3) दीर्घकालीन साख : दीर्घकालीन ऋण के अर्न्तगत 5 वर्ष से 25 वर्ष तक का लम्बा समय वाला ऋण विचार किया जा सकता है। लम्बे समय का ऋण नयी जमीन खरीदने के लिए या भूमि के टुकडे मे निश्चित विकास के लिए जैसे खेती पर सिचाई कुआ नाली महगे कृषि यन्त्रो जैसे ट्रैक्टर पम्पिग सेट आदि खरीदने के लिए लिया जाता है।

(v) सुरक्षा के आधार पर वर्गीकरण

साख का पॉचवा वर्गीकरण सुरक्षित और असुरक्षित ऋण है। सम्भवत ऋण देने वाली सस्थाये कृषको को ऋण की सुरक्षा मे व्यक्त खतरे की पूर्ति करने के लिए ऋण के बदले सन्तोषपूर्ण एव उचित जमानत रखने के लिए इच्छुक होती है।

सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित ऋण को आगे तीन उपवर्गो मे वर्गीकृत किया गया है जो निम्न है

(अ) वास्तविक या बन्धक साख या ऋण

(ब) चल साख

(स) व्यक्तिगत साख

इस सुरक्षित ऋण का वर्गीकरण तीन धन जैसे भूमि समान और चरित्र पर आधारित है।

(अ) वास्तविक बधक साख या ऋण · इस प्रकार की साख मे ऋण को अचल सम्पन्ति के बन्धक द्वारा सुरक्षित किया जाता है। जिसमे भूमि बन्धक साख के रूप मे प्रथम दर्जे की आती है। यह विशेष प्रकार की साख होती है। और इस छोटी भूमि की कीमत इसकी उत्पादकता इत्यादि के लिए प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के बन्धक साख को इसलिए विशेष प्रकार के साख सस्थाओ के सुपुर्द कर दिया गया जैसे भारत भूमि बधक विकास बैक।

(ब) चल साख यह साख दूसरे श्रेणी के अन्तर्गत आती है। इस प्रकार के ऋण की चल सम्पतियो के जमानत पर सुरक्षित किया जाता है। जैसे हिस्सा इकरारनामा वसीयत बीमा योजना नीति या चल समानो के नाम पर इत्यादि।

(स) व्यक्तिगत साख . व्यक्तिगत साख ऋण लेने वाले के चरित्र की सुरक्षा पर आधारित है। इसके अन्तर्गत ऋण लेने वाले के कार्य क्षमता कार्य का स्वभाव और इमानदारी तथा पहले की सूची इत्यादि को सम्मलित किया जाता है। यह साख व्यक्तिगत प्रतिज्ञा पत्र या तीसरे पक्षकार की जमानत के द्वारा सुरक्षित की जाती है।

(vi) साख संस्थाओं के आधर पर वर्गीकरण

वित्त प्रदान करने वाली सस्थाओ के आधार पर कृषि वित्त को निम्न दो भागो मे बाटा जा सकता है

(अ) गैर सस्थागत वित्त (ब) सस्थागात वित्त

(अ) गैर संस्थागत वित्त - साख सस्था व्यक्तिगत दल हो सकता है जैसे साहूकार स्वदेशी ऋणदाता विक्रेता सम्बन्धी और मित्र। व्यक्तिगत साख पर सरकार द्वारा पारित नियम या नियत्रण लागू नही होते है। साहूकार अधिनियम सामान्यत किसी सार्वजनिक सस्था द्वारा शासित नही किये जाते और सामान्यत सार्वजनिक निरीक्षण या निर्देश का विषय नही होता। प्राय यह महसूस किया गया कि व्यक्तिगत साख बडे रकम के लिए उपयोगी नही तथा यह शोषित भी है। व्यक्तिगत साख के सम्बन्ध मे जो कुछ भी कानूनी कार्य ढॉचा आता है जिसे ऐसा करने के लिए माना गया अधिकाश को व्यक्तिगत ऋणदाता की इच्छा पर छोड दिया जाता है।

(ब) सस्थागत वित्त व्यक्तिगत साख की दोषो को देखते हुए वित्तीय व्यवस्था सामाजिक सस्थाओ व्यापारिक बैको बीमा कम्पनियो इत्यादि के द्वारा कृषि वित्त को सुरक्षा प्रदान किया गया। ये सस्थाये सार्वजनिक नियत्रण के अन्तर्गत कार्य करती है जैसे भारतीय कम्पनी अधिनियम बैक नियत्रण अधिनियम आदि। सस्थागत सस्थाओ को नियमो और नियमितता के द्वारा बाधा गया और उनके लेखा जोखा और हिसाब की सार्वजनिक जाच के लिए खोल दिया गया है।

गैर कृषिय वित्तीय आवश्यकता

ग्रामीण ऋण (अकृषि) को गैर कृषि ग्रामीण ऋण, कृषयेतर क्षेत्र हेतु ग्रामीण ऋण इत्यादि नामो से जाना जाता है। ग्रामीण ऋण (अकृषि) की ऐसी कोई सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं है परन्तु इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है – ग्रामीण ऋण अकृषि वह क्षेत्र है जिसे गैर कृषि ग्रामीण ऋण कहा जाता है तथा यह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन भी हो सकता है व इससे बाहर भी तथा इसमे कृषि से इतर व्यवसायो लघु उद्योगो अत्यत लघु उद्योगो, कुटीर उद्योगो, कारीगरो

दस्तकारो को उद्योग व्यापार या सवर्द्धनात्मक क्रियाकलापो हेतु समिश्र व समान्वित ऋण प्रदान किया जाता है ताकि गॉवो का चहुॅमुखी विकास हो सके।

उक्त परिभाषा से ग्रामीण ऋण (अकृषि) तो स्पष्ट हो जाता है परन्तु उसमे आए हुए शब्द लघु उद्योग कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग व्यापार अथवा सवर्द्धनात्मक क्रियाकलापो को परिभाषित करना जरूरी हो जाता है ताकि उक्त परिभाषा को सही रूप मे समझा जा सके। अत इन उद्योगो की सक्षिप्त जानकारी निम्नवत् है – लघु उद्योगो को मुख्यत दो भागो मे बॉटा जाता है (1) लघु उद्योग औद्योगिक उपक्रम तथा (2) अनुषगी उपक्रम।

लघु उद्योगो को इकाई मे लगाई गयी सयत्र एव मशीनरी के प्रारम्भिक मूल्य मे निवेश की उच्चतम सीमाओ के अनुसार परिभाषित किया गया है।

लघु औद्योगिक उपक्रम : ऐसे औद्योगिक उपक्रम चाहे वह स्वामित्व अथवा पट्टे या किराये पर हो और जिसका स्थायी परिसम्पत्तियो मे सयत्र एव मशीनरी मे निवेश एक करोड रुपये से अधिक न हो।

अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रम : निम्नलिखित अपेक्षाओ को पूरा करने वाले औद्योगिक उपक्रम को अनुषगिक औद्योगिक उपक्रम के रूप मे पुन श्रेणी बद्ध किया जाएगा

एक औद्योगिक उद्यम जो पुर्जो घटको उप समन्वायोजन, औजारो अथवा मध्यवर्तियो का उत्पादन अथवा विनिर्माण कार्य करता हो या करना चाहता हो अथवा जो एक या अधिक औद्योगिक उपक्रम मे अपने उत्पादन/सेवाओ को 50 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति करता हो या करना चाहता हो जैसी भी स्थिति हो ओर उसका स्थायी परिसम्पत्त्यिो मे चाहे वे स्वामित्व अथवा पट्टे या किराये पर हो सयत्र एव मशीनरी मे निवेश एक करोड रुपये से अधिक न हो।

अति लघु उद्यम : अति लघु उद्यमो के लिए सयत्र एव मशीनरी मे निवेश का अ कितम सीमा २५ लाख रुपये है चाहे इकाई कही भी स्थित हो।

गैर कृषिय ग्रामीण ऋण - नवीनतम योजनाएँ

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि कार्य करने वाले कृषको का प्रतिशत 51 6 था जबकि कृषि श्रमिक 30 7 तथा अन्य क्रियाकलापो मे लगे श्रमिक 17 7 प्रतिशत है अर्थात 48 4 प्रतिशत कृष्येतर क्रियाकलापो मे लगे थे।[1] अत आयेाजनाकारो को जितना ध्यान कृषि पर देना चाहिए उतना ही ग्रामीण अकृषि क्षेत्रो के लिए भी दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बैक ने इस दिशा मे ठोस कदम उठाए है। इन्हे सक्षेप मे नीचे दिया जा रहा है

यहा यह उल्लेख करना प्रासगिक होगा कि राष्ट्रीय कृषि एव क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए भी अनेक नवीनतम योजनाओ के निर्माण एव वित्तपोषण से ग्रामीण अकृषि ऋण योजनाओ को महत्व दे रहे है। इसी सन्दर्भ मे महिलाओ के लिए व कौशल विकास के लिए विशेष योजनाओ का उल्लेख करना तर्क सगत रहेगा। प्रमुख योजनाए निम्नलिखित है [2]

1. शिल्पकार गिल्ड : कार्यरत शिल्पकारो को आपस मे मिलाने उनमे समूह भावना विकसित करके उनके व्यवसाय से सबधित जरूरतो समस्याओ को मिल बैठकर ढूढने के उद्देश्य से शिल्पकार गिल्ड योजना तैयार की है। इस योजना द्वारा शिल्पकार जहा एक ओर सगठित होकर नए–नए उत्पादो का विकास करेगे वहीं दूसरी ओर बाजार और

---

1 कृषीतर ग्रामीण ऋण और बैको की भूमिका – पेज न 9

2 कृषीतर ग्रामीण ऋण और बैको की भूमिका – पेज न 9

विपणन से जुडी समस्याओ पर भी ध्यान देगे व इस दिशा मे ठोस योजना बनाएगे। इस योजना को वे प्रतिष्ठित स्वैच्छिक सस्थाए सवर्द्धन मे लगे सरकारी निकाय बैक कार्पोरेट निकाय तथा शैक्षिक सस्थाए चला सकती है जो ग्रामीण औद्योगीकरण से जुडी हो। इस योजना के अन्तर्गत प्रायोजक एजेसी को राष्ट्रीय बैक घरेलू सर्वेक्षण नए डिजाइनो के विकास तथा ऐसे अन्य कार्यो हेतु अनुदान प्रदान करता है जो कार्य शिल्पकार अकेले न कर सकते हो जैसे वर्कशेड का निर्माण सामान्य सुविधाए इत्यादि।

2 स्व-सहायता समूह इस योजना के अन्तर्गत 10 से 20 सदस्यो के समूह द्वारा की गई बचत से चार गुनी राशि तक ऋण स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण बैक इस योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणो पर 100 प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता देता है। महिलाओ के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण योजना है।

3 कृषि उद्यमो के लिए लचीली योजना - इस योजना के अन्तर्गत अच्छे रिकार्ड रखने वाली स्वैच्छिक सस्थाओ को कृषि उद्यमो का विकास करने के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्य का दायित्व लेने वाले स्वैच्छिक सस्थान को परियोजना लागत का मात्र 10 प्रतिशत उपलब्ध कराना होगा। यह किसी भी रूप मे हो सकता है भूमि श्रम या अन्य । परियोजना की सकल्पना चलाने का तरीका व परिचालन विवरण स्वैच्छिक सस्था की इच्छानुसार हो सकते है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पाने के लिए निम्नलिखित प्रकार की स्वैच्छिक एजेसियॉ भाग ले सकती है

(क) एजेसी/सगठन विधिक अस्तित्व रखती हो/रखता हो।

(ख) यह नियमित रूप से तीन वर्षो से ग्रामीण क्षेत्रो मे कार्यरत हो।

(ग) इसमे जाति धर्म सम्प्रदाय के नाम पर भेद–भाव न किया जाता हो।

(घ) इसके सदस्य किसी भी राजनैतिक पार्टी के चुने हुए सदस्य न हो।

(ङ) यह सस्था व्यावसायिक ज्ञान क्षमता व दक्षता रखती हो ताकि परियोजना के कार्यान्वयन उसकी आयोजन प्रबध मे वह दक्षता पूर्वक कार्य कर सके।

4 कृषि एव ग्रामीण उद्यमिता उद्भवन (इनक्यूवेशन फण्ड) : यह योजना (फण्ड) जोखिम भरे उपक्रमो/उद्यमो के लिए नई तकनीकी/प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बनाई गई है। इसके अन्तर्गत कृषि और अकृषि दोनो ही प्रकार के उद्यमो के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने से लेकर उसके विपणन तक के लिए प्रावधान किया है। यह निधि आरभिक अवस्था मे 5 करोड रुपये से आरभ की गई है।

5. ग्रामीण सूक्ष्म तथा घरेलू उद्यमो हेतु थोक ऋण योजना : यह योजना स्वैच्छिक सस्थाओ/गैर सरकारी सस्थाओ और ग्रामीण महिलाओ के समूहो/उद्यमो के लिए तैयार की गई योजना है। यह उन सस्थाओ के लिए है जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबो मे बचत की आदत डालने व ऋण देने के कार्य मे लगी है। इस योजना के अन्तर्गत सस्था 1 मे 3 वर्ष के दौरान दिये जाने वाले ऋणो के लिए कार्यक्रम तैयार करना होगा तथा सस्था को अपनी इस योजना मे दर्शायी राशि के 25 प्रतिशत भाग की व्यवस्था स्वय करनी होगी। इस 25 प्रतिशत की राशि मे वित्तपोषण करने वाले बैक की सिफारिश पर शिथिलता दी जा सकती हे।

6. महिला विकास वाहिनी : ग्रामीण महिलाओ के लिए गैर कृषि क्षेत्र के क्रियाकलापो मे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमो हेतु महिलाओ द्वारा चलाई जा रही स्वैच्छिक सस्थाओ के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमे प्रति सस्था (क्लब) के लिए रु 1500 प्रतिवर्ष अनुरक्षण हेतु दिये जाते है। ऐसी स्वैच्छिक सस्थाए प्रति क्लब के लिए 2000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रशासनिक अनुदान पाने की भी हकदार है

7. अरविद योजना यह योजना ग्रामीण महिलाओ के लिए गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई है। स्वैच्छिक सस्थाओ/खादी एव ग्रमोद्योग आयोग/खादी बोर्ड/महिला विकास निगमो द्वारा यह योजना ग्रमीण महिलाओ को स्वरोजगार दिलाने व उनके विकास के लिए ऋण देने हेतु तैयार की गई है।

8 ग्रमीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम : ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को सलग्न रूप से विकसित करने के लिए ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम (REDP) का स्थान अति महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बैको सवर्द्धन मे लगे सगठनो व स्वैच्छिक सस्थानो को नाबार्ड द्वारा अनुदान सहायता दी जाती है।

9 ग्रामीण शिल्पकारो को बाजारोन्मुख प्रशिक्षण : इस प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिल्पकारो को बाजार व उससे जुडे पहलुओ से अवगत कराया जाता है ताकि उसे उसके द्वारा तैयार माल का समुचित दाम मिल सके साथ ही बाजार मे माल की खपत बाजार मे किस प्रकार के माल/डिजाइन आदि की माग है इत्यादि सबधी जानकारी दी जाती है। ऐसे अभिकरण जिन्हे इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का अनुभव है व इस क्षेत्र मे वे व्यावसायिक ज्ञान रखते हो तो वे अनुदान सहायता पाने के पात्र है।

10. दक्ष दस्तकारो द्वारा प्रशिक्षण : हमारे देश मे दक्ष दस्तकारो की कमी नही है। इन दस्तकारेा के अनुभव का लाभ उठाने के लिए इनके द्वारा दस्तकारो को प्रशिक्षण दिलाने की योजना भी राष्ट्रीय कृषि ओर ग्रामीण बैक ने विकसित की है। इसके लिए नाबार्ड द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता है।

गैर कृषि क्षेत्र हेतु अनुमोदित उद्योग / क्रियाकलाप

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक द्वारा कृष्येतर उद्योगो हेतु एक सूची जारी की गई है। जिसमे विधि उद्योगो व क्रियाकलापो को 22 खण्डो मे बाटा गया है। इन 22 खण्डो के भी उप विभाग किये गए है जिसमे अधिकाश उद्योगो क्रियाकलापो को समाहित किया गया है। परन्तु इस सूची को सम्पूर्ण नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य क्रियाकलापो को कृष्येतर क्षेत्र के लिए ऋण देने हेतु स्वीकृत किया जा सकता है। अनुमोदित क्रियाकलापो की सूची निम्नवत है। गैर कृषि उद्योगो हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक द्वारा अनुमोदित लघु कुटीर अत्यत लघु और ग्रामोद्योगो की सूची

(1) हस्त हिल्प

(i) कलात्मक कपडा - (कढाई/जरी का कार्य सहित) बोकेडस हिमरूज और शॉल गोटा–पट्टा कार्य कढाई (सूती रेशमी और ऊनी), चिकन कार्य नक्की मोटा जरी और जर्दोजी सहित बेस कार्य बेर्डिग पिथ कार्य पिठ्त हार फूल।

(ii) चूडी और मनका ओक्सीकृत चूडी, कगन कृतिम मोती।

(iii) बेत बॉस और फूस इत्यादि : लकडी की कघी टोकरी बनाना आर्टप्लेट का निर्माण।

(iv) मलीचा : नामा धास गुब्बास और दरी मसनद रेगा (सिसल) कबल सहित ऊन का कार्पेट कबल और दरियॉ।

(v) मृत्तिका शिल्प मिटटी के बर्तन चीनी मिट्टी के बर्तन।

(vi) शख का कार्य - शख से बनी वस्तुएँ ।

(vii) फ्लैक्स और रगा फ्लेक्स और रेशा से बना बैग चटाई ट्रे आदि।

(viii) हाथ से छपाई हाथ से छपाई कैलिको छपाई कलमकारी बाटिक रोगन सहित कपडो की परपरागत रगाई।

(ix) आभूषण बहुमूल्य मध्यम मूल्य के और कृत्रिम पत्थर बहुमूल्य धातुओ के आभूषण नकली आभूषण लाल और कृत्रिम रत्नो/पत्थरो को काटना और पालिश करना।

(x) धातु के बर्तन चॉदी के बर्तन बिद्री जर्दोजी का कार्य पीतल के बर्तन तॉबे के बर्तन कासे के बर्तन हाथ्री के दॉत पर नक्काशी आयरन शेल और सीग का काम।

(xi) पत्थर के कार्य : पत्थर पर नक्काशी, सगमरमर के कार्य सिलखडी।

(xii) लकडी के कार्य : लकडी पर नक्काशी और जडाऊ कार्य निर्मल उभारदार कार्य सजावटी फर्नीचर स्लेट फ्रेम खिलौना बनाना इत्यादि सहित लकडी को मोडने और बैक वेयर।

(xiii) कुट्टी (पेपर मागे)

(2) ग्रामोद्योग

बढई का कार्य, लुहार का कार्य, मधुमक्खी पालन, मधु और मधु उत्पादन, कुटीर माचिस कुटरी निओ साबुन कुटीर ग्रामोद्योग हड्डी खाद बीडी बनाना झाडू बनाना गोबर इत्यादि से खाद और मिथेन गैस का उत्पादन और उपयोग।

(3) चमड़ा उद्योग

खाल उतारना चर्म शोधन जूता चप्पल बनाना चर्मकार चमडे की पोशाक चमडे की कलात्मक वस्तुए बैक थैला दस्ताने बैल्ट आदि।

(4) बर्तन

मिट्टी के बर्तन सजावटी बर्तन पोर्सलेन चीनी मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन क्ले को सॉचे मे ढालना पत्थर के बर्तन रानी गज/ मगसूर टाइले कलात्मक/अनूठे बर्तन ईधन बचाने वाले चूल्हे।

(5) कागज के उत्पादन

टिशू कागज मोमी कागज कागज के थैले लिफाफे कागज की प्लेटे कप कागज के नैपकिन फेशियल टिशू नैपकिन, टेलीप्रिंटर रोल टायलट पेपर रोल फाइल कवर फाइल बोर्ड लिखने का पैड, सजावटी कागज।

(6) छापाई, जिल्दसाजी, लिखोग्राफी

(7) कॉच

कॉच के बर्तन बनाना कॉच के दर्पण, कॉच के चूडियॉ कॉच का मनका कॉच की स्लाइडे, थर्मामीटर।

(8) रबड़ के समान और संबद्ध उत्पाद

जूता–चप्पल/स्पोर्ट जूते साइकिल के टायर/ट्यूब सर्जिकल

दस्ताने/लेटेक्स रबड की नली बिजली के तार (इसुलेटेड) पेट ब्रश कघी टूथब्रश।

(9) निर्माण/विल्डंग का सामान

पत्थर तोडना उत्खनन कक्रीट के सामान ईट और टाइले सगमरमर के कार्य चूना सीमेट के कार्य खनन कार्य खडिया (चूना) बनाना सेद्रवाडम टाइले ब्लॉक्स जालिया आदि।

(10) रसायन/रसायन उत्पादन

मोमबत्ती बनाना नैफ्थेलिन की गोलिया जूते की पॉलिश लकडी की पॉलिश फ्रेच पॉलिश धातु पॉलिश नहाने का साबून धुलाई का साबनु टूथ पेस्ट दियासलाई टूथ पाउडर आतिशबाजी दवाइया पशु सरेश, कार्यालय गोद अगरबत्ती इत्र कोलोन कोल्ड क्रीम टेलकम पावडर टायलेटरी सोडा नमक स्टार्च।

(11) पेट्रोरसायन (प्लास्टिक) उत्पाद

पी पी /एच डी/एच एम पी ई /एल एल डी ई / फिल्म और सबद्ध उत्पाद पी वी सी ग्रैन्यूल इजेक्शन मोल्डिग्स, थर्मोप्लास्टिक उत्पाद अर्थात बाल्टी, बक्स टब मग फोल्डर इत्यादि पॉलिथीन की बोरी/थैले, अन्य प्लास्टिक उत्पाद।

(12) सामान्य अभियांत्रिकी

छातो के हैडल नाली के पाइप ढलाई घर अलौह धातु कार्य स्टील ट्रक धातु की चादरो का कार्य ताला बनाना टिन का कार्य लुहार

का कार्य मेटल रोलिग एल्यूमिनियम की वस्तुए डाक मोहरे पीतल/तॉबा/ घटियो की धातु का कार्य कृषि उपकरण बीम स्केल मशीनी खिलौने औजारो का निर्माण एसेम्बली कार्य स्टोव पिन सेफ्टी पिन एल्यूमिनियम के बटन सिगलन लैम्प हरीकेन–लालटेन कॉटेदार तार चम्मच–कटलरी कॉटा पीतल/ढल्यूमिनियम/तॉबा/लोहा/चॉदी/कासा/जर्मन सिल्वर के बर्तन तार–जाली वेलहेड वायर मेश उस्तरे चाकू और दाढी बनाने का ब्लेड आरा छेनी बोतल के वाशर धडियो के लिए धातु की बनी चैन जिप बधक ताले।

(13) इलेक्ट्रानिक/ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी

बिजली के उपकरण रेडियो के उपकरण मोटर के पुर्जो का निर्माण साइकिल के पुर्जो का निर्माण वर्धक पी वी सी /सोल्डरिंग वायर सजावटी बल्ब सार्वजनिक सबोधन प्रणाली बैटरी एलीमिनेटर्स/रेगुलेटर श्रव्य उपकरण हेअर ड्रायर बैटरी चार्जर छोटे ट्रासफॉर्मर बर्गलरी एलार्म।

(14) खेल का सामान

सभी प्रकार के खेलो के जाल हाकी स्टिक चिडिया (शटल कॉक) क्रिकेट के बल्ले गेद फुटबॉल बॉलीबॉल और बास्केट बॉल कवर शारीरिक स्वस्थ्यता उपकरण।

(15) लेखन सामग्री

स्याही निर्माण बॉल प्वाइट पैन फाऊटेन पैन, पैन की निब पैसिल, पेपर पिन, कार्बन पेपर हाथ से बनाये गए कागज हाथ से बनाया गया गत्ता रेखनपटल (ड्राइग बोर्ड) पटरी (फुट रूल्स)।

(16) कृषि उद्योग

(अ) कृषि निवेश उत्पादन अर्थात् रसायन, उर्वरक, खाद इत्यादि।

(आ) कृषि मशीनरी अर्थात हल, कर्षक, चारा काटने वाली मशीन तावेदार फावडा, कीटनाशक, डस्टर, स्प्रेयर्स, लेवलर, निराई की मशीन।

(इ) कृषि अभिसस्करण (खाद अभिसस्करण इकाई सहित)

(i) तेल उद्योग घानी तेल — नियो

(ii) धान और सिजरिअल्स की हाथ से कुटाई

(iii) चावल तैयार करना

(iv) आटा चक्की

(v) गन्ने का गुड और खडसारी इकाई — गुड सडसारी

(vi) ताड का गुड और ताड के अन्य उत्पाद जैसे — नीरा गुड पाम कैन्डी, ताड के पत्तो की चटाई/अन्य उत्पाद ताड के रेशे के ब्रश।

(ई) खाद्य अभिसस्करण (निर्माण)

(i) फल अभिसस्करण और परिरक्षण

(ii) फलो और सब्जियो की डिब्बा बदी

(iii) कोको/काजू अभिसस्करण

(iv) इमली अभिसस्करण

(v) फरसाण/अल्पाहार

(vi) आचार और चटनी/सॉस/केचप/जेम

(vii) स्पाइसेज मसाले और करी पाउडर

(viii) अफलम/पापड बनाना

(ix) सूप और नूडल

(x) सेवइयॉ मैकरोनी

(xi) समुद्री उत्पादो का अभिसस्करण

(xii) बेकरी

(17) सिलाई और रेडीमेड पोशाक

होजरी पोशाक तैयार करना बुनाई और सिलाई, कमर का साज–सामान इत्यादि।

(18) रेशम उत्पादन

1– ऐरी, मूगा और टसर के उत्पादन के लिए गैर शहतूत क्षेत्रो मे रियरिंग और डीलिग।

2– शहतूत क्षेत्रो मे कीट–पालन रीलिग और बटाई और बुनाई गतिविधियॉ।

(19) नारियल का रेशा

नारियल के रेशे की चटाइयॉ नारियल रेशे की रस्सियॉ।

(20) हथकरघा/पावरलूम

यार्न का निर्माण कताई गतिविधियॉ धागे के गोतेले, कॉटन फिलिग्स, सूती, सिल्क और ऊनी कपडे लोक वस्त्र पॉली वस्त्र।

(21) जनजाति/वन क्षेत्रों पर आधारित कार्यकलाप

(1) फलो पौधो बीजो तथा पत्तो का एकत्रीकरण/अभिसस्करण/ विपणन।

(11) पेड मूल के तिलहनो मे से तेल निकालना।

(111) फूलो का आसवन (डिस्टिलेशन)।

(1v) शहद निकालना।

(v) विभिन्न स्रोतो से रेशे निकालना।

(v1) घास बेल बॉस पर आधारित कलाए।

(v11) वुड क्राफ्ट।

(v111) सामाजिक वानिकी पौधो के लिए गमले।

(1x) कत्था तैयार करना।

(x) गोद राख का एकत्रीकरण/अभिसस्करण।

(x1) लाख का एकत्रीकरण/अभिसस्करण

(x11) अन्य उत्पाद।

ऋण हेतु प्रक्रिया

राष्ट्रीय बैक वस्तुत गैर कृषि क्षेत्र के लिए पात्रता सबधी मानदण्डो को लागू ही नही किया है जिसके आधार पर गतवर्ष की वसूलियो के आधार पर ही पुनर्वित्त की मात्रा सुनश्चित की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अकृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यस्था मे निर्वाध ऋण सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय बैक ने कृषि क्षेत्र पर लागू नियमो को अकृषि क्षेत्र के लिए लागू न करके परोक्ष रूप मे गैर कृषि के लिए ढील दी है।

गैर कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया से नही गुजरना पडता है बल्कि इसके लिए अन्य ऋणो की अपेक्षा प्रक्रिया अधिक सरल है। इसका मुख्य कारण है कि गैर कृषि ग्रामीण ऋण अधिकाश रूप से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन ही आते है। अत इनमे प्रतिभूति मार्जिन आदि के सबध मे समय–समय पर जारी नियमो के अनुसार शिथिलता दी जाती है।

कृषि वित्त के स्रोत

भारत मे कृषि वित्त की अल्पकालीन और मध्यकालीन आवश्यकताएँ ग्रामीण साहूकारो सहकारी साख समितियो तथा सरकार से उधार लेकर पूरी की जाती है। दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति सामान्यत साहूकारो तथा भूमि विकास बैको से की जाती है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अध्ययन के अनुसार कृषिको के अधिकाश वित्त की व्यवस्था गैर सस्थागत स्रोत से होती थी। मूल रूप से पेशेवर महाजन या सम्पन्न कृषक उस श्रेणी मे आते थे और सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत भाग इन्ही गैर सस्थागत अभिकरणो द्वारा दिया जाता था। सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि मे सहकारी साख का अश केवल 3 3 प्रतिशत और व्यापारिक बैक का अश मात्र 0 9 प्रतिशत था। इस प्रकार 1954 मे ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से यह स्पष्ट था कि गैर सस्थागत अथवा व्यक्तिगत अभिकरणो द्वारा दिया जाने वाला ऋण ही प्रमुख था भले ही इसकी शर्ते किसान को आजीवन अपने चगुल मे दबोच लेने वाली और भविष्य की पीढी को भी प्रभावित करने वाली थी। कृषि–वित्त के विभिन्न स्रोतो यथा ग्रमीण साहूकार सहकारी समितिया व्यापारिक बैक व राजकीय तकाबी द्वारा दिये जाने वाले ऋणो की सरचना मे आधारभूत परिर्वतन हुआ है तथा – नियोजन के पूर्ण जैसा कि अखिल भारतीय सर्वेक्षण समिति ने अनुमान लगाया था कि कुल प्रदत्त

धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तिगत अभिकरणो द्वारा दिया जाता है अब धीरे–धीरे सहकारी एव राजकीय सस्थाओ द्वारा दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत बढ रहा है और गैर सस्थागत व्यक्तिगत अभिकरणो का योगदान कम हो रहा है।

कृषि वित्त के स्रोत को निम्न प्रमुख रूप से दो वर्गो मे बाट सकते है

(अ) गैर सस्थागत स्रोत (ब) सस्थागत स्रोत

गैर-संस्थागत स्रोत

गैर सस्थागत स्रोत के अन्तर्गत ग्रामीण साहूकार व्यापारी एव कमीशन ऐजेण्ट तथा रिश्तेदार आते है।

(1) ग्रामीण साहूकार

साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहको को समय–समय पर ऋण देता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारो को दो वर्गो मे विभक्त किया। प्रथम कृषक साहूकार या महाजन एव द्वितीय व्यवसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति होते है जो मुख्य रूप से कृषि करते है लेकिन धनवान होने के कारण कृषि के साथ–साथ धन उधार देने का भी व्यवसाय सहायक व्यवसाय के रूप मे करते है। व्यवसायिक साहूकार वे व्यक्ति होते है जिनका धन उधार देने का कार्य मुख्य व्यवसाय होता है।

कार्य प्रणाली : इन साहूकारो के कार्य करने के ढग सरल होते है। यह अल्पकालीन मध्यकालीन व दीर्घकालीन तीनो प्रकार के ऋण देते है। यह ऋण उत्पदन व उपभोग दोनो प्रकार के होते है। ऋण जमानत

लेकर तथा बिना जमानत दोनो प्रकार से दिये जाते है। इनकी विशेषता यह है कि ये शीघ्रता से तथा आवश्यकता के समय ऋण देते है।

लोक प्रिय होने के कारण : साहूकार अपने–अपने क्षेत्रो मे लोकप्रिय होते है जिसके प्रमुख कारण निम्न है

1– ये उत्पादक तथा अनुत्पादक एव दोनो ही उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करते है।

2– यह अल्पकालीन मध्यकालीन एव दीर्घकालीन तीनो ही श्रेणियो के ऋण प्रदान करते है।

3– इनकी ऋण प्रदान करने की पद्धति सरल होती है।

4– इनसे सम्पर्क करना अत्यन्त सुगम होता है।

5– यह हर समय ऋण देने को तत्पर्य रहते है।

6– यह बिना जमानत के भी ऋण प्रदान करते है।

7– यदि इनको ब्याज समय पर मिलता रहता है तो यह ऋण वापसी पर जोर नही देते है।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार इन साहूकारो का कृषि वित्त मे महत्वपूर्ण स्थान है। विशेषकर सस्थागत वित्त के अभाव मे इनका महत्व और भी बढ जाता है। किन्तु यह सुविधा व सेवा जो पूर्णत शोषण पर आधारित हो किसी भी समाज मे मान्य नही होनी चाहिए। इन सबके बावजूद सन् 1951–52 मे कृषि साख मे इनका योगदान लगभग 75 प्रतिशत था जो 1960–61 मे घटकर लगभग 61 प्रतिशत एव 1981 मे 26 9 प्रतिशत तथा वर्तमान मे लगभग 23 7 प्रतिशत रह गया है।[1]

---

1 भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ जगदीश नारायण मिश्र पेज न – 405

भारत मे साहूकार लोकप्रिय होते हुए भी बदनाम है इनके प्रमुख दोष निम्न है –

1– इनके द्वारा बहुत अधिक दर से ब्याज ली जाती है जो सामान्यत 18 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक होती है तथा कभी–कभी तो 60 प्रतिशत तक होती है।

2– अशिक्षित किसानो मे मनमानी राशि पर अगूठा निशान लगवा लिया जाता है तथा हिसाब किताब भी ईमानदारी से नही रखते है।

3– साहूकार ऋण देते समय आगे आने वाली फसल को कम मूल्य पर उसको बेचने का वचन ऋणी से प्राप्त कर लेता है। इससे ऋणी को हानि होती है।

4– साहुकार अपने ऋणी से बहुत से कार्य मुफ्त करा लेते है। उपर्युक्त दोषो के आधार पर बम्बई बैकिग जॉच समिति ने अपनी रिपोर्ट मे लिखा है कि साहूकारो के लेन–देन का ढग इस प्रकार का है कि एक बार उनसे ऋण लेने पर छुटकारा पाना कठिन है। अत सरकार ने इन पर नियत्रण लगा दिये है जिनके अनुसार प्रत्येक साहूकार व महाजन को इस प्रकार का व्यवसाय करने पर रिजर्व बैक से अनुमति–पत्र लेना पडता है।

(2) व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट

ये व्यापारी एव कमीशन एजेण्ट भी किसानो के साख की आवश्यकता की पूर्ति करते है। ये उत्पादक कार्यो के लिए ऋण प्रदान करते है। परन्तु इनका दोष यह है कि ये किसानो को कम मूल्य पर फसल को बेचने के लिए वाध्य करते है और इनके बदले मे वे अधिक कमीशन वसूलते है। इस प्रकार के साख ये कुछ विशिष्ट फसलो जैसे तम्बाकू, मूगफली फल आदि

के लिए ही प्रदान करते है। इन व्यापारियो एव एजेन्टो की कार्य प्रणाली महाजनो जैसी ही है। ये भी शोषण की प्रक्रिया का अपनाते है।

(3) रिश्तेदार

ग्रामीण क्षेत्रो मे किसान आवश्यकता पडने पर अपने रिश्तेदारो से नगद या वस्तुओ के रूप मे उधार प्राप्त करते है। इस प्रकार के साख आपसी सम्बन्धो के आधार पर अनौपचारिक रूप से लिये जाते है। रिश्तेदारो द्वारा लिये गये साख पर ब्याज की दर या तो होती ही नही और अगर होती है तो बहुत नीची। ऐसे साख प्राय अल्पकालीन होते है।

संस्थागत स्रोत

(1) साहकारी साख सस्थाए : भारत मे सहकारी सस्थाए बीसवी शताब्दी की देन है और आजकल यह कृषि वित्त मे अच्छा योगदान दे रही है। यहा यह सस्थाए तीन स्तरो पर पायी जाती है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितिया जिला स्तर पर जिला सहकारी बैक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैक। यह सस्थाए अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण सुविधाए प्रदान करती है। इस समय देश मे 91 हजार प्राथमिक सहकारी समितियॉ 363 केन्द्रीय बैक या जिला सहकारी बैक 28 राज्य सहकारी बैक कार्य कर रही है। इन सभी ने 1997–98 मे 14775 करोड रुपये की कृषि साख कृषको को उपलब्ध करायी है। [1]

(2) भूमि बन्धक या भूमि विकास बैंक : भारत मे दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने के लिए इस प्रकार की बैक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 मे मद्रास मे की गयी थी। यह बैक कृषक की भूमि गिरवी

---

1 भारतीय अर्थशास्त्र– डॉ चतुर्भज ममोरिया एव डॉ एस जी जैन पेज न 225

रखकर ऋण सुविधाएँ प्रदान करती है। यह ऋण लम्बी अवधि के लिए कुऍ खुदवाने पम्प सेट लगवाने खेती सम्बन्धी यत्र व ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिए दिये जाते है। इन बैको का कृषि साख मे योगदान प्रारम्भ मे बहुत ही कम रहा परन्तु धीरे–धीरे बढने की प्रवृत्ति पायी गई। वर्ष 1950–51 मे पॉच केन्द्रीय भूमि विकास बैक थे जिनकी सख्या 1986 मे बढकर 19 तथा वर्तमान मे 20 हो गई। ये भूमि विकास बैक अधिकाशत तमिलनाडू, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक मे केन्द्रित है। इन बैको की साख सुविधाओ एव सेवाओ का लाभ बडे किसानो को ही प्राप्त हुआ। छोटे किसान एक ओर अपनी अशिक्षा एव अज्ञानता के कारण इनकी लाभदयकता से अपरिचित रहे दूसरी ओर जोतो का आकार छोटा होने के कारण भी इनसे लाभ नही प्राप्त कर सके क्योकि ये बैक प्रतिभूति पर साख प्रदान करते है जिसका छोटे किसानो के पास अभाव होता है।

(3) व्यापारिक बैंक : 1951–52 मे अखिल भारतीय स्तर पर कृषि वित्त हेतु व्यापारिक बैको का योगदान लगभग नगण्य था लेकिन अब शनै–शनै व्यापारिक बैको का योगदान बढ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैक प्रत्यक्षत वित्त उपलब्ध कराने के अतिरिक्त कृषि विकास को प्रोत्साहन दे रहे है। व्यापारिक बैक ने केवल कृषको को उर्वरक खरीदने पम्पिग सेट खरीदने एव अन्य उपकरण खरीदने के लिए ही ऋण नही दे रहे है वरन उर्वरक एव विभिन्न कृषि यत्रो के कारखानो के निर्माण हेतु भी ऋण दे रहे है जो परोक्षत कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। ये व्यापारिक बैक कृषको को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहायता देने के लिए भी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते है। व्यापारिक बैक सहकारी समितियो (जो कि कृषि ऋण प्रदान करती है) को भी वित्तीय सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। 1970 मे व्यापारिक बैको द्वारा सहकारी समितियो को वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने की योजना आरम्भ की गयी है। इस समय यह योजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा आन्ध्र प्रदेश उडीसा जम्मू–कश्मीर पश्चिम बगाल बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और असम राज्यो मे लागू है।

कृषि एव ग्रामीण साख के लिए भारतीय रिजर्व बैक की नीतियो के आधार पर ही **नावार्ड** जैसी शीर्षस्थ सस्था की स्थापना 1982 मे की गयी थी। लीड बैक स्कीम के माध्यम से विशिष्ट साख योजनाए तैयार की गयी है जिसमे बैक ऑफ बडौदा अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैको ने कृषि एव ग्रामीण साख के सही एव लाभदायक उपयोग हेतु कृषि अधिकारियो की भी नियुक्तिया की है।

उपयुर्क्त बातो को देखते हुए निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैक कृषि साख मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। परन्तु इन बैको की कार्य प्रणाली मे अभी भी कुछ कमियॉ है। जैसे, इन बैको का उन्ही क्षेत्रो मे विस्तार हुआ है जहा पर पहले से अन्य अभिकरणो द्वारा साख सुविधाए उपलब्ध थी। इन बैको द्वारा साख का असमान वितरण भी हुआ है। किन्तु इनके पास अभी भी तकनीकी विशेषज्ञो की कमी है। सरकारी विभाग एव इनके बीच समन्वय का अभाव है तथा इनकी साख का लाभ अधिकतर बडे एव मध्यम वर्ग के ग्रामीणो को ही मिला है। ये लाभार्थियो का सही का भी सही चयन नही कर पा रहे है। इसके अतिरिक्त बैक कर्मचारी जनता मे अपना विश्वास नही बना पा रहे है।

(4) स्टेट बैक : भारतीय स्टेट बैक ने अपनी स्थापना के समय से ही कृषि वित्त उपलब्ध कराने का प्रयास किया है जिसके परिणाम स्वरूप यह निम्न प्रकार की सुविधाए दे रहा है

1— जिन स्थानो पर केन्द्रीय सहकारी बैक नही है या सहकारी समितिया सुविधा देने मे असमर्थ है वहा यह बैक सहकारी समितियो को प्रत्यक्ष ऋण देती है।

2— यह बैक सहकारी बैको को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने मे नि शुल्क सुविधा प्रदान करती है।

3— यह गोदामो को बनाने के लिए ऋण की सुविधा देती है।

4— भारतीय स्टेट बैक भूमि बन्धक बैको के ऋण पत्रो को खरीदकर उनकी सहायता करती है।

5— कृषको को ट्रैक्टर व अन्य कृषि यत्रो को क्रय करने एव सिचाई के लिए पम्पसेट आदि लगाने के लिए यह बैक उनको प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करती है।

6— यह बैक केन्द्रीय व राज्य भण्डार निगमो की रसीद पर भी ऋण प्रदान करती है।

7— यह ग्रामीण क्षेत्रो मे अपनी शाखाए खोलकर कृषि वित्त के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का प्रयास कर रही है। इस समय स्टेट बैक व उसकी सहायक बैको की 77 1 प्रतिशत शाखाए ग्रामीण या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रो मे है।

भारतीय स्टेट बैक ने कृषि वित्त के विस्तार के लिए 1972 मे एक योजना बनाकर लागू की है। जिसके अन्तर्गत 508 कृषि विकास शाखाए खोली गयी है जिनका कार्य कृषि वित्त की आवश्यकताओ की पूर्ति करना है।

भारतीय स्टेट बैक ने भी गॉव अगीकृत योजना आरम्भ की है। इस योजना का उद्देश्य गोद लिये गये अर्थात् अगीकृत गॉव' के सभी कार्यक्षम किसानो को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।

(5) रिजर्व बैक - देश मे कृषि—विकास की महति आवश्यकता को देखते हुए प्रारम्भ मे रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने एक कृषि साख विभाग की स्थापना की है। यह बैक राज्य सहकारी बैको तथा भूमि विकास बैको को स्वीकृत प्रतिभूतियो तथा ऋणपत्रो के आधार पर अल्पकालीन साख प्रदान करता है। कृषि बिलो के आधार पर लिये गये ऋणो पर ब्याज मे 2 प्रतिशत थी छूट दी जाती है। 1950 मे रिजर्व बैक द्वारा कृषि—साख की दष्टि से राष्ट्रीय कृषि—साख (दीर्घकालीन) कोष और राष्ट्रीय कृषि—साख

(स्थानीयकरण) कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कृषि–साख दीर्घकालीन कोष की स्थापना राज्य सरकारो को सहकारी साख समितियो की अशपूजी प्रत्यक्षत या परोक्षत अशदान देने के लिए की गयी है। इस कोष का आरम्भ 10 करोड रुपये से किया गया था और यह सोचा गया था कि प्रतिवर्ष इसमे 5 करोड रुपये की वृद्धि की जायेगी। राष्ट्रीय कृषि–साख दीर्घकालीन कोष के अतिरिक्त रिजर्व बैक ने राष्ट्रीय कृषि–साख स्थानीयकरण कोष की स्थापना एक करोड रुपये की राशि से राज्य सहकारी बैको को मध्कालीन ऋण देने के लिए की है।

वर्तमान मे रिजर्व बैक के माध्यम से कृषि एव ग्रामीण साख के क्षेत्र मे विभिन्न वित्तीय सस्थाओ का विकास एव विस्तार हुआ है और हो रहा है। कृषि साख नीतिया रिजर्व बैक के कृषि विभाग द्वारा तैयार की जाती रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैक नाबार्ड राष्ट्रीय साख विकास निगम आदि रिजर्व बैक के द्वारा कृषि एव ग्रामीण साख की आपूर्ति के लिए स्थापित किये गये है जिनकी पूजी एव वित्त व्यवस्था का अधिकाश हिस्सा रिजर्व बेक द्वारा ही प्रदान किया गया है।

(6) सरकार द्वारा कृषि वित्त : राज्य सरकारो द्वारा भी कृषि के लिए वित्त व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था सामान्यतया भूमि सुधार ऋण अधिनियम 1883 व कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत की जाती है। कृषक को जो ऋण दिये जाते है इन्हे तकावी (Taccavı) कहते है। यह ऋण या तकावी आकाल बाढ या इसी प्रकार के सकट के समय ही राज्य सरकारे देती है। ऋणो की वापसी किस्तो मे होती है जिन्हे माल गुजारी के साथ चुकाना पडता है। आजकल यह ऋण अधिक लोकप्रिय नही रह गये है।

कृषि वित्त के उपयुर्क्त सस्थागत स्रोतो के अतिरिक्त कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने आठवे एव नवे दशक मे कुछ विशिष्ठ सस्थाओ की स्थापना की है। ये सस्थाए क्षेत्रीय ग्रामीण बैक एव नाबर्ड के रूप मे स्थापित है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सीमान्त कृषको एव भूमिहीन श्रमिको के वित्तीय आवश्यकताओ के समाधान हेतु बैकिग आयोग द्वारा 1972 मे ग्रामीण बैको को खोलने का सुझाव दिया गया है। आयोग का यह विचार था कि ग्रामीण बैक ग्रामीण क्षेत्रो मे खोले जाये और उनका प्रबन्ध स्थानीय नेतृत्व द्वारा किया जाय। श्री नरसिम्हन की अध्यक्षता मे नियुक्त कार्यकारी दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की उपयुक्तता पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि कुछ चुने क्षेत्रो मे ग्रामीण बैक खोले जाये। ग्रामीण बैको को खोलने के लिए 27 सितम्बर 1975 को अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यो मे 5 ग्रामीण बैक खोले गये। उत्तर प्रदेश मे दो, मुरादाबाद और गोरखपुर मे क्रमश सिण्डीकेट बैक तथा भारतीय स्टेट बैक द्वारा राजस्थान मे एक यूनाइटेड कामर्शियल बैक द्वारा हरियाणा के भिवानी स्थान पर एक बैक पजाब नेशनल बैक द्वारा और पश्चिमी बगाल के माल्दा नामक स्थान पर यूनाइटेड बैक ऑफ इण्डिया द्वारा खोला गया।

क्षेत्रीय बैक ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गो छोटे एव सीमान्त कृषको, भूमिहीन मजदूरो दस्तकारो एव लघु उद्यमियो को समयानुसार सरलतापूर्वक उचित मात्रा मे ऋण उपलब्ध करा कर ग्रामीण विकास मे सक्रिय भूमिका निभा रहे है। इन बैको की अधिकाश शाखाए बैकिग दृष्टि से पिछडे हुए क्षेत्रो मे खोली गयी है जहा पर बैकिग सुविधाए पहले से उपलब्ध नही थी। ये ग्रामीण क्षेत्र की परिवारिक बचतो को भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान मे इनके कुल दिये गये ऋणो मे कमजोर वर्गो का अश लगभग 90 प्रतिशत या इससे अधिक है। इन बैको ने अल्पावधि के कार्यकाल मे ही ग्रामीण साख मे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

देश के कृषि एव ग्रामीण आवश्यकताओ की पूर्ति मे वृद्धि करने एव विभिन्न सस्थाओ के कार्यो मे समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैक स्थापित करने का निर्णय दिसम्बर 1979 मे तत्कालीन प्रधानमत्री श्री चरणसिह के मत्रिमण्डल द्वारा लिया गया था जिसको श्रीमती गॉधी की सरकार द्वारा साकार रूप दिया गया।

स्थापना राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैक 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया जिसने 15 जुलाई 1982 से कृषि एव ग्रामीण आवश्यकताओ के लिए शिर्ष सस्था के रूप मे कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

पूँजी - इस बैक की अधिकृत पूँजी 500 करोड रुपये हे जिसे अगले 5 वर्षो मे 2000 करोड रुपये कर दिया जायेगा। वर्ममान मे इसकी पूँजी 330 करोड रुपये है जिसे रिजर्व बैक व केन्द्रीय सरकार ने बराबर मात्रा मे दिया है।

कार्य : इस बैक को वे सभी काम दिये गये है जो रिजर्व बैक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। यह बैक कृषि साख को एक छाते के नीचे लायेगी और अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणो की व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैक है उसी प्रकार कृषि विकास के लिए यह बैक सर्वोच्च बैक होगी जो सभी एजेन्सियो के कार्य मे समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करेगी।

इस बैक को कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के वे सभी कार्य सौपे दिये गये है। जो यह निगम करता था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष व राष्ट्रीय कृषि साख (स्थानीयकरण) कोष भी रिजर्व बैक ने इसको हस्तान्तरित कर दिये है।

यह बैक अपनी आवश्यकताओ के लिए बॉण्ड या ऋणपत्र जारी कर सकती है जिस पर केन्द्रीय सरकार की मूलधन व ब्याज की वापसी की गारण्टी होगी। यह बैक कृषि के सम्बन्ध मे सभी प्रकार की साख की व्यवस्था करेगी जैसे उत्पादन व विपणन ऋण राज्य सरकारो को ऐसी ही सस्थाओ के पूँजी लाभ के लिए ऋण।

क्रियाएँ · इस बैक ने पहले वर्ष से ही प्रशसनीय कार्य किया है। इस बैक ने 1997–98 मे सहकारी बैको को 10866 करोड रुपये की पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है जबकि इससे पूर्व वर्ष मे इसने इस प्रकार के 8984 करोड रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की थी।[1]

---

1 **स्रोत** भारतीय अर्थशास्त्र – डॉ चतुभुर्ज मामोरिया एव डॉ एस सी जैन पेज न 229

अध्याय - 5

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

अध्याय-5

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारत की कुल जनसख्या का 74 प्रतिशत भाग गावो मे रहता है। इस विशाल देश के लिए यह कहा जाता है कि भारत एक अमीर देश है जहा गरीब बसते है। इस विरोधाभास को दूर करने का एक मात्र उपाय है हमारी अर्थव्यवस्था मे ग्रामोद्योगो का व ग्रामीण जनशक्ति का पूर्ण सदुपयोग। इस बात को ही ध्यान मे रखकर महात्मा गाधी ने देश के नेताओ तथा तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया था कि गावो का विकास कृषि आधारित कुटीर उद्योगो को बढावा देकर ही किया जा सकता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है। सन् 1928 मे कृषि शाही आयोग ने इस सम्बन्ध मे कहा था कि 'भारतीय किसान ऋण का बोझ कन्धे पर लेकर जन्म लेता है ऋणग्रस्तता मे ही पूरी जिन्दगी बिताता है ऋण मे ही उसका अन्त हो जाता है। इतना ही नही वह अगली पीढी के लिए भी ऋण का बोझ पीछे छोड जाता है। इस प्रकार निर्धनता व ऋणग्रस्तता भारतीय किसान के जीवन के अविभाज्य अक है। [1]

ग्रामीण विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को प्रारम्भ से ही महसूस किया गया। सरकार अपने निजी साधनो से इतनी अधिक मात्रा मे वित्तीय साधनो का प्रबध करने मे असमर्थ थी। यह कार्य बैको एव अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा ही किया जा सकता है। अत ग्रामीण क्षेत्र मे वित्त की व्यवस्था करना एव देश के दूर–दराज क्षेत्रो तक पहुचाने का कार्य बैको एव वित्तीय सस्थाओ के लिए ही सम्भव था। अत इस दिशा मे सरकार ने कदम

---

1 डॉ श्रीवास्तव आर एम मनेजमेन्टस ऑफ कोर्स प्रगति प्रकाशन मेरठ 1988, पृष्ठ सख्या 75

बढाया और बैको पर सामाजिक नियत्रण और राष्ट्रीयकरण आदि के द्वारा वित्त की पर्याप्त व्यवस्था की योजना बनायी। परन्तु इन व्यवसायिक बैको की स्थापना लागत अधिक थी। अत देश के दूर–दराज के अचलो मे इनकी शाखाओ का खोला जाना व्यवहारिक नही पाया गया औरयही कारण था कि गरीबी तबके तक अधिकोषीय सुविधा प्रदान करना सरकार के लिए दुष्कर हो गया।

स्वतत्रता के बाद विकास का क्रम आरभ हुआ योजनाए बनी योजना आयोग बना और एक विशाल तत्र विकास के नाम पर खडा किया गया जो एक विशालकाय अजगर के रूप मे विकास क्रम पर हावी होता गया। चहुमुखी विकास की परिकल्पना मे विकास की मूल इकाई ' गाव को अपेक्षित प्राथमिकता नही मिली। राष्ट्रीय व अन्य स्तरो पर किये गये उपायो का लाभ व्यवहारिक रूप मे सामान्य जन विशेषकर ग्रामीण लघु और सीमात कृषको को नही मिल पाया और विकास क्रम मे निरन्तर सुधार की आवश्यकता महसूस होती गयी।

1950 मे भारतीय रिजर्व बैक की पहल पर सरकार को ग्रामीण बैकिग जाच समिति ने ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋण सुविधाओ के विस्तार का सुझाव दिया। सन् 1951–52 मे रिजर्व बैक द्वारा कराये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण से किसानो की ऋण सम्बन्धि आवश्यकताओ के बारे मे महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त हुई और ग्रामीण क्षेत्रो के लिए विशेष प्रकार की वित्तीय सेवाओ की जरूरत उजागर हुई। इसी बात को ध्यान मे रखकर सहकारी बैक भी बनाये गये लेकिन ये बैक छोटे किसानो दस्तकारो तथा खेतिहर मजदूरो को सतोषजनक सुविधाए उपलब्ध कराने मे सफल नही रहे तथा इनका लाभ केवल बडे किसान ही उठा पाये। आकडो को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राथमिक कृषि सहकारिताओ द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण का सिर्फ 35 प्रतिशत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानो को ही मिला। दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानो को 51

प्रतिशत हिस्सा मिला जबकि खेतिहर मजदूरो काश्तकारो और बटाईदारो को तो सिर्फ 4 प्रतिशत से सतोष करना पडा।

बैको का राष्ट्रीयकरण सामाजिक बैकिग की दिशा मे एक महत्वपूर्ण पहल थी लेकिन राष्ट्रीयकृत बैको को भी ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋण सबधी जरूरतो को पूरा करने मे अनेक कारणो से कोई खास सफलता नही मिली। भारत मे करीब सात लाख गावो मे राष्ट्रीयकृत बैको की सुविधा उपलब्ध कराना कोई आसान कार्य नहीं था। फिर व्यवसायिक बैको का काम करने का अपना तरीका होता है और वे लाभ को ध्यान मे रखे बिना कोई कार्य नही कर सकते। इसके अतिरिक्त इन बैको के साथ सबसे बडी दिक्कत यह थी कि आम ग्रामीण जनता इनमे जाने से हिचकती थी। अन्य शब्दो मे कहे तो बैको के दरवाजे उसके लिए बन्द थे। बैकिग का एक सामान्य मानदड बन चुका था कि ग्रामीण गरीब परिवार उधार का पात्र नही होता। छोटे किसानो और दस्तकारो को ऋण उपलब्ध कराने मे तो व्यवसायिक बैको का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रो के लिए निर्धारित ऋण सुविधाओ का केवल 10 प्रतिशत ही इन लोगो को मिल पाता है। राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रो मे सार्वजनिक क्षेत्र के बैको की शाखाओ का पर्याप्त विकास हुआ है किन्तु ग्रामीण शाखाओ की उत्पादकता का स्तर काफी कम रहा है। इससे इनकी लाभ प्रदता भी कम हुई है।

ग्रामीणों के लिए विशेष बैंक

इस आशय के विचार लगभग सभी वर्ग के प्रबुद्ध जनो के द्वारा व्यक्त किये गये कि वर्तमान मे कार्यरत ऋण सुविधा प्रदान करने वाली सस्थाये चाहे वे व्यवसायिक बैक हो अथवा सहकारी बैक ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रभावी रूप मे साधारण आदमी की आवश्यकता पूर्ति के लिए सक्षम/पर्याप्त नही है। विकास कार्यक्रमो को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए लाभान्वित होने वाले वर्ग को समूह रूप मे पहचाना जाना व एक ऐसी ऋण सस्था का

गठन किया जाना आवश्यक होगा जो इस समूह की विभिन्न ऋण सम्बन्धित आवश्यकताओ की पूर्ति प्रभावी रूप मे कर सके। इस विचार क्रम पर विभिन्न विचार आते रहे विचार क्रम आगे बढता रहा और किसी अलग ऋण सम्बन्धि सस्था के गठन की आवश्यकता तीव्रता से महसूस होती रही जो आसानी से और कम खर्च मे लक्ष्य समूह तक बैकिग सेवाओ को पहुचा सके। सरकार ने इन बातो को ध्यान मे रखते हुए यह महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन वर्गों के लोगो की ऋण सम्बन्धी जरूरतो को पूरा करने के लिए विशेष बैक खोले जाये। 1975 मे सरकार ने श्री एम नरसिम्हन की अध्यक्षता मे एक कार्यदल गठित किया और विभिन्न वित्तीय सस्थाओ से कमजोर वर्ग के लोगो को प्राप्त होने वाले सस्थागत ऋणो के बारे मे जानकारी हासिल कर अपनी रिपोर्ट देने को कहा। इस कार्यदल का गठन करके सरकार ने एक तरह से यह बात स्वीकार की कि गावो के छोटे और सीमात किसानो दस्तकारो और अन्य जरूरतमद लोगो की ऋण सबधी आवश्यकताओ की पूर्ति नही हो रही है। यह भी महसूस किया गया कि अगर जरूरत मद लोगो को सस्थागत ऋण सुविधाओ का लाभ पहुचाना है तो कर्ज देने के नियमो और शर्तों मे बदलाव लाना होगा। व्यावसायिक बैको के समान तौर–तरीके अपनाकर यह लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सकेगा। नरसिम्हन कार्यदल ने इन बातो को ध्यान मे रखकर अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट मे ग्रामीण क्षेत्रो की विशेष जरूरतो को ध्यान मे रखते हुए राज्यो के नियत्रण वाले ग्रामीण विकास बैको की स्थापना का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट मे इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को सहकारिताओ की तरह स्थानीय ग्रामीण समुदाय की जरूरतो की पूरी जानकारी होनी चाहिए साथ ही उनमे व्यवसायिक बैको की तरह आधुनिक दृष्टिकोण, प्रबध–कौशल और धन जमा करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

नरसिम्हन समिति (1975) की सिफारिशो के आधार पर तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण बैको की स्थापना का फैसला किया तथा 26 सितम्बर

1975 को राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अध्यादेश लागू किया गया। समिति ने इस तत्र को सामान्य बैकिग तत्र के रूप मे प्रसारित करने के प्रति अपनी राय नही दी थी परतु परीक्षण के तौर पर 5 ग्रामीण बैको की स्थापना का सुझाव दिया था जो ऐसे क्षेत्रो मे खोले जाने थे जहा वर्तमान ऋण वितरण प्रणाली कमजोर थी। इसी आधार पर महात्मा गाधी की जन्मतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश मे मुरादाबाद और गोरखपुर हरियाणा मे भिवानी राजस्थान मे जयपुर और पश्चिम बगाल मे माल्दा मे पाच क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का शुभारम्भ किया गया। देश मे ग्रामीण साख के क्षेत्र मे यह एक अभिनव परिवर्तन था। 19 फरवरी 1976 से इस अध्यादेश के स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अधिनियम 1976 (Act No 21 of 1976) पारित किया गया। और यह 26 सितम्बर 1975 से लागू माना गया।

अधिनियम मे पिछडे इलाको और बैकिग सुविधाओ की कमी वाले क्षेत्रो मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक खोलने का प्रावधान किया गया तथा उन सभी जिलो मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक खोलने की बात कही गयी जहा सहकारी बैक व्यवस्था सुदृढ नही थी। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो मे बैकिग सुविधाओ की श्रृखला मे यह एक नयी कडी प्रारम्भ हुई।

स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य

इन बैको की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे कृषि उद्योग व्यापार वाणिज्य एव अन्य उत्पादक गतिविधियो के लिए लघु एव सीमात कृषको, कृषि मजदूरो दस्तकारो एव लघु उद्यमियो को ऋण एव अन्य सुविधाए प्रदान करना है। वस्तुत इन बैको से लाभान्वित होने वाला वर्ग कमजोर वर्ग की श्रेणी मे आता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अधिनियम 1976 की धारा 18 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैक निम्न कार्य कर सकती है —

1 प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक उस व्यापार एव सौदो को करेगा जो बैकिग नियमन अधिनियम 1949 के अन्तर्गत परिभाषित है।

2 प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक विशेषत निम्न प्रकार का व्यापार करेगा

(a) छोटे व मझोले किसानो कृषक मजदूरो सहकारी समितियो कृषि वाणिज्य समिति कृषि प्रक्रियात्मक समिति सहकारी खेती समिति प्रारम्भिक कृषक साख समिति किसान सेवा समिति को ऋण प्रदान करना तथा अग्रिम देना।

(b) दस्तकार, छोटे उद्योगो छोटे व्यापार मे कार्यरत व्यक्तियो को ऋण व अग्रिम प्रदान करना।

सक्षिप्त मे इस बैक के प्रमुख उद्देश्य व कार्य निम्न है

(1) ग्रामीण क्षेत्र मे गरीब लोगो को उपभोग ऋण प्रदान करना।

(11) ग्रामीण लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास करना।

(111) ग्रामीणो मे बचत की भावना को प्रोत्साहित करना।

(1v) ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के दस्तकारो कृषि मजदूरो लघु सीमान्त कृषको आदि को साख की आवश्यकता की पूर्ति कर गरीबी को दूर करना।

(v) कृषिगत उत्पादक कार्यो मे विनियोजन बढाना।

(v1) सस्थागत साख विस्तार द्वारा ग्रामीण साख की खाई को पाटना।

(v11) ग्राम वासियो को महाजनो एव फुटकर व्यापारियो के शोषण से मुक्ति दिलाना।

(v111) ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास करना।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का कमान क्षेत्र एक राज्य के एक से पाच जिलो तक सीमित है जिसके बाहर ग्रामीण बैक कार्य नही कर सकता है। इनकी स्थिति अनुसूचित व्यापारिक बैको जैसी ही है जिसका प्रयोजन सहकारी अथवा व्यापारिक बैक द्वारा किया जाता है। बैक की अधिकृत पूजी एक करोड रुपये (वर्तमान मे 5 करोड रुपये) तय की गई तथा निर्गमित पूजी 25 लाख रुपये (वर्तमान मे एक करोड रुपये) निश्चित की गयी जिसमे से 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार 35 प्रतिशत प्रयोजक बैक तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा लगायी जाती है।

प्रारम्भ मे पाच स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैक निम्नलिखित थे

क्र स	क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का नाम	स्थान व राज्य का नाम	प्रायोजक बैक का नाम
1	प्रथमा बैक	मुरादाबाद उत्तर प्रदेश	सिडीकेट बैंक
2	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	गोरखपुरा उत्तर प्रदेश	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3	जयपुर–नागौर आचलिक ग्रामीण बैक	लावण राजस्थान	यूनाइटेड कामर्शियल बैक
4	हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	शिवानी हरियाणा	पजाब नेशनल बैक
5	गौड ग्रामीण बैंक	माल्दा पश्चिम बगाल	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया

स्रोत नाबार्ड

स्थापना एवं पूँजी

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जिसका शीर्षक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अध्यादेश 1975 था, जारी किया गया इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रवर्तक बैक के प्रार्थना पर सरकारी गजट

मे प्रकाशन के द्वारा किसी राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र मे एक या एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक नोटिफिकेशन मे वर्णित नाम से स्थापित कर सकता है और यह निर्धारित करेगा कि किस स्थानीय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक कार्य करेगा।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का एक नाम होगा जिस नाम से वह सम्पत्ति अर्जित कर सकती है और बेच सकती है इसी नाम से वह किसी से अनुबन्ध कर सकती है तथा उस पर मुकदमा भी इसी नाम से चलाया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की मदद करना और सहायता देना प्रवर्तक बैक का कर्तव्य होगा। प्रवर्तक बैक अश पूजी मे अशदान देगा कर्मचारियो को ट्रेनिग देगा तथा स्थापना के प्रथम पाच वर्ष तक प्रबन्धकीय एव आर्थिक सहायता देगा।

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का अपना एक मुख्य कार्यालय प्रकाशित क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और प्रवर्तक बैक की राय से बनाया जायेगा और सरकारी गजट मे प्रकाशित किया जायेगा। यह आवश्यकतानुसार निर्धारित क्षेत्रो मे शाखाए खोलेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की प्राधिकृत पूजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (सशोधन) बिल 1987 के अनुसार 5 करोड रुपये होगी और प्रत्येक अश 100 रुपये का होगा। चुकता अशपूजी 1 करोड रुपये रखी गई है जिसमे केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत प्रायोजक बैक द्वारा 35 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 15 प्रतिशत एकत्रित होनी चाहिए।

बैंक का प्रबन्धन

बैक का प्रबन्धन एक निदेशक मडल द्वारा किया जाता है जिसके 9 सदस्यीय सचालक होते है जिनमे से 6 केन्द्रीय सरकार 1 राज्य सरकार तथा 2 प्रायोजक बैक द्वारा नियुक्त किये जाते है। सचालक मण्डल के

अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्र सरकार बोर्ड के सदस्यो की सख्या को बढा सकती है लेकिन किसी भी दशा मे ये पन्द्रह से अधिक नही हो सकती है। इस सचालक मण्डल को समय—समय पर निर्गमित सरकारी आदेशो का पालन करना होता है। प्रत्येक सचालक (अध्यक्ष को छोडकर) का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नही होगा और वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा।

प्रवर्तक बैक किसी व्यक्ति (जो प्रवर्तक बैक का अधिकारी न हो) को अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिए नियुक्त करेगा जो पाच वर्ष से अधिक नही होगा।

प्रवर्तक बैक अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन महीना का नोटिस या तीन माह का वेतन व भत्ता देकर निश्चित समय से पूर्व समाप्त कर सकता है। रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को अनुसूचित बैक मानकर अपनी द्वितीय सारणी मे सम्मिलित कर लिया है। रिजर्व बैक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा —1(क) के उपबन्धो से छूट प्रदान की है जिसके अनुसार इन बैको को अपनी कुल जमाओ का 25 प्रतिशत तरल रूप मे रखना पडता है और कुल माग एव समग्र दायित्वो का 3 प्रतिशत ही रखना होता है।

अश पूजी के सम्बन्ध मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से सबधित कार्यदल की सिफारिशे

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से सबधित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1989—90 के दौरान 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का हिस्सा अश पूजी मे 25 लाख रु से बढाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया। इससे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको मे से 194 की चुकता पूजी बढकर 50 लाख रु हो गयी है।[1]

---

1 भारत मे बैकिग की प्रवृत्ति एव प्रगति सबधी रिर्पोट 1989—90

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशो पर भारत सरकार ने 1990–91 के दौरान 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की अश पूजी को 50 लाख रुपये से बढाकर 75 लाख रुपये कर दिया।[1]

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको सबधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1991–92 के दौरान 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की निर्गमित अश पूजी 50 लाख रुपये से 75 लाख रुपये कर दी।[2]

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको सबधी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1992–93 के दौरान 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की 50 लाख रुपये की निर्गमित अश पूजी से 75 लाख रुपये और अन्य 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको मे से प्रत्येक के लिए 75 लाख रुपये से 1 करोड रुपये की वृद्धि को अनुमोदित कर दिया।[3]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987

श्री एस एम केलकर की अध्यक्षता मे गठित कार्यदल की सिफारिशो के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अधिनियम 1976 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (सशोधन) बिल 1987 द्वारा सशोधन किया गया। यह सशोधन 28 सितम्बर 1988 से लागू हुआ।

उक्त ससोधन मे शामिल कुछ महत्वपूर्ण भेद निम्नलिखित है

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की अधिकृत पूजी एक करोड रुपये से बढाकर पाच करोड रुपये तथा चुकता अश पूजी 25 लाख रुपये से बढकर एक करोड रुपये कर दी गयी है।

---

1 भारतीय रिजर्व बेक बुलेटिन अप्रैल 1992 (परिशिष्ट) पृष्ठ 58
2 भारतीय रिजर्व बैक बुलेटिन जनवरी 1993 (परिशिष्ट) पृष्ठ 45
3 भारतीय रिजर्व बैक बुलेटिन मई 1994 (परिशिष्ट) पृष्ठ 44

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के समामेलन के सबध मे भी सशोधन किया गया है। राष्ट्रीय बैक द्वारा सबधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैक से विचार विमर्श करके दो या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का समामेलन किया जा सकता है। इस तरह का समामेलन करते समय लोकहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैक द्वारा सेवित क्षेत्र के विकास तथा स्वय ग्रामीण बैको के हित को भी ध्यान मे रखा जाना चाहिए।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजक बैक द्वारा राष्ट्रीय बैक से परामर्श करके की जाएगी।

(4) प्रायोजक बैक को यह अधिकार दिया गया कि वे समय समय पर अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की प्रगति की निगरानी करे उनका निरीक्षण तथा उनकी आन्तरिक लेखा–परीक्षा करे एव उनकी सुरक्षा की जाच करे तथा जहा कही आवश्यक हो क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को सुधरात्मक उपाय सुझाये।[1]

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के कार्यो के बारे मे प्रायोजक बैको को और बडे उत्तरदायित्व सौपे गये है। अश–पूजी मे अशदान करने के साथ–साथ वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के प्रथम पाच वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हे प्रबधात्मक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उनके कर्मचारियो को प्रशिक्षण देकर अपेक्षाकृत बडी मात्रा मे उनकी सहायता करेगे।

---

1 भारत मे बैकिग की प्रवृत्ति एव प्रगति रिपोर्ट 1987–88 पृष्ठ 89

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित विभिन्न समितियां तथा उनकी सिफारिशें

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कार्यकारी दल (नरसिम्हन कमेटी 1975)

इस समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशे थी

(i) प्रायोजक बैक प्रतिनियुक्त स्टाफ का खर्च स्वय वहन करे।

(ii) ग्रामीण बैक ग्रामीण क्षेत्रो को ही अपना कार्य क्षेत्र बनाकर कृषि व सहायक गतिविधियो का विकास करने मे योगदान दे।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के स्टाफ प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था करे।

(iv) पुनर्वित्त सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध कराये।[1]

(2) दॉतवाला समिति (1977)

1977 मे केन्द्र मे सत्ता परिवर्तन के बाद प्रथम बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की उपयोगिता की जॉच हेतु दॉतवाला समिति गठित की गई। इस समिति मे इन बैको के प्रयासो तथा क्षमताओ की प्रशासा की तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि व्यवसाय का स्तर बढने के साथ ही इनकी लाभ प्रदता का सकट भी समाप्त हो जायगा। समिति ने यह भी कहा कि बैको का प्रसार विशेष रूप से दूर–दराज अविकसित ग्रामीण क्षेत्रो मे किया जाय तथा कुल ऋण का 60 प्रतिशत ऋण ग्रामीण लघु कृषको दस्तकारो, फुटकर व्यापारियो कृषक मजदूरो और अन्य निर्धन ग्रामीणो को दिया जाय।[2]

---

1 स्रोत कुरुक्षेत्र (अग्रेजी सस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 15
2 स्रोत कुरुक्षेत्र (अग्रेजी सस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 15

(3) केलकर समिति (1986)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने केलकर समिति का गठन किया जिसने इन बैको की कार्य प्रणाली की कडी समीक्षा की तथा इनके प्रबन्ध व व्यवहार्यता के अनेक पहलुओ पर अपने सुझाव दिये। यह रिपोर्ट सरकार को 10 मार्च 1986 को प्राप्त हुई। इसमे प्रमुख सिफारिशे निम्नलिखित थी

(1) सक्षमता को सुदृढ करने के लिए अधिकृत पूजी एक करोड रुपये से बढाकर 5 करोड रुपये कर दी जाय तथा चुकता पूजी 25 लाख रुपये से बढाकर एक करोड कर दी जाये।

(2) प्रोयाजक बैक क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की उनके पास चालू खाते मे जमा रकम को सरकारी प्रतिभूतियो मे लगाए ताकि उन्हे उच्चतर दर पर लाभ मिल सके।

(3) ऋण जमा अनुपात जो ग्रामीण बैको के लिए 100 निर्धारित है नाबार्ड द्वारा इसके घटाने पर विचार किया जाय ताकि यह प्रतिबधात्मक आदेश कमजोर तबके के लोगो को सरल ऋण उपलब्धि मे बाधक न बने।

(4) प्रयोजक बैको द्वारा सरल व उदार शर्तो पर कम लागत पर ग्रामीण बैको को पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाय।

(5) कुछ चुनी हुई सस्थाओ निगमो निकायो, बोर्डो इत्यादि को नाबार्ड द्वारा ऋण प्रदान करने की छूट प्रदान की जाए।

(6) छोटे तथा अलाभकारी बैको का विलय किया जाये तथा इन बैको का कार्यक्षेत्र सामान्यत 2 जिलो तक ही सीमित रखा जाए।

इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (सशोधन) एक्ट 1987 को मजूरी दी। तब तक 196 ग्रामीण बैक स्थापित हो चुके थे।

इसके बाद देश मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की श्रृखला को विराम लग गया जो कि अभी तक बरकरार है।

(4) खुशरो समिति (1989)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सगठनात्मक समस्याओ पर विचार करने के लिए 1989 मे डॉ ए एम खुसरो की अध्यक्षता मे कृषि साख सर्वेक्षण समिति (1989) बनायी गयी। समिति ने विभिन्न पहलुओ जैसे खराब वसूली प्रबधकीय तथा स्टाफ की समस्याए हासिल लाभ प्रदता आदि का अध्ययन करने के पश्चात इन बैको को प्रायोजक बैको मे विलय का सुझाव दिया।[1]

(5) नरसिम्हन समिति (1991)

नरसिम्हन समिति की सिफारिश थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैको की ग्रामीण सह–इकाइयो की स्थापना की जाए जो बैको की ग्रामीण शाखाओ को अपने अधिकार मे ले ले। समिति ने इस बात का विकल्प क्षेत्रीय ग्रामीण बैको और उनके प्रायोजक बैको पर छोड दिया कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अपनी पहचान बनाये रखे अथवा वे प्रायोजक बैको की ग्रामीण बैकिग सह–इकाइयो के साथ स्वैच्छिक आधार पर मिल जाए।[2]

(6) भण्डारी समिति (1994)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 के बजट मे की गयी इस आशय की घोषणा कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको मे से 50 का पुनरुद्धार और पुनर्गठन किया जायेगा के अनुसरण मे पुर्नगठन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का

स्रोत 1 कुरूक्षेत्र (अग्रेजी सस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 24
स्रोत 2 कुरूक्षेत्र (अग्रेजी सस्करण) जुलाई 1996 पृष्ठ 25

अभिनिर्धारण करने के लिए डॉ एम सी भडारी मुख्य महाप्रबधक नाबार्ड की अध्यक्षता मे एक समिति नियुक्त की गई। यह देखते हुए कि उक्त समिति ने अपनी अतरिम रिपोर्ट मे वित्तीय सुदृढता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का अभिनिर्धारण किया है। भारत सरकार ने 50 मे से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का पुनर्गठन करने के लिए समिति की सस्तुति को स्वीकार कर लिया है।[1]

(7) सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता की शर्मा समिति की संस्तुति (जनवरी 1998)

सहकारी बैको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के प्रति नाबार्ड की देख–रेख सम्बन्धी भूमिका की समीक्षा के लिए गठित शर्मा समिति ने इन बैको के लिए भी पूजी पर्याप्तता मानक लागू करने की सस्तुति की है। रिजर्व बैक के भूतपूर्व एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू के शर्मा की अध्यक्षता मे इस समिति का गठन जनवरी 1998 मे किया गया। 27 अप्रैल 1998 को सौपे गये अपने प्रतिवेदन मे समिति ने कहा कि ग्रामीण साख का 60 प्रतिशत से अधिक भाग का वितरण इन्ही सस्थाओ के द्वारा किया जाता है। किन्तु परिसम्पत्तियो के ह्रास के कारण वर्तमान मे अधिकाश सहकारी बैको के पास एक लाख व क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के पास पाच लाख रुपये की न्यूनतम पूजी भी नही है। समिति ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्रवर्तक बैक के माध्यम से इन बैको के पुन पूजीकरण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। समिति ने सहकारी बैको के लिए केन्द्र की 6 600 करोड रुपये की प्रस्तावित सहायता से वितरण मे तेजी लाने की सस्तुति की है ताकि मार्च 1999 तक यह बैक 4 प्रतिशत पूजी पर्याप्तता के स्तर को प्राप्त कर सके।

स्रोत 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण शोध ग्रन्थ 1998 डॉ श्याम कृष्ण पाण्डेय

इन बैको के कार्यकलापो पर निगरानी के लिए शर्मा समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता मे एक स्वायत्त बोर्ड ऑफ सुपरविजन गठित करने की सस्तुति की है। सहकारी बैको की भूमि भवनो व अन्य भू–सम्पत्तियो के लेखे–जोखो का नियमित निरीक्षण करने की भी सस्तुति की है तथा यह भी कहा है कि प्राथमिक ऋण समितियो की निगरानी का जिम्मा केवल नाबार्ड पर न छोडा जाए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों में खातों का संचालन

बैक का प्रमुख कार्य जनता से जमा के रूप मे धन स्वीकार करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैक मे भी विभिन्न खातो का सचालन होता है जैसे बचत खाता सावधि जमा खाता चालू खाता तथा आवर्ती जमा खाता आदि।

बचत खाता

यह खाता वेतन भोगी कर्मचारियो तथा सामान्य आय वाले व्यक्तियो के लिए उपयोगी होता है। इस खाते मे दिन मे कितनी ही बार रकमे जमा की जा सकती है किन्तु रकम निकालने की सुविधा सप्ताह मे एक या दो बार ही दी जाती है। आजकल इस खाते पर ब्याज की दर 4 5 प्रतिशत वार्षिक है। इस खाते मे निर्धारित राशि से कम जमा होने पर अथवा निर्धारित सख्या से अधिक बार रुपया निकालने पर बैक ग्राहक पर कुछ प्रभार लगा सकता है।

सावाधि जमा खाता

इस खाते मे एक निश्चत समय जैसे—तीन माह छ माह 1 2 3 5 वर्षो के लिए रुपये जमा किया जा सकता है। इस खाते पर ब्याज की दर अन्य खातो की अपेक्षा ऊची होती है। जो जमा की अवधि पर निर्भर करती है। इस खाते मे रुपया जमा करने पर जमाकर्त्ता को एक जमा रसीद मिलती है जो अपरिवर्तनीय होती है। इस खाते मे निश्चित अवधि से पहले न तो रुपया निकाला जाता है ओर न ही जमा किया जा सकता है। यदि जमाकर्त्ता अवधि के पूर्व ही अपनी रकम को वापस लेना चाहता है तो उसे जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की हानि उठानी पडती है। जमाकर्त्ता चाहे तो जमा रसीद की जमानत पर ऋण भी ले सकता है।

चालू खाता

इस खाते मे जमाकर्त्ता बैक के कार्य के घण्टो मे कई बार चाहे जितनी रकम जमा कर सकता है और आवश्यकतानुसार निकाल सकता है। यह खाता व्यापारियो एव उद्योगपतियो के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा सुविधाजनक होता है क्योकि उन्हे प्रतिदिन भुगतान मे अनेक चेक प्राप्त होते है तथा भुगतान मे अनेक चेक देने पडते है। बैक प्राय इस खाते पर ब्याज नही देते बल्कि वर्ष के अन्त मे जमाकर्त्ताओ से व्यय के रूप मे कुछ शुल्क वसूल करते है।

आवर्ती जमा खाता

आवर्ती जमा खाता बचत खाते तथा सावधि जमा खाते का मिला हुआ रूप है। यह खाता छोटी धनराशि से खोला जा सकता है परन्तु इसमे नियमित रूप से मासिक एक निश्चित धनराशि जमा करना आवश्यक होता है। यह खाता 5 रुपये अथवा उसके गुणित मे खोला जा सकता है। जमा की अवधि एक से 10 वर्ष की हो सकती है। ब्याज—दर जमा की अवधि पर निर्भर करती है। अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित जमा की रकम जमाकर्त्ता को वापस कर दी जाती है। यदि किस्त जमा करने मे त्रुटि की जाती है तो अगले मास प्रभार लगाया जाता है। अग्रिम किस्त जमा करने पर कटौती मिलती है।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

भारत मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की प्रगति 1980 के बाद तीव्र गति से हुई है और इनकी सख्याओ और शाखाओ मे लगातार वृद्धि होती जा रही है जिसका अनुमान निम्नलिखित तालिकाओ से लगाया जा सकता है

तालिका 5 1

भारत मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की प्रगति

क्र स	अवधि की समाप्ति पर	क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सख्या	क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के अन्तर्गत जिले	शाखाओं की सख्या
1	2	3	4	5
1	दिस 1975	6	12	17
2	दिस 1980	85	144	3279
3	दिस 1985	188	333	12606
4	मार्च 1990	196	372	14443
5	मार्च 1992	196	392	14539
6	मार्च 1994	196	408	14542
7	मार्च 1996	196	427	14497
8	मार्च 1997	196	435	14500
9	मार्च 2000	196	443	14513

स्रोत

1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से सबधित साख्यिकीय दिसम्बर 1985 1990

2 बैकिग साख्यिकी तिमाही पुस्तिका मार्च 1997

3 बैकि साख्यिकी 2000

बैंकों का प्रसार

तालिका 5 1 के अवलोकन स्पष्ट होता है कि भारत मे दिसम्बर 1975 मे जहा केवल 6 ग्रामीण बैक स्थापित थे 1980 मे यह सख्या बढकर 85 हो गयी। इसी अवधि मे जो 17 शखाए थी यह बढकर 3279 हो गयी। दिसम्बर 1985 मे बैको की सख्या बढकर 188 तथा 1990 मे 196 हो गयी। तालिका से स्पष्ट है कि अन्तिम 10 वर्षो (1990–2000) के मध्य बैको की सख्या मे कोई वृद्धि नही हुई।[1] और शाखाओ की सख्या मे मात्र 74 (0 5 प्रतिशत) वृद्धि हुई। वर्तमान मे दिल्ली सिक्किम चडीगढ असम निकोबार द्वीप समूह दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप ओर पाडीचेरी आदि राज्यो और केन्द्र शासित प्रदेशो को छोडकर अन्य सभी राज्यो मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित हो गये है।

आच्छादित जिलों की संख्या

दिसम्बर 1975 मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत मे केवल 12 जिले थे जबकि मार्च 1990 मे यह बढकर 372 जिले हो गये। उसके बाद जिलो की सख्या मे वृद्धि दर कम हो गयी। मार्च 2000 तक कुल 443 जिले क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के अन्तर्गत हो गये।

शाखा प्रसार

तालिका से स्पष्ट है कि दिसम्बर 1975 की अपेक्षा 1980 मे शाखाओ की सख्या मे तीव्र वृद्धि हुई। दिसम्बर 1985 मे शाखाओ की सख्या बढकर 12606 हो गयी उसके पश्चात शाखाओ की वृद्धि दर कम हो गयी और मार्च 2000 तक कुल शाखाओ की सख्या 14517 हो गयी।

---

1 केलकर समिति की सिफारिशो के अनुसार।

तालिका 5 2

भारत मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की जमा/ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	अवधि की समाप्ति पर	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत मे)
1	दिस 1975	20	10	50
2	दिस 1980	19983	24338	122
3	दिस 1985	128582	140767	109
4	मार्च 1990	415052	355404	86
5	मार्च 1992	586783	409086	70
6	मार्च 1994	882651	525302	60
7	मार्च 1996	1418790	750502	53
8	मार्च 1997	1732740	865241	50
9	मार्च 2000	3219693	1315894	41

स्रोत

1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से सबधित साख्यिकीय दिसम्बर 1999

2 बैकिग साख्यिकी तिमाही पुस्तिका मार्च 2000

3 नाबार्ड

जमा संग्रहण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने गावो के दूर–दराज क्षेत्रो मे निष्क्रिय पडी पूजी का सग्रहण करके ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गावो मे छोटी–छोटी बचतो को एकत्र करके पुन उसी क्षेत्र मे विनियोजन कर दिया जाता है। ये पूजी इन बैको के अभाव मे बेकार पडी रहती है या

अनुत्पादक कार्यों मे लगा दी जाती है। दिसम्बर 1975 मे बैक की कुल जमा राशि 20 लाख रुपये थी जो कि दिसम्बर 1980 मे बढकर 19983 लाख रुपये हो गयी इस प्रकार पाच वर्षो मे रिकार्ड (19960 लाख) वृद्धि हुई। यह वृद्धि लगातार जारी है और वर्तमान मे (मार्च 2000) कुल 3219693 लाख रुपये जमा सग्रह हुई।

ऋण वितरण

जिस प्रकार बैक जमा मे भारी वृद्धि हुई उसी प्रकार ऋण वितरण मे भी वृद्धि हुई। दिसम्बर 1975 मे इन बैको ने केवल 10 लाख रुपये का ऋण वितरित किया था जबकि दिसम्बर 1980 मे कुल 24338 लाख रुपये वितरित किया गया जो कि एक रिकार्ड वृद्धि दर्शाता है। जबकि 1980 मे जमा केवल 19983 लाख था इस प्रकार जमा की अपेक्षा ऋण वितरण 122 प्रतिशत रहा। यह ऋण वितरण आज तक लगातार बढता रहा और मार्च 2000 मे यह बढकर 2007147 लाख रुपये हो गया।

ऋण जमा अनुपात

तालिका 5 2 से परिलक्षित होता है कि दिसम्बर 1975 मे ऋण जमा अनुपात 50 प्रतिशत था जो बढकर 1980 मे 122 प्रतिशत हो गया । उसके पश्चात घटना प्रारम्भ हो गया और 1985 मे 109 हो गया और यह निरन्तर घटता रहा तथा मार्च 2000 मे घटकर 41 प्रतिशत रह गया।

तालिका 5 3

भारत मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की औसत प्रति बैक/शाखा का जमा/ऋण प्रगति का विवरण

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	अवधि की समाप्ति पर	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैक जमा	औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ऋण	औसत प्रति शाखा जमा	औसत प्रति शाखा ऋण
1	2	3	4	5	6
1	दिस 1975	3 33	1 67	1 18	0 59
2	दिस 1980	235 09	286 33	6 09	7 42
3	दिस 1985	683 95	748 76	10 20	11 17
4	मार्च 1990	2117 61	1813 29	28 74	24 61
5	मार्च 1992	2993 79	2087 17	40 36	28 14
6	मार्च 1994	4503 32	2680 11	60 70	36 12
7	मार्च 1996	7238 72	3829 09	97 87	51 77
8	मार्च 1997	8840 51	4414 49	119 49	59 67
9	मार्च 2000	16427 01	6713 74	221 79	90 65

स्रोत तालिका 1 और 2 पर आधारित

तालिका 5 3 से स्पष्ट है कि ग्रामीण बैको की औसत प्रति बैक जमा तथा ऋण मे निरन्तर वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1975 मे औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण बैक जमा 3 33 लाख रुपये का जबकि मार्च 2000 मे बढकर 16427 01 लाख रुपये हो गया। इसी प्रकार औसत प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण ऋण दिसम्बर 1975 मे 1 67 लाख रुपये था यह मार्च 2000 मे बढकर 6713 74 लाख रुपये हो गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने केवल जमा मे ही नही बल्कि ऋण वितरण के क्षेत्र मे भी निरन्तर वृद्धि दर्ज की है। दिसम्बर 1975 मे औसत प्रति शाखा ऋण 0 59 लाख रुपये था। यह मार्च 2000 मे बढकर 90 65 लाख रुपये हो गया।

तालिका 5.4

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको, उनकी शाखाओ, जमा, ऋण इत्यादि का राज्यवार विवरण मार्च 2000 की समाप्ति पर

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सख्या	शाखाओ की सख्या	क्षे ग्रामीण बैक के अन्तर्गत जिले	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत मे)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	40	3004	70	842960 29	254164 82	30 15
2	बिहार	22	1886	53	397499 14	92918 27	23 28
3	मध्य प्रदेश	24	1560	46	30974 84	96753 89	33 67
4	आन्ध्र प्रदेश	16	1135	24	256793 46	166210 65	64 73
5	अरुणाचल प्रदेश	1	19	5	2477 73	2772 43	111 90
6	असम	5	401	25	81295 35	22841 84	28 10
7	गुजरात	9	436	17	88324 30	41266 63	51 04
8	हरियाणा	4	291	15	88324 30	42690 36	48 33
9	हिमाचल प्रदेश	2	130	4	42295 99	10080 52	23 83
10	जम्मु और कश्मीर	3	259	12	51204 97	8585 18	16 77
11	कर्नाटक	13	1084	21	24529 90	163924 66	81 22
12	केरला	2	301	6	65773 92	76753 09	116 69
13	महाराष्ट्र	10	586	17	94920 35	47375 16	49 91

क्र स	राज्य का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सख्या	शाखाओ की सख्या	क्षे ग्रामीण बैक के अन्तर्गत जिले	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत मे)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	मणिपुर	1	29	8	2107 17	727 98	34 55
15	मेघालय	1	51	4	9897 32	2662 39	26 90
16	मिजोरम	1	54	3	5049 39	1758 04	34 82
17	नागालैण्ड	1	8	7	469 75	142 19	50 28
18	उडीसा	9	842	30	149209 81	76171 28	51 05
19	पजाब	5	204	13	48418 88	18157 71	37 50
20	राजस्थान	14	1071	33	198885 37	81537 02	41 00
21	तमिलनाडू	3	211	8	41993 37	25028 99	59 60
22	त्रिपुरा	1	85	3	31377 56	10227 00	32 59
23	पश्चिम बगाल	9	870	19	23873 179	75844 46	31 77
	भारत	196	14517	443	3219693 26	1318594 60	40 95

स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से सम्बन्धित साख्यिकीय मार्च 2000

तालिका 5 4 से परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सर्वाधिक सख्या 40 उत्तर प्रदेश मे स्थित है। जो कि कुल सख्या का 20 4 प्रतिशत है। इसके पश्चात क्रमश मध्य प्रदेश मे 24 प्रतिशत बिहार मे 22 प्रतिशत तथा राजस्थान मे 14 प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मेघालय मिजोरम नागालैड तथा त्रिपुरा मे न्यूनतम एक–एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित है। सर्वाधिक सेवित जिलो की सख्या उत्तर प्रदेश मे 70 तथा न्यूनतम सेवित जिलो की सख्या त्रिपुरा एव मिजोरम मे तीन–तीन है। कुल जमा राशि सर्वाधिक उत्तर प्रदेश मे 84296029 लाख रुपये तथा न्यूनतम नागालैण्ड मे 469 75 लाख रुपये हे। उत्तर प्रदेश मे ऋण की राशि

254164 82 लाख रुपये है जो कि अन्य राज्यो की अपेक्षा सर्वाधिक है। शाखाओ की सख्या भी उत्तर प्रदेश मे सबसे अधिक 3004 है। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 116 69 प्रतिशत केरल मे तथा न्यूनतम 16 77 प्रतिशत जम्मू कश्मीर मे है।

तालिका 5 5

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों मे जमा, ऋण, ऋण-जमा अनुपात इत्यादि का अग्रणी बैकवार विवरण, मार्च 2000 की समाप्ति पर

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	प्रायोजक बैक का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सख्या	शाखाओ की सख्या	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत मे)
1	2	3	4	5	6	7
1	इलाहाबाद बैंक	7	502	118398 55	37996 70	32 09
2	आन्ध्र बैक	3	160	36042 12	19202 73	53 28
3	बैंक ऑफ बडौदा	19	1236	285971 04	105966 02	37 05
4	बैंक ऑफ इण्डिया	16	988	222213 53	72268 80	32 52
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3	315	53003 89	27050 79	51 04
6	बैक ऑफ राजस्थान	1	61	11988 17	3718 20	31 02
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	23	1786	332372 59	99429 75	28 41
8	केनरा बैंक	8	702	162286 89	122118 67	75 25
9	कॉरपोरेशन बैंक	1	46	7782 39	6615 90	58 01
10	देना बैंक	4	261	49872 55	19149 68	38 40
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक	3	325	72592 49	43673 56	60 16
12	इण्डियन बैंक	4	153	29921 08	21655 49	74 11
13	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	2	173	42715 19	7820 28	18 31

क्र स	प्रायोजक बैक का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सख्या	शाखाओ की सख्या	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत मे)
1	2	3	4	5	6	7
14	पजाब एण्ड सिन्ध बैक	1	22	4304 52	2523 08	58 61
15	पेजाब नेशनल बैंक	19	1275	320752 54	103557 70	32 29
16	स्टेट बैंक ऑफ वि ए जयपुर	3	205	48042 08	17909 66	38 07
17	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	4	169	43938 13	23243 46	52 90
18	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	30	2344	440869 15	176743 20	40 09
19	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1	23	6903 41	3572 70	51 75
20	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2	214	27294 68	19944 37	73 07
21	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1	41	7664 66	4476 81	58 41
22	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	3	139	22475 73	13099 31	57 59
23	सिडिकेट बैक	10	1056	28326 39	199973 16	70 59
24	यूनाइटेड बैंक ऑफ इडिया	11	1016	257390 73	78970 18	30 68
25	यूको बैंक	11	810	173817 84	54721 58	31 48
26	यूपी स्टेट कोआ बैक लि	1	64	10604 54	4981 83	46 98
27	यूनियन बैंक	4	406	144965 87	30587 63	21 10
28	वियया बैक	1	25	3642 51	2623 35	72 02
	कुल भारत	196	14517	3219693 26	1318594 59	40 95

स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों से सम्बन्धित साख्यिकीय, मार्च 2000

तालिका 5 5 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की प्रायोजक बैक भारतीय स्टेट बैक है जिसके अन्तर्गत 2344 शाखाए है। सबसे कम शाखाए स्टेट बैक ऑफ इन्दौर के अन्तर्गत 23 है। कुल जमाओ

मे भी भारतीय स्टेट बैक का प्रथम स्थान रहा है। जबकि कुल ऋण मे सिडिकेट बैक का स्थान प्रथम है। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 85 01 कॉरपोरेशन बैक का तथा न्यूनतम 18 31 प्रतिशत जम्मू एण्ड कश्मीर बैक का रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित मुख्य-मुख्य बातें

(वित्तीय वर्ष 1999-2000)

1 1998–99 मे 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के मुकाबले 1999–2000 के दौरान 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने लाभ अर्जित किया है।

2 156 क्षेत्रीय बैको ने अपने कार्य निष्पादन मे सुधार दर्शाया है जिसमे लाभ मे वृद्धि हानि मे कमी अथवा हानि से लाभ मे आना शामिल है।

3 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने हानि से लाभ दर्ज किया, जबकि 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने अपनी हानिया कम की है।

4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सचयी हानि जो वर्ष 1998–99 मे रु 3100 84 करोड थी वह घटकर वर्ष 1999–2000 मे रु 2979 33 करोड हो गयी।

5 31 मार्च 1999 को 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की तुलना मे 31 मार्च 2000 को 55 प्रतिशत ग्रामीण बैको ने अपनी सचित हानिया परिसमाप्त किया। इस वर्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का सम्मिलित शुद्ध लाभ रुपये 429 31 करोड रहा जो गत वर्ष सम्मिलित लाभ रुपये 247 73 करोड था।

6 31 मार्च 1999 को 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का सम्मिलित शुद्ध लाभ रुपये 425 83 करोड था जबकि इस वर्ष 162 क्षेत्रीय

ग्रामीण बैको ने रुपये 561 00 करोड का शुद्ध सम्मिलित लाभ अर्जित किया।

7 34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सकल हानियॉ 113 59 करोड रुपये है। उनकी 1473 86 करोड रुपये की सचित हानियॉ कुल 2979 33 करोड रुपये की सचित हानियो का 48 3 प्रतिशत है जो एक गभीर मामला है।

8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की जमा राशिया मे इस वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का बकाया अग्रिम 16 प्रतिशत वृद्धि के साथ 13185 95 करोड रुपये है।

10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा दिये गये ऋण 5560 81 करोड रुपये से बढ कर 1999—2000 के दौरान 6885 52 करोड रुपये हो गए जो 23 8 प्रतिशत की बढोत्तरी है।

11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा लिए गए कुल उधार तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3671 87 करोड रुपये है।

12 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का निवेश—जमा अनुपात (आई डी आर) साथ लेने पर इसमे कमी आई है यह 31 मार्च 1999 के 64 6 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2000 को 60 9 प्रतिशत रह गया।

13 30 जून 1999 को वसूली से माग का प्रतिशत 64 7 प्रतिशत रहा।

14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का सकल एन पी ए 31 मार्च 1999 को 27 7 प्रतिशत था जो 31 मार्च 2000 को घटकर 22 6 प्रतिशत रह गया।

15 ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 42 0 की तुलना मे 31 मार्च 2000 को 41 0 रहा।

स्रोत 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको से सम्बन्धित साख्यिकी मार्च 2000

नोट 1 उपरोक्त बाते लेखा परीक्षित (174 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) तथा अलेखापरीक्षित (22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक) आकडो पर आधारित है।

2 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के सन्दर्भ मे आकडे 30 जून 1998 से सन्बन्धित है।

अध्याय - 6

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

प्रदेश में अग्रणी बैंक

अध्याय-6

उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवर्तन की दिशा इसका आर्थिक स्वरूप इसमे घट रही विकासात्मक गतिविधियॉ इसमे आये अनेक उतार–चढाव इसका गौरवमयी इतिहास इसका इन्द्रधनुषी सास्कृतिक स्वरूप आदि ऐसे क्षेत्र और पहलू है जो प्रदेश का मुकम्मिल खाका तैयार करते है। जिन पर विस्तृत तैयारी और योजना के साथ शोध परक सूचनापरक एव विश्लेषणात्मक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

प्रदेश के लोग परिश्रमी सघर्षशील और लगनशील है। इनकी राष्ट्रीय निष्ठाए अडिग है। आन बान पर मिटने के इनके स्वाभाविक चरित्र की झलक देश की आजादी के इतिहास मे स्पष्ट दिखता है। इनमे अत्याधिक मेल–जोल और भाई–चारा है। इनमे विपत्ति मे बिना विचलित हुए पहाड की तरह अडिग रहने की दृढता है। विकास की ओर निरन्तर बढने की इनकी चाह का ही परिणाम है कि तमाम विसगतियो एव विषय परिस्थितियो के बावजूद यह प्रदशे विकास की होड मे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ रहा है इनकी हजारो वर्ष पुरानी अपनी जीवन शैली की स्वाभाविक सरलता और मौलिकता को उपभोक्तावाद के प्रभाव से बचाकर रखा जा सकता है यह बडी बात है। प्रदेश की सत्तर प्रतिशत जनता गाव मे रहती है और उसका मुख्य व्यवसाय खेती है। इस प्रदेश कीं विविधता के तह मे हम जितना जायेगे उतने ही रत्न हमारे हाथ लगेगे।

15 अगस्त 1947 को जब आजादी की बागडोर हमारे हाथ मे आयी तो एक तरफ तो थी सपनो की खेती करने को ढेर सारी जमीन और दूसरी

ओर थी तमाम चुनौतिया। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य जरूर था लेकिन यह इति नही था यह था प्रारम्भ। जहा से शुरू होना था कारवा विकास का तरक्की का हर किसान के खेत मे लहलहाती फसल का। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारी अनिवार्य शर्त थी उसकी पूर्णता। पूर्णता के इन्ही सपनो के साथ जवाहर लाल नेहरू ने देश के नागरिको की ओर से राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक इन विविध आयामो मे राष्ट्र को निरन्तर अग्रसर करने की नियति से वादा किया था। बाद मे सविधान निर्माण के समय देश के शासन के मूलभूत सवैधानिक सिद्धात अनुच्छेद 38 के अन्तर्गत राज्य को आदेश दिया गया कि राज्य नागरिको के कल्याण को बढावा देने का प्रयत्न करेगा जिससे वह यथा सम्भव प्रभावकारी ढग से ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त एव सुरक्षित करेगा जिसमे राष्ट्रीय जीवन की सभी समस्याओ मे राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध हो।

स्वाधीनता के समय नियति से किया गया हमारा वादा हो या अनुच्छेद 38 की भावना यह हमे हमारे विकास की भावदात्रा का आभास बार–बार कराती है और हमे सचेत करती है कि विकास मात्र आकडो के उतार–चढाव का खेल नही बल्कि सामाजिक और राजनैतिक स्तर की एक जिम्मेदारी भी है। इसी धरातल पर हम उत्तर प्रदेश के विकास का मूल्याकन करे और उसकी चुनौतियो को देखे तो हम अपने किये हुए कार्यो के प्रति उत्साहित भी होगे और अपने नये सपनो को पूर्ण करने का बल भी प्राप्त करेगे।

नोबेल विजेता अर्मत्य सेन अपनी पुस्तक इन्डियन डेवलपमेट मे उत्तर प्रदेश को देश का ह्रदय स्थल कहा है। उत्तर प्रदेश को वे सम्पूर्ण देश के विकास और उपलब्धियो को मापने का आदर्श मॉडल भी मानते है। अगर इसका आर्थिक विश्लेषण कर ले तो समूचे उत्तर भारत को आसानी से समझा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के विकास मे निष्पक्ष प्रेक्षक को दो बाते दिखायी पडती है एक आजादी के पिछले पचास सालो मे प्रदेश की उपलब्धिया अधिक रही है और दूसरी ओर इस अवधि मे विफलताए भी बहुत सारी दृष्टिगोचर होती है हालाकि ये दोनो बाते स्पष्टता विरोधी है। इन विरोधाभासी तत्थो के बावजूद दोनो की सच्चाई से इनकार नही किया जा सकता। क्योकि इतनी विशाल और जटिल अर्थव्यवस्था मे यह दोनो परस्पर विरोधी तथ्य स्पष्टता मौजूद रहते है। विशाल भू–भाग और 16 करोड की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश बडी अर्थव्यवस्था तो रखता ही है और यही कारण है कि यहा सफलताए और विफलताए एक साथ मौजूद रहती है और यही वे कारण थे जिनसे अर्मत्य सेन को उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल लगा।

जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश भी आज–कल और आने वाले कल के दोराहे पर था। स्वतत्रता सग्राम मे उत्तर प्रदेश के आम नागरिको ने बढचढ कर हिस्सा लिया था। जब स्वतत्रता मिली तो बढचढ कर वहीं अपेक्षाए भी रही। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी जिसमे कभी बाढ की चपेट रहती थी तो कभी सूखे की। सिचाई के साधन भी नाम मात्र के थे। उद्योगो की उपस्थिति भी नाममात्र की थी। 1951–56 के आकडो के अनुसार उस समय प्रदेश मे वृहद और मझोले आकार की 62 तथा लघु उद्योगो की 1647 इकाइया मात्र थी जिसमे मात्र 35 हजार लोगो को ही रोजगार मिला था। इसमे 25 हजार वृहद एव मझोले उद्यमो का रोजगार था और 30 हजार लघु उद्योग क्षेत्रो का।

गगा के विशाल और उपजाऊ मैदानो के बावजूद खेती अपने परम्परागत रूप मे ही थी। उस पर भी जमीदारी प्रथा लागू थी। इसके चलते प्रदेश अपने पेट भरने तक के लिए अनाजो का पीएल 480 जैसी योजनाओ के अन्तर्गत अनाज आयात करता था। स्वास्थ्य और शिक्षा का भी यही हाल था। आजादी के समय 80 प्रतिशत गाव ऐसे थे जहा प्राथमिक

शिक्षा भी उपलब्ध नही थी। स्वास्थ्य सेवा के नाम पर आजादी के समय प्रदेश मे लखनऊ और आगरा मे मात्र दो मेडिकल कालेज थे तथा एक लाख की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र था। अनुभवी चिकित्साक मात्र शहरो या मझोले नगरो तक ही सीमित थे।

294411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश राज्य आजादी के समय एक विकास का भू–भाग था जो अपनी अलग–अलग विशिष्टताओ के साथ पश्चिमी पूर्वी पहाडी तराई ओर बुन्देलखण्ड के क्षेत्र मे तरह–तरह से बटा भी था। इन चुनौतियो पर नजर डालते हुए हम उत्तर प्रदेश के 50 साल के विकास को देखे तो हम अनेक क्षेत्रो मे उसकी यादगार उपलब्धि को देख सकते है। कृषि क्षेत्र ग्रामीण परिवेश स्वास्थ्य सुविधाओ के प्रसार शिक्षा के प्रसार और उत्पादन एव उद्योगो के नए तौर तरीको के लेखा–जोखा मे उत्तर प्रदेश के विकास की गौरवमयी तस्वीर मौजूद है।

खेती के लिए गगा के उपजाऊ मैदान की उपलब्धता के कारण आजादी के समय जितनी बडी आबादी उत्तर प्रदेश मे कृषि पर निर्भर थी उतनी और किसी राज्य मे नही इसीलिए सरकार ने कृषि विकास पर ही सर्वप्रथम सर्वाधिक जोर दिया। कृषि विकास मे उत्तरोत्तर गति पैदा करने की मशा से विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये जिनमे प्रमुख थे अधिकतम उपज अभियान, (1947) भूमि एव जल सरक्षण कार्य (1949) योजना वद्ध विकास (1952) सामुदायिक विकास एव राष्ट्रीय प्रसार सेवा (1953) अधिक उपजाऊ प्रजातियो का समावेश (1965) दोहरी घाट जल प्रयेग योजना (1969) समावेश क्षेत्र विकास (1974) उद्यान और फल उपभोग विभाग का गठन (1975) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना (1975) प्रमुख है।

नरसिहम समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थापना का निर्णय लिया। 1975 मे प्रारम्भ मे पाच क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये जिसमे से प्रथमा बैंक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले मे प्रथम बैक के नाम से स्थापित किया गया

जो उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था। दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले मे स्थापित किया गया।

प्रदेश में क्षत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

1975 मे स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सफलता को देखते हुए 1976 मे इनकी स्थापना की गति और तेज हो गयी और प्रदेश मे पाच और क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये जो बाराबकी ग्रामीण बैक सयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैक फरूखाबाद ग्रामीण बैक रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैक।

1977 मे प्रदेश मे केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा अवध ग्रामीण बैक स्थापित किये गये उसके पश्चात् केन्द्र मे सत्ता परिवर्तन हुआ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की गति धीमी पड गयी।

1980 मे जब पुन काग्रेस सरकार सत्ता मे आयी तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश मे सर्वाधिक 12 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक और स्थापित किये गये। जो कि कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक श्रावस्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैक इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, किसान ग्रामीण बैक क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैक काशी ग्रामीण बैक बस्ती ग्रामीण बैक इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैक प्रतापगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामणी बैक फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना की गति प्रदेश मे बढती रही और 1981 मे पाच और क्षेत्रीय ग्रामीण बैक देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अलीगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, तुलसी ग्रामीण बैक, एटा ग्रामीण बैक तथा गोमती ग्रामीण बैक स्थापित किये गये।

1982 मे यह गति धीमी हो गयी और प्रदेश मे केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक छत्रपाल ग्रामीण बैक तथा रानी लक्ष्मी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये।

1983 मे उत्तर प्रदेश कुल 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये जो विदोर ग्रामीण बैक शाहजहापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक नैनीताल अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक विध्यवासिनी ग्रामीण बैक सरयू ग्रामीण बैक तथा जमुना ग्रामीण बैक थे।

1984 मे मात्र एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किया गया।

1985 मे कुल तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये। पिथौरागढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक गगा यमुना ग्रामीण बैक अलकनदा ग्रामीण बैक।

1987 मे उत्तर प्रदेश का अन्तिम स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैक हिडन ग्रामीण बैक है।

प्रदेश में अग्रणी बैंक

उत्तर प्रदेश के लिए कुल 10 अग्रणी बैको की घोषणा की गयी है जो निम्नलिखित है

1 स्टेट बैक ऑफ इण्डिया

2 केनरा बैक

3 बैक ऑफ बडौदा

4 बैक ऑफ इण्डिया

5 सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया

6 इलाहाबाद बैक

7 पजाब नेशनल बैक

8 यूनियन बैक ऑफ इण्डिया

9 सिडीकेट बैक

10 यू पी स्टेटे कोआपरेटिव बैक लिमिटेड

इन 10 अग्रणी बैको द्वारा प्रदेश के विकास के लिए उन्हे सौपे गये विभिन्न जिलो मे कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना की गयी है जिनके द्वारा प्रदेश मे कुल 3004 शाखाओ को खोला गया है। इन अग्रणीय बैको के कार्य निष्पादन को निम्न तालिकाओ द्वारा स्पष्ट की जा सकती है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलो को भारतीय स्टेट बैक को सौपा गया है। इस बैक ने ने सर्वप्रथम 1975 मे गोरखपुर जिले मे गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापवना की। वर्तमान मे इस बैक द्वारा उत्तर प्रदेश मे कुल स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सख्या पाच है जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 1

भारतीय स्टेट बैक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन (1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	2 10 75	200	71537 37	21555 80	30 11	2669 59
2	बस्ती ग्रामीण बैक	1 8 80	104	24261 25	6859 19	28 27	1265 32
3	पिथौरागढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27 3 85	25	6447 09	1702 96	26 41	287 42
4	गगा यमुना ग्रामीण बैक	29 3 85	39	6997 69	2027 19	28 78	68 92
5	अलकनन्दा ग्रामीण बैक	23 8 85	51	6860 04	1586 52	23 13	116 71
	येाग		**419**	**116103 44**	**33731 66**	**29 05**	**4407 96**

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की कुल जमा 116103 44 लाख रुपये तथा ऋण 33731 66 लाख रुपये है और ऋण जमा अनुपात मात्र 29 05 है। इसमे गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक है जबकि पिथौरागढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का सबसे कम है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने लाभ अर्जन किया है सर्वाधिक लाभ 266 59 लाख रुपये गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा सबसे कम गगा यमुना क्षेत्रीय बैक का 68 92 लाख रुपये है।

केनरा बैंक

केनरा अग्रणीय बैक द्वारा उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण विकास के लिए तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये है जिनकी कुल शाखा 189 है। इन ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 2

केनरा बैक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अलीगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	23 3 81	85	3271043	1310059	40 05	866 45
2	एटा ग्रामीण बैक	29 3 81	58	14051 00	6663 00	47 42	300 00
3	जमुना ग्रामीण बैक	2 12 83	46	13894 96	5624 64	40 48	179 09
	योग		**189**	**60656 39**	**25388 23**	**41 86**	**1345 54**

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 2 से परिलक्षित होता है कि केनरा बैक द्वारा 1983 के पश्चात कोई भी नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थापना नही की गयी। इस बैक द्वारा सेवित ग्रामीण बैक का कुल ऋण जमा अनुपात 41 86 है जो कि अन्य प्रायोजक बैक की तुलना मे अधिक है। एटा ग्रामीण बैक का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 47 42 लाख रुपये है जबकि सर्वाधिक लार्भाजन अलीगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ने किया है।

बैंक ऑफ बडौदा

बैक ऑफ बडौदा का ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी शाखाए ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक है। जिन जिले मे बैको की शाखाए कम थी उसमे इसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना करके इसे ग्रामीण विकास को गति प्रदान की। इसके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 3

बैक ऑफ बडौदा द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन (1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	29 3 76	74	19805 85	4217 40	21 29	356 57
2	सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	8 2 77	93	30207 50	10514 65	32 34	381 22
3	कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	27 2 80	94	29518 41	9189 06	31 12	569 48
4	इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23 8 80	88	27549 28	6554 18	23 77	265 07
5	प्रतापगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	25 8 80	71	20604 59	4329 99	21 01	212 09
6	फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	5 9 80	67	19797 10	4690 44	23 69	428 91
7	फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	6 9 80	51	10676 04	3049 16	27 56	70 59
8	बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	27 9 80	83	17432 63	5754 53	33 01	503 82
9	शाहगज क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	24 3 83	36	9497 84	4591 18	48 32	568 23
10	नैनीताल अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	26 3 83	59	11613 11	5305 33	45 68	354 43
	योग		**716**	**196702 35**	**58195 92**	**29 59**	**3710 41**

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

उत्तर प्रदेश मे बैक ऑफ बडौदा ने सर्वाधिक कुल 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को स्थापित किया है जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का 25 प्रतिशत है। इन बैको का ऋण जमा अनुपात 29 59 है जो कि अन्य बैको की अपेक्षा काफी कम है। लाभ दर भी निम्न रही है। इन बैको ने कुल 3710 41 करोड रुपये लाभार्जन किया जो कि प्रति बैक औसत 37 10 लाख रुपये है।

बैंक ऑफ इण्डिया

बैक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश मे 1976 मे दो तथा 1977 मे केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये। इनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 4

बैक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन (1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फरुखाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	24 3 76	82	23691 52	6645 75	28 10	621 32
2	बाराबकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	27 3 76	90	23011 01	5032 89	21 87	466 54
3	अवध क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	7 6 77	114	39376 49	9391 87	23 72	700 00
	योग		**286**	**86079 02**	**21070 51**	**24 48**	**1787 86**

स्रोत क्षेत्रीय बैको की सांख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस बैक द्वारा 1977 के पश्चात कोई नया क्षेत्रीय बैक स्थापित नहीं किये गये। इन बैको की कुल

जमा 86079 02 लाख रुपये तथा कुल ऋण 21070 51 लाख रुपये तथा ऋण जमा अनुपात 24 48 है। इनका कुल लाभ 1787 86 लाख म्पये (595 95 लाख प्रति बैक) है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे कोई विशेष रुचि नही ली। इस बैक द्वारा केवल दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 1976 मे बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैक तथा इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये। इसकी कुल शाखा 139 है। इन बैको का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 5

सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	25 12 76	89	24121 89	6677 30	27 71	533 58
2	इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	18 3 80	50	9147 44	2981 04	32 59	210 17
	योग		**139**	**33269 33**	**9658 34**	**29 03**	**743 75**

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 5 से स्पष्ट है कि अग्रणी बैक सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत मात्र दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैक है। इनका औसत ऋण जमा

अनुपात 29 03 प्रतिशत है जो कि अन्य प्रायोजक बैको की तुलना मे कम है। लाभ भी प्रति बैक औसत 371 88 लाख रुपये है।

इलाहाबाद बैंक

इलाहाबाद बैक ने ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश मे कुल छ क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना की है जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6.6

इलाहाबाद बैक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भागीरथ ग्रामीण बैंक	19 9 76	107	32832 02	5980 32	18 21	1810 71
2	श्रावस्ती ग्रामीण बैक	4 3 80	88	20323 88	8838 95	43 49	1125 00
3	तुलसी ग्रामीण बैंक	23 3 81	81	17936 19	6671 23	37 19	378 99
4	छत्रसाल ग्रामीण बैक	30 3 82	82	13590 47	4520 36	33 26	170 00
5	विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक	3 3 83	42	10498 62	4912 66	46 79	188 70
6	सरयू ग्रामीण बैक	9 8 83	43	11339 55	4069 20	35 87	593 69
	योग		**443**	**106520 73**	**34992 72**	**32 85**	**4267 09**

स्रोत क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 6 से परिलक्षित है कि इलाहाबाद बैक ने उत्तर प्रदेश मे कुल 6 ग्रामीण बैक स्थापित किये जिनका कुल जमा 10652073 लाख

रुपये तथा कुल ऋण 34992 72 लाख रुपये है तथा ऋण जमा अनुपात 32 85 प्रतिशत है। इन बैको का कुल लाभ 4267 09 लाख रुपये हे। प्रति बैक औसत लाभ 711 18 लाख रुपये है जो कि अन्य प्रायोजक बैको की तुलना मे सामान्य है।

पंजाब नेशनल बैंक

इस बैक ने पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थापना पर ध्यान नही दिया लेकिन अन्य बैको द्वारा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सफलता को देखते हुए 1980 मे किसान ग्रामीण बैक स्थापित किया तथा पुन 1981 82 83 84 एव 87 मे प्रत्येक वर्ष एक–एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये जिसका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 7

पजाब नेशनल बैक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन (1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	किसान ग्रामीण बैंक	19 5 80	55	9304 40	3194 13	34 39	76 12
2	देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17 1 81	75	24636 09	4603 47	18 70	708 79
3	रानी लक्ष्मी बाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	31 3 82	46	6683 51	2300 38	34 42	(-)462 45
4	विदौर ग्रामीण बैक	18 1 83	38	9694 32	2690 60	27 75	281 16
5	मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	27 7 84	25	6195 45	1943 66	31 37	113 27
6	हिडन ग्रामीण बैक	28 3 87	22	4154 95	1226 62	29 51	110 11
	योग		**261**	**60668 72**	**15958 86**	**26 30**	**827 00**

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 7 से स्पष्ट है कि पजाब नेशनल बैक द्वारा उत्तर प्रदेश मे कुल 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये गये है इन बैको का औसत ऋण जमा अनुपात 26 30 है जो कि अन्य बैको की तुलना मे कम है तथा प्रति बैक औसत लाभ भी 137 83 लाख रुपये है जो कि कुल औसत लाभ 527 34 की तुलना मे बहुत कम है।

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

यूनियन बैक ऑफ इण्डिया ने उत्तर प्रदेश मे कुल तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैक स्थापित किये जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 8

यूनियन बैक ऑफ इण्डिया द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सयुक्त ग्रामीण बैक	6 1 76	160	65861 90	8275 59	12 57	1143 59
2	काशी ग्रामीण बैक	28 7 80	79	25186 01	7108 11	28 22	262 93
3	गोमती ग्रामीण बैक	3 3 81	84	30530 05	9193 12	30 11	275 07
	योग		**323**	**121577 96**	**24576 82**	**20 21**	**1681 59**

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि यूनियन बैक द्वारा स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का ऋण जमा अनुपात जो कि 20 21 है सन्तोषजनक नही है। इस बैक ने कुल तीन ग्रामीण बैक स्थापित किये है जिसमे से प्रथम बैक सयुक्त ग्रामीण बैक जिसका कि ऋण जमा अनुपात 12 57 है जो कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के ऋण जमा अनुपात 30 15 की तुलना मे बहुत ही कम है। जबकि गोमती ग्रामीण बैक का ऋण जमा अनुपात लगभग कुल ऋण जमा अनुपात के बराबर है।

सिंडीकेट बैंक

सिडीकेट बैक द्वारा उत्तर प्रदेश मे केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैक नाम से मुरादाबाद जिले मे स्थापित किया गया। जो कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रमीण बैक है। इस बैक का कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6.9

सिडीकेट बैक द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन

(1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रथमा बैक	2 10 75	1	50777 81	25609 93	50 44	2161 83

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका से स्पष्ट है कि प्रथमा बैक का ऋण जमा अनुपात 50 44 है जो कि अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की तुलना मे अधिक है। इस बैक ने 1999–2000 मे कुल 2161 83 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया।

यू.पी. स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड

यू पी स्टेट कोआपरेटिव बैक लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश मे केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की स्थापना की गयी जिनका कार्य निष्पादन निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 6 10

यू पी स्टेट कोआपरेटिव बैक लिमिटेड द्वारा सेवित क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का कार्य निष्पादन (1999-2000)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैको का नाम	स्थापना तिथि	शाखा	जमा	ऋण	ऋण-जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैक	20 5 80	1	10604 54	4981 83	46 98	160 50

स्रोत क्षेत्रीय बैको की साख्यिकीय नाबार्ड, लखनऊ, 1999-2000

तालिका 6 10 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैक की कुल जमा 10604 54 तथा ऋण 4981 83 है इस बैक द्वारा 1999–2000 मे 160 50 लाख रुपये का लाभ अर्जन किया गया।

तालिका 6 11

उत्तर प्रदेश मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की ऋण जमा, विनियोग इत्यादि का प्रयोजक बैकवार विवरण, मार्च 2000

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	प्रायोजक बैको का नाम	सेवित ग्रामीण बैको की सख्या	कुल शाखा	कुल जमा	कुल ऋण	ऋण जमा अनुपात	लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भारतीय स्टेट ऑफ इण्डिया	5	419	116103 44	33731 66	29 05	4407 96
2	केनरा बैक	3	189	60656 39	25388 23	41 86	1345 54
3	बैक ऑफ बडौदा	10	716	196702 35	58195 92	29 59	3710 41
4	बैक ऑफ इण्डिया	3	286	86079 02	21070 51	24 48	1787 86
5	सेन्ट्रल बैक ऑफ इण्डिया	2	139	33269 33	9658 34	29 03	743 75
6	इलाहाबाद बैक	6	443	106520 73	34992 72	32 85	4267 09
7	पजाब नेशनल बैक	6	261	60668 72	15958 86	26 30	827 00
8	यूनियन बैक ऑफ इण्डिया	3	323	121577 96	24576 82	20 21	1681 59
9	सिडिकेट बैक	1	164	50777 81	25609 93	50 44	2161 83
10	यूपी स्टेट को बैक लिमिटेड	1	64	10604 54	4981 83	46 98	160 50
	योग	40	3004	842960 29	254164 82	30 15	21093 53

स्रोत तालिका 6 1 से 6 10 पर आधारित

तालिका 6 11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मे कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक है और इसका कुल जमा 842960 29 लाख रुपये तथा कुल ऋण 254164 82 लाख रुपये है तथा ऋण जमा अनुपात 30 15 है। इन बैको ने कुल 21093 53 लाख रुपये लाभार्जन किया जो कि प्रति बैक 527 34 लाख रुपये है। प्रायोजक बैक यू पी स्टेट कोआपरेटिव बैक लिमिटेड के अन्तर्गत केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (किसान ग्रामीण बैक) है। लेकिन इनका ऋण जमा अनुपात 46 98 है जो कि सामान्य 30 15 की तुलना मे अधिक है। सबसे कम ऋण जमा अनुपात यूनियन बैक ऑफ इण्डिया का 20 21 प्रतिशत है तथा सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात सिडिकेट बैक का 50 44 है जिसके अन्तर्गत केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक (प्रथमा बैक) स्थापित है।

अध्याय - 7

जनपद-जौनपुर का परिदृश्य

एतिहासिक परिदृश्य

भौगोलिक परिदृश्य

सामाजिक परिदृश्य

आर्थिक परिदृश्य

अध्याय-7

ऐतिहासिक परिदृश्य

आदि गगा गोमती के पावन प्रागण मे प्रकृति की सुरम्य लीला स्थली मयूर—कोकिला कुजित लता—विमान मे अनेको देवालयो से सुशोभित ऋषि की तपोभूमि यमदाग्नपुरम् जौनपुर शिक्षा सस्कृति सगीत एव कला के क्षेत्र मे अपने अतीत वैभव के लिए प्रख्यात् ऐतिहासिक अवशेषो को समेटे हुए आज भी अपनी स्मृति बनाए हुए है। यह क्षेत्र उस समय अयोध्या राज्य के अन्तर्गत था और इसे अयोध्यापुरम् कहा जाता था। इस जनपद मे सर्वप्रथम रघुवशी क्षत्रियो का आगमन हुआ। बनारस के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा देव कुमार के साथ किया और साथ ही अपने राज्य का कुछ भाग दहेज मे दे दिया जिसमे डोभी क्षेत्र के रघुवशी आबाद हुए। उसके बाद वत्सगोत्री दुर्गवशी तथा व्यास क्षत्रिय इस जनपद मे आये। ग्यारहवीं सदी मे कन्नौज के गहरवार राजपूत जफराबाद और योनापुर या जवनपुर (जौनपुर) को समृद्धि एव सुन्दर बनाने लगे।

1194 ई मे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मनदेव (वर्तमान मे जफराबाद) पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन राजा उदयपाल को पराजित किया और दीवान जीत सिह को सत्ता सौप कर बनारस की ओर चल दिया। 1389 ई मे फिरोजशाह का पुत्र महमूदशाह गद्दी पर बैठा। उसने मलिक सरवर ख्वाजा को मत्री बनाया और बाद मे 1393 ई मे मलिक उसशर्प की उपाधि देकर कन्नौज से विहार तक का क्षेत्र उसे सौप दिया। मलिक उसशर्प की मृत्यु 1398 ई मे हो गयी। जौनपुर की गद्दी पर उसका दत्तक पुत्र सैयद मुबारकशाह बैठा। उसके बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। इब्राहीम के हिन्दुओ के साथ सद्भाव की नीति पर राज्य चलाया।

फिरोजशाह ने 1393 मे अटाला मस्जिद की नींव डाली जिसे 1408 ई मे इब्राहिम शाह ने पूरा किया। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद एव बडी मस्जिद का निर्माण प्रारम्भ कराया जिसे हुसेन शाह ने पूरा किया।

1484 से 1525 ई तक लोदीवश का जौनपुर की गद्दी पर आधिपत्य रहा। 1526 ई मे इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद बाबर के पुत्र हूमायू ने जौनपरु के शासक को परास्त किया 1556 ई मे हुमायू की मृत्यु हो गयी तो 18 वर्ष की अवस्था मे उसका पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा अकबर के ही शासनकाल मे शाही पुल का निर्माण हुआ।

डेढ शताब्दी तक मुगल सल्तनत का अग रहने के बाद 1722 ई मे जौनपुर अवध के नवाब को सौपा गया 1775 ई मे बनारस के साथ ही जौनपुर भी अग्रेजो के हाथ मे चला गया। 1818 ई मे सर्वप्रथम डिप्टी कलेक्टर और बाद मे यह अलग जिला बना।

1857 ई मे स्वतत्रता सग्राम की लडाई मे जौनपुर का विशेष योगदान रहा है। ग्राम सोनरपुर मे मई 1858 ई मे अग्रेजो द्वारा 21 देशभक्तो को आम के बगीचे मे लटकाकर फॉसी दी गयी सन् 1939 ई मे दूसरे विश्वयुद्ध के विरोध मे जौनपुर के 750 लोगो ने गिरफ्तारी दी। भारत छोडो आन्दोलन का विगुल बजने पर लोगो ने जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट मे इस जुलूस पर लाठी चार्ज हुआ और बाद मे मोलिया भी चली।

इस जनपद के उत्तर मे सुल्तानपुर उत्तर–पश्चिम मे प्रतापगढ दक्षिण–पश्चिम मे इलाहाबाद दक्षिण मे वाराणसी पुरब मे गाजीपुर तथा उत्तर पूर्व मे आजमगढ जनपद है। यह जनपद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 258 किलोमीटर दक्षिण पूर्व मे स्थिति है।

भौगोलिक परिदृश्य

जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल मे भू–भाग 25 24 और 26 17 उत्तरी अक्षाश तथा 827 और 83 7 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।[1] जिले की लम्बाई पश्चिम से पूर्व 90 किमलोमीटर तथा चौडाई उत्तर से दक्षिण 85 किमी है। जनपद जौनपुर समुद्र तल से 200 से 261 फुट की ऊँचाई पर बसा है।

जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 40209 वर्ग किमी है जो प्रदेश के क्षेफ का 1 4 प्रतिशत है जनपद का सम्पूर्ण भू–भाग लगभग समतल है यहा की प्रमुख अनवरत बहने वाली नदिया गोमती एव सई है इसके अतिरिक्त अनेक नदियॉ– बसुही गागी पीली वरुणा मागूर आदि छोटी–छोटी नदिया है। जो केवल वर्षा के मौसम मे ही बहती है। गोमती सई वरुणा एव वसुही नदिया जनपद को लगभग 4 समान्तर भू–खण्डो मे विभक्त करती है। यह चार भूखण्ड है जनपद के उत्तरी क्षेत्र मे गोमती नदी के उत्तर का सबसे बडा भू–भाग सई तथा बसुही के मध्य का दोमट मिट्टी वाला भू–खण्ड गोमती एव सई के मध्य का उपजाऊ भू–खण्ड वरुणा एव वसुही के मध्य का सकरी पट्टी वाला भूखण्ड। यहा की भूमि मुख्यत दोमट बलुई, ऊसर तथा मटियार है।

जनपर के अधिकाश मृदा मुख्यत दोमट एव मटियार है। दोमट किस्म की मिटटी ऊँची सतहो पर जौनपुर एव केराकत तहसीलो मे तथा शाहगज के दक्षिण भाग मे पायी जाती है। निचले क्षेत्र मे मटियार किस्म की मिट्टी पायी जाती है। शाहगज के उत्तरी तथा मछलीशहर के क्षेत्र मे औसत ऊसर भूमि का प्रभाव है। गोमती सई एव वसुही नदियो के ढाबा क्षेत्र मे औसत ऊपज अपेक्षाकृत अधिक होती है।

---

1 गजेटियर जनपद–जौनपुर

जनपद की जलवायु स्वास्थ्यप्रद एव समतोष्ण है। जनपद का औसत न्यूनतम तापक्रम 4 4 एव उच्चतम तापमान 47 5 डिग्री सेन्टीग्रेट मे मध्य रहता है जनपद को कम वर्षा से सूखा एव अधिक वर्षा से बाढ से उत्पन्न विभिषिकाओ का सामना प्राय करना पडता है। इस जनपद मे नदियो मे प्राय बाढ रहती है।

बीसवी शताब्दी मे वर्ष 1955 1970 1971, 1976 1980 एव 1985 बाढ के सन्दर्भ मे अविष्मरणीय है। जाडे मे तुषारापात से तिलहन दलहन एव आलू की फसल भी कुप्रभावित रहती है।

जनसंख्या

वर्ष 1991 की जनगणनानुसार जनपद जौनपुर की कुल जनसख्या 32 14 636 थी। जो प्रदेश की जनसख्या का 2 3 प्रतिशत थी। इस जनपद मे कुल जनसख्या के 93 1 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 6 9 प्रतिशत लोग नगरीय क्षेत्र मे निवास कर रहे थे। अनु जाति अनु जनजाति की सख्या कुल जनसख्या का 21 8 प्रतिशत थी। प्रदेश मे प्रति हजार पुरुषो पर स्त्रियो की सख्या 1971 1981 तथा 1991 मे क्रमश 879 886 तथा 994 रही।

पिछले तीन दशको मे इस जनपद की जनसख्या घनत्व ग्रामीण एव नगरीय जनसख्या मे लगातार वृद्धि हुई है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 7 1

वर्ष	कुल जनसख्या	दशक मे जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि			घनत्व प्रति वर्ग किमी
		कुल	ग्रामीण	शहरी	
1971	2005434	16 1	15 0	36 2	496
1981	2532734	26 3	25 7	33 6	627
1991	3214636	26 5	26 6	31 1	800

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद - जौनपुर, पेज न 10

उपरोक्त तालिका 7 1 से स्पष्ट है कि जनपद–जौनपुर की जनसख्या मे लगातार वृद्धि रही है। ग्रामीण जनसख्या की अपेक्षा शहरी जनसख्या मे वृद्धि दर अधिक है इसका प्रमुख कारण शहरो मे विशेष सुविधा आर्थिक उन्नति रोजगार सुरक्षा आदि का होना है। यह जनपद घना आबाद है। सम्पूर्ण भारत का जनसख्या घनतव 274 है जबकि जौनपुर जनपद का 471 है।

जनपद मे साक्षरता दर 1991 के जनगणनानुसार 42 22 प्रतिशत है जबकि वर्ष 1971 व 1981 मे यह क्रमश 21 2 एव 26 3 प्रतिशत थी।

जनपद मे कुल गैर आबाद ग्रामो की सख्या 122 है। सबसे अधिक 21 गैर आबाद ग्राम शाहगज विकास खण्ड मे है तथा जलालपुर विकास खण्ड मे कोई भी गैर आबाद ग्राम नही है।

तालिका 7 2

आबाद ग्रामो का विवरण

(जनगणना 1991 के अनुसार)

200 से कम जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	506
200 से 499 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	788
500 से 999 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	906
1000 से 1499 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	498
1500 से 1999 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	244
2000 से 4999 तक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	308
5000 से अधिक जनसख्या वाले ग्रामो की सख्या	19
योग	**3269**

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर, पेज न. 12

तालिका 7 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद मे 906 गॉव (27 7 प्रतिशत) जिनकी जनसख्या 500 से 999 तक है तथा 788 गॉव (24 1 प्रतिशत) जिनकी जनसख्या 200 से 499 तक है और 506 गॉव ऐसे है जिनकी जनसख्या 200 से कम है। इस प्रकार कुल 3269 गॉव मे से 2200 गॉव (67 3 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी जनसख्या 1000 से कम है तथा 1050 गॉव (32 7 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी जनसख्या 1000 से 4999 के बीच है और केवल 19 गॉव (0 6 प्रतिशत) ऐसे है जिनकी जनसख्या 5000 से अधिक है। इस प्रकार जनपद मे अधिकाश गॉव जनसख्या की दृष्टि से छोटे—छोटे है।

सामाजिक परिदृश्य

जनपद मे मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा सभी धर्मो के लोग रहते है। जो अनेक रीति—रिवाज को मानते है। गॉवो मे लोग जादू—टोना एव भूत—प्रेत मे भी विश्वास करते है। यहा पुरुष धोती—कुर्त्ता पैन्ट—शर्ट तथा स्त्रियॉ धोती—ब्लाउज पहनती है। सावन के माह मे यहा की कजली (गाना) प्रसिद्ध है प्रमुख त्यवहारो मे दशहरा दीपावली एव होली मनाया जाता हे। दशहरा के समय गॉव—गॉव मे रामलीला होती है। सावन माह मे गॉवो मे जगह—जगह झूला पर लोग गाने गाते है और झूलते है।

तालिका 7 3

प्रमुख धर्मानुसार जनसख्या

(जनगणना 1991 के अनुसार)

क्र स	धार्मिक सम्प्रदाय	जनसख्या			कुल जनसख्या मे प्रतिशत
		कुल	ग्रामीण	शहरी	
1	हिन्दु	2883862	2740877	142985	89 71
2	मुस्लिम	313023	236262	76761	9 74
3	इसाई	1034	964	70	0 03
4	सिक्ख	470	4	466	0 02
5	बौद्ध	15821	14868	953	0 49
6	जैन	56	5	51	——
7	अन्य	47	47	——	——
8	धर्म नही बताया	323	270	53	0 01
	कुल	**3214636**	**2993297**	**221339**	**100 00**

उपरोक्त तालिका 7 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद मे विभिन्न धर्मो के लोग रहते है जिसमे प्रमुख हिन्दु एव मुसलमान है। जो कुल जनसख्या का क्रमश 89 71 व 9 74 प्रतिशत है जबकि सिक्ख इसाई एव बौद्ध धर्म के लोगो का प्रतिशत क्रमश 0 03 0 02 एव 0 49 है।

तालिका 7 4

गत तीन दशको मे लिगानुपात जनसंख्या

जनगणना वर्ष	कुल जनसख्या	लिगानुसार जनसख्या		स्त्रियो की जनसख्या	जनसख्या का प्रतिशत	
		पुरुष	स्त्री	प्रति हजार पुरुष	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6	7
1971	2005434	997010	1008424	1011	49 7	50 3
1981	2532734	1260692	1272042	1009	49 8	50 2
1991	3214636	1612164	1602472	994	50 2	49 8

उपरोक्त तालिका 7 4 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनपद मे स्त्रियो की सख्या पुरुषो की तुलना मे कम होती जा रही है। 1971 मे 1000 पुरुष पर 1011 महिला थी और 1981 मे घटकर 1009 से 1991 मे 994 रह गयी है इसका प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति है क्योकि लडकियो के शादी–विवाह मे अधिक खर्च होता है और जनता गरीब होने के कारण स्त्रियो के स्वास्थ एव शिक्षा पर भी कम व्यय करते है।

तालिका 7 5

जनपद की कुल जनसख्या, अनु जाति, अनु जनजाति तथा साक्षर व्यक्तियो की सख्या

नाम विकास खण्ड	जनसख्या पुरुष	जनसख्या स्त्री	अनु जाति जन पुरुष	अनु जाति जन स्त्री	अनु ज जाति जन पुरुष	अनु ज जाति जन स्त्री	साक्षर व्यक्ति पुरुष	साक्षर व्यक्ति स्त्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 सुइथाकला	63624	16327	16081	15422	–	–	27670	10077
2 शाहगज	104157	103128	20494	21089	–	–	42656	17045
3 खुटहन	75841	75273	15368	15360	–	–	34011	12324
4 करन्जाकला	82033	79341	16746	16866	1	1	35728	9930
5 बदलापुर	82973	82073	17548	17345	35	56	40603	13579
6 महाराजगज	58251	58587	13288	12948	13	10	29198	9746
7 बक्शा	73013	72894	15044	14947	–	–	36334	12859
8 सुजानगज	76123	77270	15047	15130	–	–	37893	11666
9 मु बादशाहपुर	67184	66445	15641	15524	–	–	31383	8122
10 मछली शहर	87376	88010	21552	21662	–	–	39957	10419
11 मडियाहूँ	81508	84547	18013	18553	–	–	39218	12007
12 सिकरारा	65394	64964	15082	15262	–	–	32778	11395
13 धर्मापुर	42879	43451	10505	10629	–	–	19719	7009
14 रामनगर	65901	65571	11016	11019	–	–	32803	10352
15 सिरकोनी	67639	65730	14042	13805	–	–	34681	12896
16 मुफतीगज	45660	49682	13382	14640	–	–	20848	9132
17 जलालपुर	61766	62082	16069	15756	–	–	32165	12385
18 केराकत	67899	70352	19899	20547	5	3	34039	13592
19 डोभी	59978	61576	16694	17423	–	–	30435	12857
योग ग्रामीण	1329199	1332306	301511	303927	54	50	632119	217392
नगरीय	116534	104804	11096	10119	–	–	67875	39722
योग जनपद	1445733	143708	312607	314046	54	50	699994	257114

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर

तालिका 7 5 से स्पष्ट है कि जनपद मे अनु जनजाति की जनसख्या मात्र 104 है। कुल 19 ग्राम विकास खण्ड मे से केवल चार विकास खण्ड बदलापुर करन्जाकाला महराजगज एव केराकत मे क्रमश 71 2 23 एव 8 जनजाति के लोग थे जबकि अनुसूचित जाति की सख्या 6 26 653 (लगभग 22 प्रतिशत) थी। सबसे अधिक अनुसूचित जाति शाहगज मे तथा सबसे कम धर्मापुर विकास खण्ड मे थे। जनपद मे ग्रामीण क्षेत्रो मे कु 13 29 199 पुरुष तथा 13 32 303 महिला थी इस प्रकार महिलाओ की सख्या पुरुष की अपेक्षा अधिक थी जबकि नगरीय क्षेत्रो मे पुरुषो की सख्या महिला से अधिक थी। नगरीय क्षेत्र मे कुल 1 16 534 पुरुष तथा 104805 महिला थी।

आर्थिक परिदृष्य

आर्थिक दृष्टिकोण से जनपद को उत्तम नही कहा जा सकता है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछडा हुआ जनपद है। जिसमे औद्योगिक विकास अत्यन्त ही मन्द गति से हुआ है। जनपद मे उद्योगपतियो को बडे उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशेष सुविधाये उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। जिसके कारण पहले जनपद मे औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ और जपनद आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश मे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सका। बैको के राष्ट्रीयकरण के बाद जब सरकार ने नरसिहम समिति के सुझाव को मानते हुए भारत के 335 जिलो को 17 बैको के बीच बाटा गया और इन्हे जिलो का अग्रणीय बैक कहा गया। इन बैको को अपने जिलो मे आर्थिक सहायता का दायित्व सौपा गया जिसके फलस्वरूप जिलास्तर पर आर्थिक विकास को गति प्राप्त हुई। जौनपुर जनपद मे अग्रणीय बैक की स्थापना के बाद ही आर्थिक विकारो को गति प्राप्त हुई। इस जनपद का अग्रीण बैक यूनियन बैक ऑफ इण्डिया है।

जनपद–जौनपुर मे प्रारम्भिक क्षेत्र मे ऋण वितरण का विवरण निम्न प्रकर है

1 कृषि तथा कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कार्यक्षेत्र 416440 हजार रुपये

2 लघु उद्योग 84525 हजार रुपये

3 अन्य 209724 हजार रुपये

गत चार वर्षो मे जनपद मे प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितिया जिला सहकारी बैक तथा सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैक द्वारा वितरित ऋण (हजार रुपये) का विवरण निम्न है

तालिका 7 6

वर्ष	प्रारम्भिक कृषि ऋण				
	सहकारी समितियॉ		जिला सहकारी बैक		सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैक
	अल्पकालीन	मध्यकालीन	अल्कालीन	मध्यकालीन	दीर्घकालीन
1995–96	107929	516	100868	2145	42211
1996–97	97883	504	101387	4746	79488
1997–98	110500	2863	114110	4443	63658
1998–99	121473	2972	117373	4441	69546

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर, 95 96, 96-97, 97-98 एव 98-99

उपरोक्त तालिका 7 6 से स्पष्ट है कि जनपद मे प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितिया प्रमुख रूप से अल्कालीन ऋण प्रदान करती है। जबकि दीर्घकालीन ऋण सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैक द्वारा प्रदान किया जाता है। जिला सहकारी बैक अल्पकालीन एव मध्यकालीन दोनो ही प्रकार के ऋण प्रदान करती है।

वित्तीय सुविधायें एवं सहकारी संस्थायें

विकास कार्यो मे समुचित प्रगति लाने तथा अपेक्षित व्यक्तियो को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को उन्नत और विकसित बनाने मे बैको की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का विशेष योगदान है। बैको की सख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कौन से क्षेत्र अधिक विकसित है क्योकि समस्त आर्थिक कार्यक्रम बैको से जुडे होते है। वर्ष 1998–99 मे जनपद मे बैको की सख्याओ का विवरण निम्न तालिका मे वर्णित है

तालिका 7 7

विभिन्न बैको की शाखाएँ

क्र स	मद	सख्या
1	राष्ट्रीय बैक शाखाये	98
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखाये	85
3	अन्य गैर राष्ट्रीकृत बैक शाखाये	2
4	जिला सहकारी बैक शाखाये	37
5	सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैक शाखाये	5
	योग	**227**

उपरोक्त तालिका 7 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद–जौनपुर मे बैको की कुल शाखाएँ 227 थी जिसमे से 85 शाखा क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की और 98 शाखा अन्य वाणिज्यिक बैको की थी। इस प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की शाखाओ का प्रतिशत 37 5 है।

जनपद मे सहकारी बैक की कुल 37 शाखाये है। जिला सहकारी बैको मे वर्ष 1998–99 मे 734 सदस्य रहे अश पूजी 57735 हजार रुपये कार्यशील पूँजी 11390 हजार रुपये रही। सन्दर्भित वर्ष मे 375522 हजार

रुपये का अल्कालीन ऋण तथा 15575 हजार रुपये का मध्यकालीन ऋण वितरित किया गया। कुल जमा धनराशि 703227 हजार रुपये रही। व्यवसायिक बैको मे जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत वर्ष 1996–97 1997–98 तथा 1998–99 के लिए क्रमश 21 प्रतिशत 20 प्रतिशत एव 19 3 प्रतिशत रहा। कुल ऋण वितरण मे प्राथमिक क्षेत्र के ऋण वितरण का प्रतिशत वर्ष 1996–97 1997–98 तथा 1998–99 के लिए क्रमश 36 31 प्रतिशत 32 82 प्रतिशत तथा 31 66 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति जमा धनराशि (रुपये) प्रति व्यक्ति ऋण वितरण (रुपये) तथा प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र मे ऋण वितरण (रुपये) का विवरण वर्ष 1996–97 1997–98 तथा 1998–99 के लिए निम्न प्रकार रहा

तालिका 7 8

क्र स	मद	विवरण(रु.)		
		1996-97	**1997-98**	**1998-99**
1	प्रति व्यक्ति जमा धनराशि	2776 83	2847 60	3174 85
2	प्रति व्यक्ति ऋण वितरण	591 30	576 90	612 38
3	प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र मे ऋण वितरण	214 71	189 32	193 91

प्रति बैक (वाणिज्यिक एव ग्रामीण) शाखा पर जनसख्या (हजार मे) का भार वर्ष 1996–97 1997–98 तथा 1998–99 के लिए क्रमश 19 30 20 60 तथा 20 74 रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक बैक शाखाओ पर जनसख्या का भार अत्यधिक है। अत और अधिक शाखाये खोला जाना अत्यावश्यक है। जिससे सुदूर क्षेत्र के लोगो का बैक से अधिक से अधिक लाभ पहुचाया जा सके।

देशव्यापी जनगणना– 1991 के प्रथम चरण मे सूचीकरण कार्य के साथ–साथ तृतीय आर्थिक गणना का कार्य सम्पन्न किया गया था। आर्थिक

गणना 1990 के अन्तर्गत कृषि एव अकृषि दोनो खण्डो के सभी प्रकार के उद्योगो जिसमे स्वकार्य उद्यम व सस्थान शामिल थे से मुख्यतया उद्योगो की स्थिति कार्यकलाप का विवरण कार्य की प्रकृति स्वामित्व का प्रकार प्रयुक्त ईधन सामान्यतया कार्यरत कुल व्यक्ति तथा भाडे पर कार्यरत कुल व्यक्तियो की सख्या आदि मदो के सम्बन्ध मे सूचना एकत्र की गयी। चतुर्थ आर्थिक गणना 2000 मे सम्पन्न की जा चुकी है जिसका परिणाम अभी प्रकाशित नही हुआ है।

आर्थिक गणना 1990 से प्राप्त कुछ उल्लेखनीय निष्कर्ष का विवरण निम्न तालिका मे दिया गया है

तालिका 7 9

क्र स	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	उद्यमो की सख्या			
	1 1 कृषिय	1305	125	1430
	1 2 अकृषिय	33415	14214	47629
	1 3 योग	34720	14339	49059
2	ससाधनो की सख्या जिसमे सामान्यतया भाडे पर व्यक्ति कार्यरत है (कृषि+अकृषिय)	4251	3347	7598
3	स्वकार्य उद्यमो की सख्या (कृषि अकृषिय)	30469	10992	41461
4	उद्यमो मे सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाडे पर)			
	4 1 पुरुष	63781	31836	95617
	4 2 स्त्री	8668	2364	11032
	4 3 योग	72449	34200	106649
5	भाडे पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति			
	5 1 पुरुष	17891	13687	31578
	5 2 स्त्री	2517	1256	3773
	5 3 योग	20408	14943	35351

उपरोक्त तालिका 7 9 से स्पष्ट है कि अधिकाश उद्योग ग्रामीण क्षेत्र मे ही स्थापित है तथा श्रमिक भी ग्रामीण क्षेत्र मे अधिक है। पुरुष, लगभग 67 प्रतिशत ग्रामीण के क्षेत्र मे तथा 33 प्रतिशत शहरी क्षेत्र मे कार्यरत है जबकि महिला लगभग 78 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 22 प्रतिशत शहरी क्षेत्र मे है।

आर्थिक गणना 1990 तथा आर्थिक गणना 1980 के कुछ उल्लेखनीय परिणामो का तुलनात्क विवरण निम्न प्रकार है —

तालिका 7 10

क्र स	मद	आर्थिक गणना 1980	आर्थिक गणना 1990
1	उद्यमो की सख्या	46771	49059
2	उद्यमो मे सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति	101858	106649
3	स्वकार्य उद्यमो की सख्या	39312	41461
4	भाडे पर सामान्यतया व्यक्ति	35287	35351
5	सस्थानो की सख्या जिसमे सामान्यतया भाडे पर व्यक्ति कार्यरत है।	7459	7598

प्राकृतिक संसाधन

जनपद मे प्राकृतिक ससाधनो का सदैव अभाव रहा है। नदियो मे वर्ष भर पर्याप्त पानी न रहने के कारण समुचित सिचाई की व्यवस्था नही हो पाती है। वनक्षेत्र कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार के खनिज जनपद मे अभी तक उपलब्ध नही हो सका है।

जनपद मे भूमिगत जल स्रोत 100 से 160 फुट पर उपलब्ध होता है। तहसील मडियाहू मे सबसे कम गहराई पर एव तहसील केराकत मे सबसे अधिक गहराई पर जल स्रोत उपलब्ध है।

उद्योग

औद्योगिक दृष्टिकोण से जनपद का स्थान लगभग शून्य स्तर पर है। कई मध्यम आकार के उद्योग स्थापित हो चुके है। जैसे सिद्दीकपुर औद्योगिक क्षेत्र मे कताई मिल और हिसामपुर मे सिन्नी फैन के कारखाने मध्यम आकार के उद्योग है जो अपनी शैशावस्था मे है। सतहरिया (मुगरा बादशाह पुर) मे इन्डस्ट्रीयल स्टेट मे हिन्दुस्तान केबिल फैक्ट्री एव अन्य उद्योग स्थापित किये जा रहे है। त्रिलोचन महादेव मे वदना केमिकल्स एव पेट्रोकार्बन फैक्ट्री माधव हिटाची धागा इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड चन्दवक मे अपट्रान टी वी पार्टस आदि की स्थापना हो जाने से आशा है। इस प्रकार अगले कुछ वर्षो मे जनपद के औद्योगिक क्षेत्र मे भारी परिवर्तन आयेगा। इन उद्योगो के आधार पर सहायक उद्योगो का आविर्भाव भी सम्भव होगा। जिलो के पिछडे पन का मुख्य कारण कच्चेमाल एव उद्यमी ससाधनो की कमी है। जनपद मे यद्यपि लघु उद्योगो का भी बिल्कुल अभाव तो नही है किन्तु बहुत कम है। वर्ष 1998–99 मे विभिन्न प्रकार की सस्थाओ के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाइयो की सख्या 2002 रही जिसमे कुल 4169 व्यक्ति कार्यरत रहे। कुल 2002 इकाईयो मे से 24 विभिन्न सस्थाओ द्वारा 1978 व्यक्तिगत उद्योगपतियो द्वारा सचालित रही जिसमे क्रमश 516 तथा 3653 व्यक्ति कार्यरत रहे।

वर्ष 1998–99 मे विभिनन प्रकार के सस्थाओ के कार्यशील औद्योगिक इकाइयो की सख्या एव सदस्यता सख्या का विवरण निम्न तालिका मे दिया गया है

तालिका 7 11

क्र स	सस्था का नाम उद्योगो का प्रकार	पचायत द्वारा सचालित	क्षेत्र समिति द्वारा सचालित	औद्योगिक सहकारी सस्थाओ द्वारा सचालित	पजीकृत सस्थाओ द्वारा सचालित	व्यक्तिगत उद्योगपतियो द्वारा सचालित	योग
1	खादी उद्योग	–	–	–	3	–	3
2	खादी उद्योग द्वारा परिवर्तित ग्रामीण उद्योग	–	–	15	6	1704	1725
3	लघु उद्योग इकाईया						
	1– इजिनियरिंग	–	–	–	–	11	11
	2– रासायनिक	–	–	–	–	12	12
4	हथकरघो की इकाइया	–	–	–		56	56
5	हस्तशिल्प इकाइया	–	–	–	–	140	140
6	अन्य	–	–	–	–	–	55
	कुल योग	–	–	15	9	1978	2002
7	समस्त उद्योग मे कार्यरत व्यक्ति	–	–	156	360	3653	4169

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद-जौनपुर

उपरोक्त तालिका 7 11 से स्पष्ट है कि जनपद मे उद्योग मुख्यत व्यक्तिगत उद्योगपतियो द्वारा सचालित किये जाते है। जनपद मे कुल 2002 उद्योग है जिनमे से 1978 (लगभग 99 प्रतिशत) व्यक्तिगत उद्योगपतियो द्वारा सचालित किये जाते है। और पचायत तथा क्षेत्र समिति द्वारा सचालित उद्योगो की सख्या शून्य है। इन उद्योगो मे कुल 4169 व्यक्ति कार्यरत थे जिनमे से 3653 व्यक्ति (87 6 प्रतिशत) व्यक्तिगत उद्योगपतियो द्वारा सचालित उद्योगो मे कार्यरत थे।

वृहत उद्योगो मे जनपद मे केवल एक चीनी मिल शाहगज मे है जो कई गत वर्षो से बन्द रहने के बाद वर्ष 89—90 से पुन पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वृहद उद्योग नहीं है। जनपद के प्रत्येक तहसील मे कम से कम एक वृहद उद्योग की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र मे आवश्यक है।

व्यपार एवं वाणिज्य

जिले मे ग्रामीण एव कुटीर उद्योग के तहत कालीन तेल पिराई, जूता बनाना मिट्टी के बर्तन बनाना लोहारी बॉस की वस्तु, केश तेल तथा इत्र का उत्पादन मुख्य औद्योगिक व्यावसाय है। अन्य व्यवसायो की तुलना मे कालीन बुनाई का व्यवसाय सर्वोपरि है।

जनपद का व्यापार तथा वाणिज्य मुख्यत स्थानीय जनता के उपयोग की वस्तुओ मे विपणन पर आधारित है। खाद्यान्य तथा अन्य खाद्य पदार्थ जनपद मे ही उत्पन्न किये और बेचे जाते है। जनपद मे अन्य राज्यो से खाद्यान्य खनिज तेल ईधन सूत दवाईयॉ आदि मगायी जाती है तथा खाद्यान्न तिलहन आलू, चीनी सब्जी कालीन केश तेल एव इत्र आदि बाहरी बाजारो मे विक्रय हेतु भेजे जोते है। हाल ही मे निर्मित स्पन्न पाइप गाडी के स्प्रिग तथा जैली औद्योगिक वस्तुओ के अन्य जनपदो एव विदेशो को निर्यात की जानी प्रारम्भ हो गयी है।

पशुपालन

जनपद—जौनपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत जिले की अर्थव्यवस्था मे पशुधन का विशेष स्थान होना स्वाभाविक है। पुशपालन विकास हेतु पशुओ के नस्ल मे सुधार दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था हेतु पशु चिकित्सालयो की अधिक सख्या मे होना परम आवश्यक है।

आर्थिक विकास हेतु पशुधन विकास अत्यन्त आवश्यक है। पशुधन विकास के लिए क्रासवीड नस्ल की पशुओ की सख्या मे वृद्धि लाने की योजनाए अपेक्षित है। कुक्कुट विकास कार्य हेतु एक राजकीय कुक्कुट प्रसार विकास केन्द्र विकास खण्ड कजरकला मे कार्यरत है। यहा उन्नतिशील नस्ल की मुर्गिया पाली गई है। इनमे पैदा किये गये उन्नतिशील बच्चे मुर्गिया पालन हेतु कुक्कुट पालको को वितरित किये जाते है।

पशुओ की चिकित्सा प्रजनन एव विकास आदि की सुविधा हेतु वर्ष 1998–99 मे उपलब्ध पशु चिकित्सालयो एव सुविधा केन्द्रो का विवरण निम्न तालिका मे वर्णित है

तालिका 7 12

पशु चिकात्सालय	पशु विकास केन्द्र	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	पशु प्रजनन फार्म	भेड विकास केन्द्र	सुअर विकास केन्द्र
34	43	64	–	3	6

जनपद मे पशुधन विकास असतुलन को दूर करके उसका समुचित विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। पशुओ मे फैलने वाले अनेक बीमारियो से रक्षा के लिए वर्ष 1998–99 मे गलाघोटू के 202409 पोकनी रोग के 56092 लगडिया (बी क्यू) के 12142 खुरपका, मुहपका के 42208 तथा अन्य रोगो के 72382 टीके लगाये गये तथा 168119 बीमार पशुओ के चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है। जौनपुर नगर मे एक मात्र पशु चिकित्सालय है।

तालिका 7 13

जनपद-जौनपुर के सकेतक

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	वर्ग किमी	जनगणना—1991	4021
2	जनसख्या			
क	पुरुष	सख्या	जनगणना—1991	1612164
ख	स्त्री	सख्या	जनगणना—1991	1602472
ग	योग	सख्या	जनगणना—1991	3214636
घ	ग्रामीण	सख्या	जनगणना—1991	2993297
ड	नगरीय	सख्या	जनगणना—1991	221339
च	अनुसूचित जाति	सख्या	जनगणना—1991	700087
च	अनुसूचित जनजाति	सख्या	जनगणना—1991	104
3	साक्षरता			
क	पुरुष	सख्या	जनगणना—1991	778059
ख	स्त्री	सख्या	जनगणना—1991	282569
ग	कुल	सख्या	जनगणना—1991	1060628
4	तहसीले	सख्या	31 03 2000	6
5	सामुदायित विकास खड	सख्या	31 03 2000	21
6	न्याय पचायत	सख्या	31 03 2000	218
7	ग्राम पचायत	सख्या	31 03 2000	1517
8	कुल ग्राम	सख्या	31 03 2000	3391
9	आबाद ग्राम	सख्या	31 03 2000	3269
10	नगर एव नगर समूह	सख्या	31 03 2000	7
11	नगर पालिका परिषद	सख्या	31 03 2000	3

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
12	नगर क्षेत्र समिति	सख्या	31 03 2000	4
13	कुल डाक घर	सख्या	31 03 1999	424
	डाकघर ग्रामीण	सख्या	31 03 1999	401
	डाकघर नगरीय	सख्या	31 03 1999	23
14	तारघर	सख्या	31 03 1999	25
15	टेलीफोन कनेक्सन	सख्या	31 03 1999	2425
16	व्यवसायिक बैक			
क	राष्ट्रीकृत बैक	सख्या	31 03 1999	98
ख	अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैक	सख्या	31 03 1999	2
17	क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	सख्या	31 03 1999	85
18	जिला सहकारी बैक	सख्या	31 03 1999	37
19	राज्य सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैक	सख्या	31 03 1999	5
20	शीत भण्डार	सख्या	31 03 1999	19
21	कृषि			
क	शुद्ध बोया गय क्षेत्रफल	हेक्टर	1997—98	291991
ख	सकल बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997—98	442836
ग	शुद्ध सिचित क्षेत्रफल	हेक्टर	1997—98	217638
घ	सकल सिचित क्षेत्रफल	हेक्टर	1997—98	337927
ङ	खाद्यान के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997—98	401841
च	तिलहन के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997—98	2762

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
छ	गन्ना के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997–98	14939
ज	आलू के अतर्गत बोया गया क्षेत्रफल	हेक्टर	1997–98	10831
22	कृषि उत्पादन			
क	खाद्यान्न	हे मे टन	1997–98	823
ख	गन्ना	हे मे टन	1997–98	834
ग	तिलहन	हे मे टन	1997–98	2
घ	आलू	हे मे टन	1997–98	188
23	जलवायु			
क	वर्षा–सामान्य/वास्तविक	मि मि	1998	987/769
24	सिचाई			
क	नहरो की लम्बाई	किमी	1998–99	1458
ख	राजकीय नलकूप	सख्या	1998–99	515
ग	व्यक्तिगत नलकूप तथा पपसेट	सख्या	1998–99	20426
25	पशुपालन			
क	पशु चिकित्सालय	सख्या	1998–99	34
ख	पशु सेवा/विकास केन्द्र	सख्या	1998–99	43
ग	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	सख्या	1998–99	24
घ	कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	सख्या	1998–99	40
26	शिक्षा			
क	जूनियर बेसिक स्कूल	सख्या	1998–99	1531
ख	सीनियर बेसिक स्कूल	सख्या	1998–99	386

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
ग	हायर सेकेण्डरी स्कूल	सख्या	1998–99	176
घ	महाविद्यालय	सख्या	1998–99	14
ड	औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान	सख्या	1998–99	1
च	पॉलिटेकनिक	सख्या	1998–99	1
छ	विश्वविद्यालय	सख्या	1998–99	1
27	चिकित्सालय एव औषधालय			
क	एलोपैथिक	सख्या	1998–99	25
ख	आयुर्वेदिक	सख्या	1998–99	27
ग	होम्योपैथिक	सख्या	1998–99	29
घ	यूनानी	सख्या	1998–99	7
ड	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सख्या	1998–99	88
च	परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	सख्या	1998–99	23
छ	परिवार एव मा शि क उपकेन्द्र	सख्या	1998–99	463
28	विशेष चिकित्सालय			
क	क्षय	सख्या	1998–99	1
ख	कुष्ठ	सख्या	1998–99	1
ग	सक्रामक रोग	सख्या	1998–99	1
29	पक्की सडको की लम्बाई			
क	कुल	किमी	1997–98	3682
ख	लो नि वि के अन्तर्गत	किमी	1997–98	1916
ग	स्थानीय निकायो के अतर्गत	किमी	1997–98	758
घ	अन्य विभागो द्वारा	किमी	1997–98	1008

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
30	विद्युत			
क	विद्युतीकृत ग्राम (कुल)	सख्या	1998–99	3066
ख	पपसेटो का इजन	सख्या	1998–99	26742
ग	विद्युतीकृत हरिजन बस्तिया	सख्या	1998–99	1604
घ	विद्युतीकृत नगर	सख्या	1998–99	7
31	नल/हैण्डपप इण्डिया मार्क–2 लगाकर जल सम्पूर्ति के अर्न्तगत ग्राम			
क	ग्राम	सख्या	1998–99	3097
ख	नगर	सख्या	1998–99	7
32	आर्थिक वर्गीकरण (कर्मकार)			
क	कृषक	सख्या	जनगणना –1991	512812
ख	कृषि श्रमिक	सख्या	जनगणना –1991	112827
ग	अन्य कर्मकार	सख्या	जनगणना –1991	192839
घ	कुल मुख्य कर्मकार	सख्या	जनगणना –1991	818478
ङ	सीमान्त कर्मकार	सख्या	जनगणना –1991	79711
च	कुन कर्मकार	सख्या	जनगणना –1991	898189
33	सिचाई के विभिन्न साधनो द्वारा श्रोतानुसार शुद्ध क्षेत्रफल			
क	नहर	हे	1997–98	66567
ख	नलकूप			
	1– राजकीय	हे	1997–98	13960
	2– निजी	हे	1997–98	111414
ग	कुऑ	हे	1997–98	18

क्र स	मद	इकाई	अवधि/ स्थिति	विवरण
1	2	3	4	5
घ	तालाब	हे	1997–98	152
ङ	अन्य	हे	1997–98	25527
34	जिला सेक्टर योजना	हरु मे	1999–2000	
क	अनुमोदित परिव्यय	हरु मे	1999–2000	522800
ख	अवमुक्त धनराशि	हरु मे	1999–2000	374149
ग	व्यय की गई धनराशि	हरु मे	1999–2000	322795

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा, जनपद-जौनपुर

अध्याय - 8

जनपद-जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान

अध्याय-8

जनपद-जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान

जनपद जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ जनपद है यहा की अधिकाश जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे रहती है और प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर करती है। अत इस जनपद के विकास के लिए ग्रामीण विकास करने होगे। 'राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने कहा था कि यदि सुदृढ सतुलित और दूरगामी विकास करना है तो हमे अपने ग्रामीण अचलो को सशक्त बनाना होगा व ग्रामो की आधारभूत सरचना को मजबूत बनाने वाले ससाधन उपलब्ध करने होगे। भारतीय कृषि एव भारतीय कृषक पिछले कई दशको से विभिन्न प्रकार की समस्याओ के भवर जाल मे फसकर रह गये है। उन बहुत सी आर्थिक समस्याओ मे से जिन्होने हमारे गरीब किसानो को सर्वाधिक प्रताडित किया है। एक प्रमुख समस्या वित्त ससाधनो की अनुपलब्धता की है। [1]

ग्रामीण विकास भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तम्भ है। नियोजन काल मे इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाए बनाई गई किन्तु बैकिग सहायता के अभाव मे ग्रामीण बेरोजगारी से निबटने तथा कृषि एव कुटीर उद्योगो के विकास मे वित्तीय बाधाए उत्पन्न हो रही थी। व्यवसायिक बैक दूरस्थ ग्रामीण अचलो मे अपने व्यापार का विस्तार नही कर पा रहे थे। सामाजिक बैकिग की अवधारणा (1967–68) तथा वृहद बैको का राष्ट्रीयकरण

---

1 स्रोत श्रेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण डॉ श्यामकृष्ण पाण्डेय

(1969) भी व्यवसायिक बैको को निर्धन वर्ग के द्वार तक पहुचाने मे अक्षम रहे। सहकारी बैक यद्यपि इस क्षेत्र मे कारगर सिद्ध हो सकते थे किन्तु उनकी अपनी असफलताओ और कमियो के रहते ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त नही हो सकता था। ऐसी स्थिति मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के चहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण बैको की स्थापना की आवश्यकता स्वातन्त्र्योत्तर काल मे निरन्तर अनुभव की जा रही थी।

ग्रामीण बैकिग अनुसधान समिति (1950) की रिपोर्ट के अनुसार भारत मे ग्रामीण बैको की अवधारणा सर्वप्रथम बगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रस्तुत की गयी। आर जी सरैया की अध्यक्षता मे गठित बैकिग कमीशन (1972) ने पुन ग्रामीण बैको की एक श्रृखला प्रारम्भ किये जाने का विचार प्रस्तुत किया किन्तु राजनीतिक पहल के अभाव मे इस दिशा मे कोई प्रगति नही हो सकी।

गोमती ग्रामीण बैंक की स्थापना के प्रमुख कारण

1 जौनपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रो एव सीमान्त कृषको की साख सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने मे सहकारी ऋण सस्थाओ एव व्यवसायिक बैको ने पर्याप्त रूचि नही दिखाई।

2 व्यवसायिक बैको का एक सामान्य मानदड बन चुका था कि गरीब ग्रामीण परिवार उधार का पात्र नही होता अर्थात ये बैक शहरोन्मुख दृष्टिकोण रखते थे।

3 ग्रामीण क्षेत्रो मे लघु कृषको, कारीगरो एव भूमिहीन मजदूरो की साख सम्बन्धी आवश्यकताओ को पूरा करने की अपेक्षा व्यवसायिक बैको मे कार्यरत शहरी मनोवृत्ति वाले कर्मचारियो से नहीं की जा सकती थी। अत ग्रामीण साख की आवश्यकताओ के लिए ग्रामीण दृष्टिकोण वाले व्यक्तियो द्वारा सचालित बैको की आवश्यकता महसूस की गई।

4 व्यवसायिक बैको मे कार्यरत कर्मचारियो मे ग्रामीण क्षेत्र की पृष्टभूमि एव गहन अध्ययन का अभाव था जो कि ग्रामीण क्षेत्रो को साख उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक था। इसलिए मात्र ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए अलग वित्तीय सस्थान की आवश्यकता महसूस की गयी।

5 व्यवसायिक बैको की स्थापना तथा प्रशासनिक लागत काफी अधिक थी। अत ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐसे बैक की आवश्यकता थी जिसकी स्थापना एव प्रशासनिक लागत कम हो।

जनपद जौनपुर में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की भूमिका

व्यवसायिक बैको पर सामाजिक नियत्रण व्यवस्थाओ का भार सरकार द्वारा डाला गया। किन्तु सरकार ने यह महसूस किया कि ग्रामीण विकास के लिए वित्त एव साख को कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो की ओर मोडना समय की आवश्यकता है और इसी परिप्रेक्ष्य मे 19 जुलाई 1969 को देश के प्रमुख व्यावसायिक बैको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देश के सम्पूर्ण बैकिग इतिहास मे यह एक महत्वपूर्ण क्रातिकारी घटना रही है।

आर्थिक विकास की बदलती हुई परिस्थितियो के साथ साथ ये बैक भी सामाजिक बैकिग सिद्धात के मार्ग से हट गये तथा लाभ प्रदता को महत्व देने लगे और कृषि एव प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो की वित्तीय सहायता कल्पना मात्र रह गयी।

जनपद जौनपुर का अग्रणी बैक राष्ट्रीयकृत बैक यूनियन बैक ऑफ इण्डिया है। वर्ष 1997–98 मे जनपद जौनपुर मे राष्ट्रीयकृत बैको मे कुल जमा धनराशि 1068900 हजार रुपये थी और इन बैको द्वारा 2165700 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया था जो कि जमा धनराशि का 20

प्रतिशत था। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

तालिका 8.1

जनपद जौनपुर मे व्यवसायिक बैको मे जमा ऋण तथा ऋण जमा अनुपात

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	बैक का नाम	जमा	ऋण	ऋण जमा अनुपात
1	यूनियन बैक	57021	9885	17 34
2	स्टेट बैक	17889	2898	16 24
3	सेन्ट्रल बैक	2244	439	19 56
4	बैक ऑफ बडौदा	2372	545	22 98
5	इलाहाबाद बैक	875	90	10 29
6	पजाब नेशनल बैक	2764	336	12 16
7	ओरियन्टल बैक	1620	134	8 27
8	बनारस स्टेट बैक	1590	273	17 51
9	केनरा बैक	648	141	21 76
	योग	**91309**	**14741**	**16.14**

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर 1997-98 अर्थ एव सख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश

उपरोक्त तालिका 8 1 से स्पष्ट है कि जनपद जौनपुर मे विभिन्न व्यासायिक बैको का ऋण जमा अनुपात कुल ऋण जमा अनुपात मात्र 16 14 प्रतिशत है जो कि सन्तोषजनक नहीं है।

जनपद मे व्यवसायिक बैको का ऋण जमा अनुपात कम होने के साथ ही इन बैको ने ऋण का वितरण भी कृषि एव प्राथमिक क्षेत्रो मे न करके अन्य क्षेत्रो मे अधिक किया है जबकि आवश्यकता इस बात कि है कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण को कृषि एव प्राथमिक क्षेत्र मे वितरण को

प्राथमिकता दी जाय। व्यावसायिक बैको द्वारा जनपद मे वितरित ऋण निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 8.2

जनपद मे व्यावसायिक बैको द्वारा जमा धनराशि एव ऋण वितरण का विवरण (1999-2000)

(धनराधि हजार रुपये मे)

क्र स	मद	विवरण
1	जमा धनराशि	12181900
2	कुल ऋण वितरण	2349700
3	प्राथमिक क्षेत्र मे ऋण वितरण	
	(अ) कृषि तथा कृषि से सबधित कार्य	547151
	(ब) लघु उद्योग	25136
	(स) अन्य	171733

स्रोत सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर अर्थ एव सख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश

तालिका 8 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यावसायिक बैको द्वारा जनपद जौनपुर मे केवल 23 प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्र को तथा 1 प्रतिशत लघु उद्योगो को प्रदान किया गया जबकि 76 प्रतिशत अन्य क्षेत्रो को प्रदान किया गया तथा ऋण जमा अनुपात 5 1 रहा है जो बहुत कम है।

गोमती ग्रामीण बैंक

स्थापना

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना देश के चयनित जिलो मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के उद्देश्य से की गई है। इन बैको का मुख्य उद्देश्य कृषि व्यापार वाणिज्य उद्योग एव ग्रामीण क्षेत्रो मे अन्य उत्पादक गतिविधियो हेतु विशेष रूप से सीमान्त एव लघु कृषको ग्रामीण दस्तकारो तथा लघु उद्यमियो को आर्थिक सहायता प्रदान करके अर्थव्यवस्था का सुधार करना है।

जनपद जौनपुर मे इन उद्देश्यो की पूर्ति के निमित्त जनपद के अग्रणी बैक यूनियन बैक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अधिनियम 1976 की धारा (3) के अन्तर्गत गोमती ग्रामीण बैक की स्थापना 30 मार्च 1981 को की। यह प्रवर्तक बैक यूनियन बैक ऑफ इण्डिया केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का सयुक्त उपक्रम है। इनका पूजी का अनुपात क्रमश 35 50 15 है।

कार्य क्षेत्र

गोमती ग्रामीण बैक का कार्य क्षेत्र जनपद जौनपुर है। इस जनपद मे 6 तहसीले और 21 विकास खण्ड है।

निदेशक मण्डल

गोमती ग्रामीण बैक के निदेशक मण्डल मे कुल नौ सदस्य है। भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अधिनियम 1976 की धारा (9) के अन्तर्गत निदेश मण्डल के सदस्यो की नियुक्ति करती है। मण्डल का अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है। एक सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

द्वारा नामित एक सदस्य राष्ट्रीय बैक द्वारा नामित दो सदस्य प्रवर्तक बैक यूनियन बैक ऑफ इण्डिया द्वारा नामित तथा दो सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित होते है। वर्तमान मे गोमती ग्रामीण बैक के अध्यक्ष टी एन गुप्ता है।

अंश पूंजी

गोमती ग्रामीण बैक की अधिकृत अशपूजी वर्तमान समय मे पॉच करोड रुपये है जिसमे से एक करोड रुपये की प्रदत्त पूजी है। प्रदत्त अशपूजी मे समय–समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्रदत्त समस्त अशपूजी का अशदान भारत सरकार यूनियन बैक ऑफ इण्डिया एव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रमश 50 35 15 के अनुपात मे निवेशित है। निम्न तालिका से अश पूजी तथा प्रदत्त पूजी स्पष्ट है

तालिका 8 3

गोमती ग्रामीण बैक की अशपूजी का विवरण

(लाख रुपये मे)

वर्ष	अधिकृत पूजी	प्रदत्त पूजी
1	2	3
1981–86	100 00	25 00
1987–90	100 00	50 00
1990–91	500 00	62 50
1991–92	500 00	75 00
1992–93	500 00	75 00
1993–94	500 00	75 00
1994–95	500 00	75 00
1195–96	500 00	75 00
1996–97	500 00	100 00
1997–98	500 00	100 00
1998–99	500 00	100 00
1999–2000	500 00	100 00

स्रोत · विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)

तालिका से स्पष्ट है कि बैक की अधिकृत पूजी स्थापना के समय 100 लाख रुपये थी जो कि 1990–91 मे बढाकर 500 लाख रुपये कर दिया गया। प्रदत्त पूजी 1981 मे 25 लाख की थी जिसे 1987 90–91 तथा 1996–97 मे बढाकर क्रमश 50 62 50 75 तथा 100 लाख कर दिया गया है।

जनपद जौनपुर के विकास में गोमती ग्रामीण बैंक का योगदान

जनपद जौनपुर का ग्रामीण विकास गोमती ग्रामीण बैक के विकास के साथ ही जुडा हुआ है। 30 मार्च 1981 को गोमती ग्रामीण बैक के स्थापना के पश्चात इस बैक की निरन्तर प्रगति होती रही है और जनपद के विकास को भी गति प्राप्त हुई। जनपद मे बैक की स्थापना के प्रथम 5 वर्षो मे प्रगति तीव्र गति से हुई और दिसम्बर 86 तक बैक की कुल शाखाओ की सख्या 81 हो गयी जिनके माध्यम से बैक ने ग्रामीण जनता को आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया। 1986 के पश्चात बैक की शाखा विस्तार की गति मन्द पड गयी। वर्तमान मे इस बैक की कुल 84 शाखाए है। बैक की प्रगति को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

तालिका - 8 4

गोमती ग्रामीण बैक की प्रगति का क्रमवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र स	वर्ष	शाखा	जमा		ऋण		ऋण का अनुपात
			खाता सख्या	धनराशि	खाता सख्या	धनराशि	(प्रति मे)
1	1981	10	1952	16 95	269	5 67	27 00
2	1982	40	18926	128 66	4409	98 95	77 00
3	1983	48	38553	268 34	11258	208 76	78 00
4	1984	60	59769	483 12	18253	370 32	77 00
5	1985	78	84415	746 56	23678	541 79	72 57
6	1986	81	106591	1065 42	27774	759 05	71.24
7	1987	81	129341	1502 57	30826	906 55	60 33
8	1988–89	81	161595	2099 01	38490	1205 75	57 44
9	1989–90	81	135969	2962 26	43582	1480 42	49 98
10	1990–91	81	211558	3978 38	50597	1881 36	47 29
11	1991–92	81	241537	4766 75	53501	2280 68	47 84
12	1992–93	81	267567	5957 47	55424	2671 84	44 85
13	1993–94	81	292860	7649 33	57304	3291 50	43 03
14	1994–95	81	313385	9424 11	59552	4146 28	44 00
15	1995–96	81	346855	12926 74	61943	5015 43	39 10
16	1996–97	81	381367	16096 96	63746	5913 89	36 74
17	1997–98	81	423465	19906 63	65566	6915 59	34 76
18	1998–99	84	466402	25164 43	68361	8271 14	32 86
19	1999–2000	84	501080	30530 05	69757	9193 12	30 11

स्रोत विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)

उपरोक्त तालिका 8 4 से परिलक्षित है कि गोमती ग्रामीण बैक जनपद जौनपुर के विकास के लिए निरन्तर प्रयास किया है छोटी–छोटी बचत को एकत्रित करके वित्तविहीन क्षेत्रो मे वितरित किया है। जनपद मे गोमती ग्रामीण बैक की जमा खाता सख्या एव धनराशि मे निरन्तर वृद्धि हो रही है 1981 मे जो मात्र 1952 खाता था जो कि 5 वर्ष पश्चात 1986 मे 106591 हो गयी और मार्च 1990 1995 एव 2000 मे बढकर क्रमश 135969 313385 एव 501080 हो गयी। इसी प्रकार जमा धनराशि मे भी वृद्धि निरन्तर हुई। 1981 मे कुल जमा धनराशि 16 95 लाख रुपये थी वह क्रमश मार्च 1985 1990 1995 एव 2000 मे क्रमश 746 56 2962 26 9424 11 एव 30530 05 लाख रुपये हो गयी।

प्रथम वर्ष मे बैक द्वारा ऋण वितरण अधिक नही हो पाया क्योकि मार्च 1981 मे बैक की स्थापना ही हुई जिस कारण उतना अधिक आवेदन नही मिल सका परन्तु बाद के वर्षो मे ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया। मार्च 1985 1990 1995 एव 2000 की समाप्ति पर ऋण वितरण क्रमश 451 79 1480 42 4146 28 एव 9193 12 लाख रुपये थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैक के जनपद के विकास के लिए वितरित ऋण मे निरन्तर वृद्धि की है।

जनपद जौनपुर गोमती ग्रामीण बैंक का प्रथम वर्ष 1981 ऋण जमा अनुपात मात्र 27 प्रतिशत था लेकिन अगले वर्ष ही 1982 मे यह बढकर 77 प्रतिशत हो गया। ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 78 प्रतिशत 1983 मे था उसके पश्चात इसमे कमी होने लगी और वर्तमान मे यह घटकर मात्र 30 11 प्रतिशत रह गया।

तालिका - 8 5

गोमती ग्रामीण बैक का तहसीलवार जमा, ऋण तथा ऋण जमा अनुपात का प्रगति विवरण

(31 मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	तहसील	1997-98			1998-99			1999-2000		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनु प्रति मे	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु प्रति में	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु प्रति मे
1	मडियाहूँ	4264 74	1498 86	35 14	5614 31	1877 80	33 45	6609 32	2108 85	31 91
2	मछलीशहर	3099 78	1016 52	32 79	3099 78	1201 87	38 77	4220 28	1404 39	33 28
3	बदलापुर	1474 03	592 06	40 17	1918 27	737 17	38 43	2353 26	699 10	29 71
4	शाहगज	2625 66	1152 96	43 91	3419 45	1338 96	39 16	4613 76	1403 89	30 43
5	केराकत	3368 20	1068 99	31 74	4036 80	1178 37	29 19	4803 15	1338 10	27 86
6	सदर	5074 42	1586 18	31 26	6229 60	1936 97	31 09	7930 28	2238 79	28 23
	योग	19906 83	6915 57	34 74	25164 43	8271 14	32 87	30530 05	9193 12	30 11

उपरोक्त तालिका 8 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक ऋण वितरण सदर तहसील मे किया गया है जिसका अधिकाश क्षेत्र शहर मे स्थित है। जबकि ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक शाहगज तहसील की है। ऋण जमा अनुपात मे निरन्तर कमी हो रही है 1997-98 मे जो ऋण जमा अनुपात 34 74 प्रतिशत था वह 1999–2000 मे घटकर 30 11 प्रतिशत रह गया। कुल जमा एव कुल ऋण राशि मे प्रत्येक तहसील मे निरन्तर वृद्धि हो रही है।

तालिका - 8 6

गोमती ग्रामीण बैक का विकास-खण्डवार जमा, ऋण एव ऋण जमा अनुपात का प्रगति विवरण

(31 मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	विकास खण्ड	1997 98			1998 99			1999-2000		
		जमा	ऋण	ऋण जमा अनु	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु	जमा	ऋण	ऋण जमा अनु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिरकोनी	2277 1	554 81	24 37	2737 36	699 02	25 54	3858 20	802 34	20 80
2	बक्सा	473 42	198 46	41 92	605 76	237 11	39 14	668 23	253 30	37 91
3	सिकरारा	1111 35	379 23	34 12	1350 48	462 64	34 26	1570 76	489 05	31 13
4	करजाकला	987 49	331 31	33 55	1231 51	394 32	32 02	1425 10	427 53	30 00
5	धर्मापुर	225 06	122 37	54 37	304 49	143 88	47 25	327 91	159 40	48 61
6	मडियाहू	1559 75	489 27	31 37	2044 96	602 00	29 44	2435 60	686 53	28 19
7	बरसठी	1007 07	390 03	38 73	1292 03	466 96	36 14	1430 68	518 49	36 24
8	रामनगर	707 15	288 00	40 73	867 44	337 83	38 95	1061 64	381 94	35 98
9	रामपुर	1121 46	411 47	36 69	1409 88	471 04	33 41	1681 40	521 89	31 04
10	जलालपुर	1177 25	263 02	22 34	1469 05	331 05	22 53	1677 68	396 11	23 61
11	डोभी	601 33	189 10	31 45	481 33	222 57	28 49	948 34	367 71	38 77
12	केराकत	814 09	233 98	28 74	1008 82	281 20	27 87	1244 49	326 96	26 27
13	मुफ्तीगज	644 84	302 98	46 99	777 60	338 55	43 54	932 68	367 71	39 43
14	शाहगज सोधी	1194 56	408 54	34 20	1593 31	431 55	27 09	1911 15	446 61	23 37
15	सुईथाकला	649 41	310 35	47 79	852 60	389 77	45 72	1057 87	412 86	39 03
16	खुटहन	781 69	434 07	55 53	973 24	517 64	53 19	1176 79	544 42	46.26
17	बदलापुर	752 73	349 72	46 46	1006 64	435 21	43 23	1260 62	467 95	37 12
18	महराजगज	721 28	242 34	33 60	911 63	301 96	33 12	1092 64	231 15	21 15
19	सुजानगज	1121 04	307 97	27 47	1433 68	371 60	25 92	1717 33	437 28	25 46
20	मछलीशहर	1329 57	431 71	32 47	1634 95	505.51	30 91	1904 49	606 38	31 84
21	मुगरॉ बादशाहपुर	649 17	276 84	42 65	877 31	324 76	37 02	1138 46	360 73	31 69

स्रोत : विभिन्न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (गोमती ग्रामीण बैंक)

उपरोक्त तालिका 8 6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैक द्वारा जनपद के सभी विकास खण्डो मे पर्याप्त ऋण वितरण किया गया है। जिससे सम्पूर्ण जनपद का सन्तुलित विकास हो रहा है।

1999–2000 मे सर्वाधिक ऋण विकास खण्ड मडियाहू मे 686 53 करोड रुपये वितरित किया गया जबकि सबसे कम 159 40 धर्मापुर विकास खण्ड मे। सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात धर्मापुर विकास खण्ड का है तथा सबसे कम सिरकोनी विकास खण्ड का है।

शाखा विस्तार

दिनाक 31 03 2001 को बैक की कुल 84 शाखाये थी। शाखाओ का क्षेत्रवार वितरण निम्न है

तालिका 8 7

गोमती ग्रामीण बैक की शाखाओ का वर्गीकरण

क्रमाक	क्षेत्रवार वर्गीकरण	शाखाओ की सख्या
1	शहरी शाखाये	2
2	अर्द्धशहरी शाखाये	6
3	ग्रामीण शाखाये	76
	योग	**84**

उपरोक्त तालिका 8 7 से स्पष्ट है कि यह बैक जनपद जौनपुर के ग्रामीण विकास के लिए कृत सकल्प है। इसकी कुल 84 शाखाओ मे से 76 शाखाए ग्रामीण क्षेत्र मे तथा 6 अर्द्धशहरी क्षेत्र मे स्थापित है जबकि शहर मे मात्र दो शाखाये ही है।

जमा संवृद्धि

1981 मे बैक का स्थापना वर्ष होने के कारण सबसे कम 16 95 लाख रुपये जमा हुआ। उसके पश्चात जमा धनराशि मे निरन्तर वृद्धि हुई है। विगत कुछ वर्ष का जमा सग्रह मे वृद्धि निम्न प्रकार है

तालिका 8 8

जनपद जौनपुर मे गोमती ग्रामीण बैक की जमा वृद्धि दर

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	जमाराशि	12926 74	16096 96	19906 63	25164 43	30530 05
2	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि	37 17	25 52	23 59	26 41	21 21

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक जमा वृद्धि दर 1995–96 मे 37 17 प्रतिशत था न्यूनतम 21 23 प्रतिशत है इससे जमा सग्रह मे उतार–चढाव परिलक्षित होता है।

ऋण वितरण

1981 मे प्रथम वर्ष होने के कारण ऋण वितरण मात्र 5 67 लाख रुपये ही हो सका। परन्तु उसके पश्चात ऋण वितरण मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। विगत कुछ वर्षो मे वृद्धि प्रतिशत निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 8 9

जनपद जौनपुर मे गोमती ग्रामीण बैक द्वारा ऋण वितरण

(मार्च की समाप्ति पर)

(धनराशि लाख रुपये मे)

क्र स	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	ऋण राशि	5015 43	5943 89	6915 59	8271 14	9193 12
2	विगत वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि	20 97	17 91	16 93	19 60	11 15

उपरोक्त तालिका 8 9 से स्पष्ट है कि विगत पाच वर्षो मे कुल ऋण वितरण मे लगातार वृद्धि हुई है परन्तु वृद्धि प्रतिशत मे उतार–चढाव होता रहा है।

पुनर्वित्त

बैक ने राष्ट्रीय बैक एव प्रायोजक बैक से हर सभव पुनर्वित्त प्राप्त करने का प्रयास किया। ऋण को उन्ही परियोजनाओ मे वित्त पोषण करने पर जोर दिया गया जो कि राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पात्र थी। बैक ने पहली बार 1998–99 मे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से सडक परिवहन योजनान्तर्गत पुनर्वित्त प्राप्त किया गया परन्तु राष्ट्रीय बैंक की तुलना मे सिडवी द्वारा पुनर्वित्त प्राप्ति मे उच्च लागत अनुभव किया गया है। अतएव सिडबी द्वारा पुनर्वित्त प्राप्ति को द्वितीय प्राथमिकता दी गयी। विगत कुछ वर्षो मे पुनर्वित्त की स्थिति निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका 8 10

विभिन्न स्रोतो से प्राप्त पुनर्वित्त

(धनराशि लाख रुपये में)

स्रोत	पुर्नवित्त		
	1997-98	1998-99	1999-2000
(अ) राष्ट्रीय बैक			
1 अल्पावधि (मौसमी)	104 75	145 25	104 15
2 अल्पावधि (गैर मौसमी)	50 00	50 00	50 00
3 मध्यावधि (गैर योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
4 मध्यावधि (योजनान्तगर्त)	623 51	804 26	589 15
उपयोग	778 26	999 51	743 30
(ब) यूनियन बैक ऑफ इण्डिया			
1 अल्पावधि (मौसमी)	41 90	60 00	74 00
2 अल्पावधि (गैर मौसमी)	20 00	20 00	24 00
3 मध्यावधि (गैर योजनान्तर्गत)	शून्य	शून्य	शून्य
4 मध्यावधि (योजनान्तगर्त)	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग	61 90	82 00	98 00
(स) भारतीय लघु उद्योग विकास बैक	शून्य	24 72	15 54
उपयोग	शून्य	24 72	15 54
सम्पूर्ण योग (अ+ब+स)	**840 16**	**1106.23**	**856.84**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यूनियन बैक ऑफ इण्डिया से प्राप्त पुनर्वित्त मे लगातार वृद्धि हो रही है परन्तु राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त 1999–2000 मे 1998–99 की अपेक्षा 256 21 लाख रुपये कम है। शासन द्वारा प्रायोजित योजना 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना मे पर्याप्त राशि वितरित न कर पाने के कारण राष्ट्रीय बैक से अपेक्षित पुनर्वित्त नहीं प्राप्त किया जा सका।

ऋण एवं अग्रिम अवशेष

बैक के उद्देश्यो की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद जौनपुर के निर्बल वर्गो के आर्थिक उन्नयन एव समाज के अत्यधिक निम्न वर्गो को वित्तीयन हेतु कृषि आधारित गतिविधियो लघु ग्रामीण कुटीर उद्योगो ग्रामीण हस्तशिल्प सेवा तथा व्यवसायिक क्षेत्रो मे लक्ष्य समूह के साथ ही गैर लक्ष्य समूह को वित्त पोषित कर बैक ने अग्रिम विनियोजन मे सुधार हेतु निरन्तुर प्रयास किया है। ऋणो एव अग्रिमो का अवशेष विवरण निम्नानुसार है

तालिका 8 11

ऋणों एव अग्रिमो का अवशेष का क्षेत्रवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये मे)

स्रोत	अवशेष		
	31 3 98	**31 3 99**	**31 3 2000**
(अ) प्राथमिक क्षेत्र			
1 कृषि			
(अ) अल्पावधि ऋण	430 21	613 35	798 36
(ब) मियादी ऋण	767 43	1020 99	1054 45
(स) कृषि आधारित	1156 68	1285 88	1526 55
उपयोग	2354 32	2920 22	3379 36
2 कृष्येतर क्षेत्र			
लघु उद्योग	981 03	1080 15	1093 58
सडक उद्योग	370 84	432 38	387 70
खुदरा व लघु व्यापार तथा अन्य	2337 37	2694 81	2711 52
उपयोग	368 24	4207 34	4192 80
प्राथमिकता क्षेत्र का योग	6083 56	7127 56	7572 16
(ब) गैर प्राथमिकता क्षेत्र	872 03	1143 14	1620 96
सम्पूर्ण योग	**6915 59**	**8271 14**	**9193 12**

तालिका 8 11 से स्पष्ट है कि जनपद जौनपुर मे बैक द्वारा ऋण वितरण मे निरन्तर वृद्धि हुई है। ऋण वितरण मे प्राथमिकता क्षेत्र की वरीयता दी गयी है। कृषि ऋण मे कृषि से सम्बन्धित कार्यो जैसे खाद बीज जुताई आदि के लिए ऋण देने मे प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष के दौरान ऋण वितरण

बैक ने 31 मार्च 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राथमिकता आधार पर निर्बल वर्गो को ऋण सुविधा प्रदान की है एव सरकार द्वारा आयोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा एकीकृत ग्राम विकास योजना एव विशेष समन्वित योजना आदि के प्रवर्तन मे सहभागिता की है। गोमती ग्रामीण बैक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान किये गये ऋणो का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

तालिका 8 12

ऋणो एवं अग्रिमो का अवशेष का क्षेत्रवार विवरण

(धनराशि लाख रुपये मे)

विवरण	वितरित ऋण		
	31 3 98	31 3 99	31 3 2000
कृषि	781 28	1057 76	1105 18
लघु उद्योग	171 58	147 64	81 85
सेवा व्यापार और अन्य	963 59	868 44	1183 80
योग	**1916 45**	**2073 84**	**2370 83**

उपरोक्त तालिका 8 12 से स्पष्ट है कि बैंक द्वारा सर्वाधिक ऋण का वितरण 2370 83 लाख रुपये मार्च 2000 मे किया गया है। कृषि और सेवा व्यापार व अन्य क्षेत्रो मे ऋण वितरण लगभग सामान्य है जबकि लघु उद्योगो मे अपेक्षाकृत बहुत कम है और यह प्रतिवर्ष घटता जा रहा है जैसे

मार्च 1998 1999 एव 2000 मे लघु उद्योगो को क्रमश 171 58 147 64 तथा 81 85 लाख रुपये ऋण उपलब्ध किया गया।

जनपद जौनपुर मे बैक द्वारा विगत कुछ वर्षो मे प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो लक्ष्य और गैर लक्ष्य समूह के अन्तर्गत उपलब्धि तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसख्यको को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमो लघु/समीन्त कृषको/कृषि मजदूरो को वितरित किये गये ऋणो को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

तालिका 8 13

कुल वितरित ऋणो का वर्गीकरण

(धनराशि लाख रुपये मे)

विवरण	31 3.98	31 3 99	31 3 2000
कुल वितरित ऋण	2274 08	2557 46	2370 83
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत	1965 45	2073 84	1695 27
कुल वितरण का प्रतिशत	84 27	81 08	71 51
गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत	357 63	483 62	675 56
कुल वितरण का प्रतिशत	15 73	18 92	28 49
लक्ष्य समूह अन्तर्गत	1601 45	1800 58	1634 88
कुल वितरण का प्रतिशत	70 40	70 40	68 96
गैर लक्ष्य समूह अन्तर्गत	672 63	756 88	735 95
कुल वितरण का प्रतिशत	29 58	29 60	31 04
अनुसूचित जाति/जनजाति को	342 67	292 93	132 30
अल्पसख्यको को	34 40	25 10	18 77
लघु/सीमान्त कृषको/कृषि मजदूरो को	607 66	755 84	818 04
एकीकृत ग्रामी विकास योजना स्वर्ण जग्रास्वरोज योनान्तर्गत	695 29	612 45	134 06
अन्य सरकारी योजनान्तर्गत	47 82	51 68	67 03

उपरोक्त तालिका 8 13 से परिलक्षित हो रहा है कि विगत तीन वर्षो मे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वितरित ऋण 1998 1999 एव 2000 मे क्रमश 84 27 81 08 तथा 71 51 प्रतिशत है जो कि निरन्तर घट रहा है जबकि इसी अवधि मे गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वितरित किये गये ऋण का प्रतिशत क्रमश 15 73 18 92 तथा 28 49 है। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे ऋण वितरण मे कमी तथा गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे ऋण वितरण मे वृद्धि हो रही है। बैक द्वारा अल्पसख्यक एव अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगो को ऋण वितरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा विभिन्न योजनाओ के लिए भी ऋण को उपलब्ध कराया जा सकता है।

बैक द्वारा वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत तथा विशेष समन्वित योजनान्तर्गत वितरित ऋणो तथा उपलब्धि प्रतिशत को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया ज सकता है

तालिका 8 14

विभिन्न योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण तथा उपलब्धि प्रतिशत का विवरण

(धनराशि लाख रुपये मे)

योजना	वितरित ऋण					
	1997-98		1998-99		1999-2000	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत	2219 97	1916 45	2498 53	2073 84	2980 16	2370 83
उपलब्धि प्रतिशत		86 00		83 00		79 56
एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत	782 33	695 29	754 25	612 45	190 00	134 06
उपलब्धि प्रतिशत		88 87		81 20		70 55
विशेष समन्वित योजनान्तर्गत	158 46	47 82	178 45	51 68	172 50	67 03
उपलब्धि प्रतिशत		30 17		28 96		38 86

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्षिक कार्य योजनान्तर्गत तथा एकीकृत ग्राम विकास योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नही किया जा सका। केवल 80 से 90 प्रतिशत के बीच लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जो कि सन्तोषजनक है परन्तु विशेष समन्वित योजनान्तर्गत मात्र 30 से 40 प्रतिशत तक ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका जो कि बैंक के लिए निराशाजनक कहा जा सकता है।

ऋण ब्याज दर संरचना

बैक द्वारा समय समय पर ऋण ब्याज दरो मे परिवर्तन किया जाता रहा है। यह परिवर्तन शाखाओ से प्राप्त सुझावो बैकिग प्रतिस्पर्धा तथा जनपद मे कार्यरत व्यवसायिक बैको की वर्तमान ब्याज दरो को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। इसे निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है

तालिका 8 15

ऋण ब्याज दर सरचना मे परिवर्तन

क्र स	ऋण की प्रकृति एव सीमा	ब्याज दर प्रतिशत मे			
		22 9 97		1 10 2000	
		कृषि	अन्य	कृषि	अन्य
1	2	3		4	
1	ऋण सीमा का आकार				
	(1) 25000 रुपये तक	14	14	12 5	12 5
	(2) 25000 से 200000 रुपये तक	15	16	12 5	12 5
	(3) 200000 रुपये से अधिक 10 लाख रुपये तक	16	17 5	14 5	16 0
	(4) 10 लाख के ऊपर एव अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	17	18	15 5	16 0
2	उपभोक्ता वस्तुओ के क्रय पर ऋण	18	18	16	16
3	अन्य गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	18	18	17	17
4	सावधि जमा के विरूद्ध ऋण	देय ब्याज + 2 प्रति	देय ब्याज + 2 प्रति	देय ब्याज + 2 प्रति	देय ब्याज + 2 प्रति
5	सावधि जमा के विरूद्ध तृतीय पक्ष को ऋण	16 5	16 5	16	16

उपरोक्त तालिका 8 15 से स्पष्ट है कि कृषि ऋण पर ब्याज दर मे रियायत प्रदान की गयी है। 1 अक्टूबर 2000 को ब्याज दर मे 1 5 प्रतिशत की कमी कर दी गयी है। अल्प ऋण के लिए ब्याज दर कम रखा गया है जबकि बड़ी मात्रो मे ऋण पर ब्याज दर अधिक है।

सर्वेक्षण

जनपद जौनपुर के कुल 21 विकासखण्ड है जिसमे प्रतिदर्श आधार पर 4 विकासखण्ड का चुनाव किया गया जो कि सम्पूर्ण जिले का प्रतिनिधित्व करते है। ये विकासखण्ड निम्न है

1 बरसठी

2 धर्मापुर

3 रामनगर

4 बदलापुर

सर्वेक्षण के लिए कुल 240 व्यक्तियो का चयन किया गया। प्रत्येक विकासखण्ड से 60 ऋण प्राप्तकर्ताओ का चयन किया गया है जिसमे यह प्रयास किया गया कि कृषि तथा गैर कृषि दोनो ही प्रकार के ऋणार्थी सम्मिलित हो जाय। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सूचनाओ को जो कि 240 व्यक्तियो स सम्बन्धित है का निम्न तालिकाओ द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है

तालिका 8.16

ऋण प्राप्तकर्ताओ का आय स्तर एव ऋण की मात्रा

आय स्तर प्रति माह	ऋण प्राप्त करने वालो की संख्या	ऋण की राशि (हजार मे)
0–1000	37	367 34
1000–2000	112	1792 56
2000–3000	71	1775 89
3000 से अधिक	20	360 31
	240	**4296.10**

स्पष्ट है कि गोमती ग्रामीण बैक द्वारा ऋण प्राप्त करने वालो मे मध्यम आय स्तर वाले व्यक्तियो की सख्या अधिक है। 240 व्यक्ति मे से 112

व्यक्ति ऐसे थे जिनका मासिक आय स्तर 1000—2000 रुपये प्रतिमाह था इस प्रकार 46 67 प्रतिशत व्यक्ति इस श्रेणी मे आते है। मात्र 20 (8 33 प्रतिशत) व्यक्ति ऋण प्राप्त किये थे जिनकी आय 3000 रुपये से अधिक है।

गोमती ग्रामीण बैक ने जनपद मे कृषि तथा गैर कृषि दोनो ही क्षेत्रो मे ऋण वितरित किया है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त विवरण निम्न है

तालिका 8 17

कृषि एव गैर कृषि ऋणो का विवरण

(धनराशि हजार रुपये मे)

विकास खण्ड	व्यक्तियो की सख्या	कुल ऋण	कृषि ऋण	गैर कृषि ऋण
धर्मापुर	60	1036 32	473 47	562 85
बरसठी	60	903 67	458 54	445 13
रामनगर	60	1207 43	732 56	474 87
बदलापुर	60	1148 68	743 49	405 19
	240	**4296 10**	**2408 06**	**1888.04**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धर्मापुर विकासखण्ड को छोडकर सभी विकासखण्ड मे कृषि क्षेत्र मे अधिक ऋण प्रदान किया गया है। धर्मापुर विकासखण्ड मे गैर कृषि ऋण अधिक है इसका प्रमुख कारण शहर की निकटता है यह जौनपुर शहर के पास का क्षेत्र है। कुल ऋण का 56 05 प्रतिशत कृषि क्षेत्र मे तथा 43 95 प्रतिशत गैर कृषि को ऋण वितरित किया गया है।

तालिका 8 18

कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

(धनराशि हजार रुपये मे)

क्र स	**ऋण प्राप्ति के उद्देश्य**	**ऋण की राशि**
1	2	3
1	जुताई के काम वाले पशु	342 42
2	दुधारू पशु	224 31
3	तेल इजन/पम्पिगसेट/बिजली मोटर	764 42
4	अन्य औजार	145 43
5	बिजली चालित यत्र	445 32
6	परिवहन गाडिया	49 69
7	खाद बीज तथा अन्य	436 47
	योग	**2408 06**

उपरोक्त तालिका 8 18 से स्पष्ट है कि चार विकास खण्डो मे गोमती ग्रामीण बैक द्वारा कृषि क्षेत्र मे चयनित 240 व्यक्तियो को कुल 2408 06 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया जिसमे से सबसे अधिक ऋण इजन पपसेट के लिए 746 42 हजार रुपये तथा सबसे कम परिवहन गाडिया के लिए 49 69 हजार रुपये वितरित किया गया है। खाद बीज के लिए कुल ऋण का 18 13 प्रतिशत (436 47 हजार रुपये) ही वितरित किया गया है।

तालिका 8 19

गैर कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

(धनराशि हजार रुपये मे)

क्र स	ऋण प्राप्ति के उद्देश्य	ऋण की राशि
1	2	3
1	स्थायी सम्पत्ति	764 64
2	कार्यशील पूजी	911 43
3	लेनदारो के भुगतान के लिए	211 97
	योग	**1888.04**

उपरोक्त तालिका 8 19 से स्पष्ट है कि चार विकास खण्डो मे चयनित 240 व्यक्तियो मे गोमती ग्रामीण बैक द्वारा गैर कृषि ऋण सर्वाधिक कार्यशील पूजी के लिए प्रदान किया गया है जो कि कुल ऋण का 48 26 प्रतिशत है। 40 5 प्रतिशत ऋण स्थायी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए तथा 11 24 प्रतिशत लेनदारो का भुगतान करने के लिए प्रदान किया गया है।

तालिका 8 20

विभिन्न श्रोतो से प्राप्त ऋण

(धनराशि हजार रुपये मे)

क्र स	स्रोत	ऋण की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4
1	गोमती ग्रामीण बैक	4296 10	57 30
2	व्यवसायिक बैक	1454 24	19 40
3	औद्योगिक बैक	1034 24	13 79
4	मित्रो सम्बन्धियो से	3 56	0 05
5	व्यापारिक उधार	4 21	0 06
6	सहकारी समिति	115 24	1 54
7	भूमि विकास बैक	516 44	6 89
8	अन्य ऋणदाता (साहूकार)	72 46	0 97
	योग	**7496 49**	

उपरोक्त तालिका 8 20 से स्पष्ट है कि कुल ऋण का 57 30 प्रतिशत ऋण गोमती ग्रामीण बैक द्वारा प्रदान किया गया है जबकि व्यवासायिक बैको द्वारा मात्र 19 40 प्रतिशत ही ऋण उपलब्ध किया गया है। मित्र एव सम्बन्धियो व्यापारियो एव साहूकारो द्वारा एक प्रतिशत से भी कम मात्रा मे ऋण उपलब्ध कराया गया है जो कि ऋण प्रदान करने के क्षेत्र मे कोई विशेष महत्व नही रखता है।

अध्याय - 9

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय-9

निष्कर्ष एवं सुझाव

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के सन्दर्भ मे यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जिन उद्देश्यो के लिए इन बैको की स्थापना की गयी थी उसमे सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रो मे लघु कृषको सीमान्त कृषको दस्तकारो एव भूमिहीन मजदूरो को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके लिए रोजगार के साधन सुलभ कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने उन्मुख किया है।

सामान्यत निर्धनता की समस्या तो देश व्यापी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र मे यह अधिक प्रभावशाली है। उत्तर प्रदेश की अधिकाश ग्रामीण जनसख्या अशिक्षित है। अत उनमे छोटी–छोटी बचतो को एकत्रित करने तथा उसके समुचित उपयोग करने की प्रेरणा इन्हीं ग्रामीण बैको द्वारा दी गयी। बैक द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओ का समुचित उपयोग करने के लिए लोगो को प्रेरित किया गया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पडा और ग्रामीणो को महाजनो के ऋणग्रस्तता के दुश्चक्र से बचाया जा सका। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैकिग सुविधा तथा सरकार की नवीनतम् नीतियो से भी परिचित हो सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की स्थापना कम लागत अवधारणा के आधार पर की गयी। परन्तु यह देखा गया कि सरकार की यह धारणा पूरी नहीं हुई और ग्रामीण बैको को भी अपनी कार्य पद्धति व्यावसायिक बैको के समान ही करनी पडी। निम्नलिखित से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शाखा विस्तार

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो मे 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने वित्त विहीन क्षेत्रो मे स्थापित 3004 शाखाओ के माध्यम से ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

गोमती ग्रामीण बैक जनपद जौनपुर के दूर–दराज गावो मे 84 शाखा विस्तार के साथ ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

जमा संग्रहण

इन बैको ने ग्रामीण क्षेत्रो मे छोटी–छोटी बचत को एकत्रित करके पूजी निर्माण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अनुमानत इनमे से 70 प्रतिशत जमा इन बैको के अभाव मे किसी भी बैंक को प्राप्त नही होता था और यह धन या तो अनुत्पादक कार्य मे लगा दिया जाता था या तो बेकार पडा रहता था। यह बैक अपने कमान क्षेत्र से बचत को एकत्रित करके पुन उसी क्षेत्र मे लगा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है जबकि व्यावसायिक तथा अन्य बैक ग्रामीण क्षेत्र से बचत को एकत्र करके अन्य औद्योगिक क्षेत्र मे निवेश करते है।

मार्च 2000 तक उत्तर प्रदेश मे कुल 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की कुल जमा 84296 29 लाख रुपये थी जिनमे से 78 56 प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित थी। अध्याय 5, 6 और 8 से परिलक्षित है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की जमाओ मे निरन्तर वृद्धि हुई है। अत यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन बैको ने ग्रामीण समाज से जमा सग्रह करने का गहन प्रयास किया है।

ऋण वितरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक दूर–दराज के वित्त विहीन ग्रामीण अचलो मे अपनी शाखाओ का जाल बिछाकर ग्रामीण समाज को उचित मात्रा एव उचित समय पर कृषि कृषि आधारित उद्योगो भूमिहीन मजदूरो लघु एव कुटीर उद्योगो और परिवहन हेतु ऋण उपलब्ध करा रहे है। इन्होने अपने सम्पूर्ण ऋण का लगभग 73 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे वितरित किया है। 1999–2000 मे उत्तर प्रदेश मे 25416482 लाख रुपये ऋण वितरित किया गया जिसमे से 7435 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित है।

जनपद जौनपुर मे 1999-2000 मे कुल 919312 लाख रुपये गोमती ग्रामीण बैक द्वारा ऋण वितरित किया गया जिसमे से 7931 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित है।

ऋण जमा अनुपात

इन उपलब्धियो के बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने लक्ष्यो को पूरा करने मे अधिक सफल नही हुए है स्थापना के प्रारम्भ के पाच वर्षो मे ऋण जमा अनुपात मे वृद्धि होती रही और दिसम्बर 1980 मे यह सम्पूर्ण भारत का 22 प्रतिशत हो गया लेकिन उसके पश्चात इसमे निरन्तर कमी होती गयी और वर्तमान मे यह मात्र 41 प्रतिशत रह गया जबकि उत्तर प्रदेश मे इससे भी कम 3015 प्रतिशत ही है। जो कि सन्तोषजनक नही है। जनपद जौनपुर मे गोमती ग्रामीण बैक का ऋण जमा अनुपात मार्च 1998 मे 3474 था जो कि मार्च 2000 मे घटकर 3011 प्रतिशत हो गया है।

आर्थिक स्थिति

अधिकाश क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की आर्थिक स्थिति खराब है और वे भारी घाटे मे चल रहे है। ऐसे मे उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने मे पूर्ण रूप से सफल होगे। घाटे की राशि मे निरन्तर वृद्धि का कारण उनके द्वारा जो ऋण दिये जाते है उनकी वापसी नही होना है। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के पास नये ऋण देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नही रहता। इस तरह ग्रामीण क्षेत्र के लोगो की आर्थिक स्थिति सुधारने के लक्ष्य से गठित ये बैक खुद सरकार पर एक बडा आर्थिक बोझ बन गये है।

परिकल्पना की अभिपुष्टि

इस प्रकार विभिन्न अध्याओ के समग्र अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अपने उद्देश्यो को पूरा करने मे सफल रहे है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैको ने साहूकारो सहकारी बैक तथा अन्य व्यावसायिक बैको की कमियो को दूर किया है। ये बैक ग्रामीण बचतो को गतिशील बनाने मे भी सहायक हुए है तथा निष्क्रीय पूजी को वित्तविहीन क्षेत्रो मे विनियोग करने मे सहायता प्रदान की है तथा स्वत रोजगार के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की समस्याएँ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक ग्रामीण विकास मे अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहा है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है

1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा प्रदत्त ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर व्यावसायिक बैको द्वारा प्रदत्त ऋणो पर लिये जाने वाली ब्याज दर से अधिक है।

2 कृषि विस्तार ऐजेसियो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैको मे तालमेल का अभाव पाया जाता है।

3 भारतीय किसान गरीब व ऋणग्रस्त होने के कारण समय पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाते है जिससे ग्रामीण बैको को भी आर्थिक कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है।

4 ग्रामीण क्षेत्रो मे बैकिग सुविधाओ के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण इलाको मे अन्य व्यापारिक बैक भी अपनी शाखाए खोल रहे है जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को प्रतियोगिता करनी पड रही है।

5 भोली—भाली एव अशिक्षित ग्रामीण जनता और बैक के बीच अनेक विचौलिए है जो कि दलाली लेकर ऋण दिलाने का कार्य करते है।

6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए नाबार्ड की पुर्नवित्त सुविधा की नीति भी जिम्मेदार है। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी कार्यक्रमो तथा उन्हे लागू करने के लिए ऋण वितरण की प्रतिवद्धता के कारण ग्रामीण बैको की ऋण वसूली शून्य होती जा रही है।

7 ऋण वसूली कार्यक्रम राजनीति से प्रभावित होते है। यही कारण है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के अध्यक्ष एव निदेशक मण्डल द्वारा क्षेत्रीय समस्याओ के अनुरूप कोई उपयोगी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

8 इन ग्रामीण बैको मे प्राय ऐसे कर्मचारियो की नियुक्ति की गयी जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे तथा उन्हे ग्रामीण समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं होता है।

9 इन बैको की सबसे बडी समस्या आधार भूत ढॉचे की समस्या है। इन ग्रामीण बैको को ऐसे जगह अपनी शाखाए खोलनी पडती है जहा यातायात डाकतार तथा भवन जैसी सुविधाए नही होती।

10 प्राय ग्रामीण बैको द्वारा जिन उद्देश्यो से ऋण दिये जाते है ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा उनका प्रयोग उसी के लिए न करके अन्यत्र किया जाता है।

11 ग्रामीण बैको की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जटिल है। इसमे अनेक प्रकार की कागजी कार्यवाही करनी पडती है। जिससे ग्रामीण जनता ऋण लेने के लिए उत्साहित नहीं होते है।

12 कभी–कभी ऋण मिलने मे इतना विलम्ब हो जाता है कि वह कार्य करना सम्भव ही नही रह जाता जिसके लिए ऋण प्राप्त किया जाता है।

13 ग्रामीण बैक का कार्यभार उनके कर्मचारियो की सख्या के अनुपात मे बहुत अधिक बढ गया है। कई ग्रामीण बैक शाखाओ मे तो स्थिति की दयनीयता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमे केवल एक ही कर्मचारी है तथा सुरक्षा की कोई व्यवस्था नही है।

14 प्रारम्भ मे इन बैको के सचालन के लिए प्रतिनियुक्त प्रर्वतक बेको के अनुभव हीन अधिकारियो तथा ग्रामीण बैंको के अल्प प्रशिक्षित अधीनस्थो द्वारा कोष प्रबन्धन की खामियो के कारण इन्हे कोष का उचित लाभ नहीं मिल पाया।

15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको तथा उनकी शाखाओ के बेलगाम विस्तार के कारण ऋणो के आवेदन पत्रो की जाच ऋणों की स्वीकृत एव भुगतान ऋणो के भुगतान के पश्चात की कार्यवाही निगरानी

तथा ऋण की वापसी आदि के मामलो मे बैको की कार्यक्षमता के स्तर मे भारी गिरावट आयी है।

सुझाव

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। परन्तु यदि निम्न कारणो के प्रति सवेदनशील हो तो आर्थिक विकास को और गति प्रदान की जा सकती है जिसका प्रभाव जनपद जौनपुर के विकास पर भी होगा। इस दिशा मे प्रयास प्रारम्भ करने हेतु निम्न सुझाव है

1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का प्रबध व सचालन प्रशिक्षित निष्ठावान व वचनबद्ध व्यक्तियो द्वारा होनी चाहिए जिससे सस्थागत वित्त को सफल बनाया जा सके।

2 ग्रामीण बैको को भी व्यावसायिक बैको की तरह सभी प्रकार के बैकिग व्यवसाय मे शामिल होने की छूट होनी चाहिए।

3 ग्रामीण बैको से ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयो को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीणो की साहूकारो पर निर्भरता समाप्त हो सके।

4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा ऋण को ग्राम पचायत के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए। जिससे ग्रामीणो को दलालो से मुक्ति मिल सके।

5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को अपनी ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए।

6 इन ग्रामीण बैको को अपनी लागत घटाकर एव कार्यकुशलता बढाकर हानियो को कम करने का प्रायास करना चाहिए जिससे कि इनकी जीवन क्षमता बनी रह सके।

7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा लाभार्थियो को आवश्यकता पडने पर वित्तीय सेवाए प्रदान करना चाहिए एव समय समय पर उनकी समस्याओ का निदान करते रहना चाहिए जिससे कि बाद मे ऋण अदायगी मे कोई असुविधा न हो।

8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की शाखाओ को चाहिए कि जहा वे काम कर रहे है वहा पर अधिक से अधिक बचतो को अपनी ओर आकर्षित करे और यदि आवश्यक हो तो उन्हे पुरस्कार आदि प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था करे।

9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको द्वारा छोटे किसानो को ऋण देते समय जमानत देने मे अधिक जोर नहीं दिया जाए बल्कि इस बात का ध्यान रखा जाए की कृषको की ऋण चुकाने की क्षमता कैसी है।

10 ग्रामीण बैको की शाखा विस्तार कुछ ही क्षेत्रो/प्रान्तो मे केन्द्रित न करके सम्पूर्ण देश मे किया जाना चाहिए जिससे कि क्षेत्रीय असतुलन की समस्या को कम किया जा सके।

11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को ऋण सम्बन्धी नीति के सही निर्धारण एव सचालन मे अन्य वित्तीय अभिकरणो से जो कि इस क्षेत्र मे कार्यरत है समन्वय रखना चाहिए।

12 ग्रामीण बैक कर्मचारियो को लगन, निष्ठा एव ईमानदारी से कार्य करने के लिए उनकी वेतन विसगतियो, सुविधाओ एव प्रोन्नति सम्बन्धी समस्याओ का निदान करना चाहिए जिससे कि वे सही दिशा मे कार्य करे एव जनता मे ग्रामीण बैक की प्रतिष्ठा को बनाये रख सके।

13 वित्तीय समस्या के सम्बन्ध मे ग्रामीण बैको को रिजर्व बैक तथा अन्य प्रायोजक बैको से रियायती दरो पर आवश्यकतानुसार वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

14 ऋणो की वसूली की समस्या के निदान हेतु ग्रामीण बैको द्वारा ऋण केवल उत्पादक कार्यो के लिए ही दिये जाये और ऋणो के प्रयोग व वापसी पर कठोर नियत्रण होना चाहिए।

15 ग्रामीण बैको द्वारा कृषि ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दरे कम होनी चाहिए और किसानो के विभिन्न वर्गो के ऋण के लिए ब्याज की अलग–अलग दरे निर्धारित होनी चाहिए।

16 छोटे व सीमान्त किसानो और भूमिहीन श्रमिको के लिए अनुत्पादक ऋण भी आवश्यक है। इसलिए इस स्तर पर इस प्रकार ऋण सुविधाए ग्रामीण बैको द्वारा उपलबध करानी चाहिए ताकि लोगो को बन्धुआ मजदूर बनने से रोका जा सके।

17 कृषको कृषि श्रमिको सीमान्त कृषको एव दस्तकारो आदि से ग्रामीण बैको को सतत् सम्पर्क बनाये रखना चाहिए जिससे कि उन पर एक दबाव बना रहे कि उन्हे ग्रामीण बैको के ऋण वापसी भी करना है।

नीतिगत उपाय

केन्द्रीय बैक द्वारा ग्रामीण विकास के लिए निम्न बैंकिग नीतियॉ लागू की गयी है[1]

---

1 **स्रोत** भारतीय आर्थिक समीक्षा 1998–99 1999–2000

1 ऋण आवेदन फार्मो करारो/दस्तावेजो आदि के सम्बन्ध मे कार्य प्रणाली को सरल बनाना।

2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित कर सकते है कि ऋण प्राप्तकर्ता का स्वीकृत पूर्व मूल्याकन ऋण प्राप्तकर्ता के आय स्रोत प्रस्तावित गतिविधि को अजाम देने की उसकी क्षमता ईमानदारी आदि और प्रस्ताव के तकनीकी व्यवहार्यता आदि पर केन्द्रित होना चाहिए।

3 त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शाखा प्रबधको को शक्तियो का प्रत्यायोजन कम से कम 90 प्रतिशत ऋण आवेदनो का शाखा स्तर पर निपटान किया जाना चाहिए।

4 सभी ऋण लेने वाले परिवारो के लिए सम्मिश्रण नकदी ऋण सीमा का आरभ किया जाना चाहिए।

5 बचत सघटक के साथ नए ऋण उत्पाद का आरभ किया जाना चाहिए।

6 ऋण का नगद सवितरण किया जाना चाहिए।

7 जरूरी आवश्यकता के रूप मे अदेय प्रमाणपत्रो से छूट। अदेय प्रमाणपत्र प्राप्त करना अब बैकर के विशेषाधिकार पर छोड दिया गया है।

8 10,000 रु से अधिक के कृषि ऋणो के लिए मार्जिन प्रतिभूमि आवश्यकताओ से सम्बन्धित मामलो पर बैको को विवेकाधिकार प्रयोग करना चाहिए।

9 कृषि ऋण का लक्ष्य विशेष कृषि ऋण योजनाओ' (एस ए सी पी) को तैयार करने के जरिए ऋण के प्रवाह पर आधारित होना चाहिए जिसका उद्देश्य प्रवाह को तीव्र करना तथा ऋण अदायगी की गणुवत्ता मे उल्लेखनीय सुधार हो।

10 ग्रामीण शाखाओ के नियुक्त बैक अधिकारियो के सबध मे मानव ससाधन विकास सम्बन्धी अनेक मामलो का निराकरण करना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक को विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनना और बने रहना दुर्जेय कार्य है। समर्पण पूर्ण गभीरता समस्याओ के समाधान के प्रयास के बिना यह सम्भव नहीं है। भारत मे नियोजित ग्रामीण विकास नीति अपनाये जाने के कारण इनके विकास व विस्तार का महत्व और भी बढ जाता है। जिन उद्देश्यो व लक्ष्यो के लिए इन बैको की स्थापना की गयी है एव जिन तरीको व प्रक्रियाओ को अपनाया गया है वह उचित होते हुए भी उचित क्रियान्वयन के अभाव मे पूरे नही हो पा रहे है। क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत व निष्पक्ष बनाया जाये और साथ ही ग्रामीण जनता की मानसिकता मे परिवर्तन किया जाये तो सम्भव है कि ये बैक ग्रामीण इलाको का नक्शा ही बदल दे और भारतीय ग्राम व ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जाये।

इस समय सारी दुनिया जबरदस्त आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र मे नयी नीतिया और कार्यक्रम बनाये तथा चलाये जा रहे है। आर्थिक पुनर्गठन के इस दौर मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को भी अपने काम काज के तौर तरीको मे परिवर्तन करना होगा। उन्हे आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रद सस्थाओ के रूप मे अपने आप को स्थापित करना होगा। सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण साख प्रणाली मे सुधार के लिए पहल की है। अत आशा करनी चाहिए कि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की वर्तमान स्थिति मे बदलाव आयेगा और ये ग्रामीण विकास मे बेहतर योगदान दे सकेगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

लेखक	पुस्तक
कृपा शकर	उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र इलाहाबाद
डॉ चर्तुर्भुज ममोरिया एव एस सी जैन	भारतीय अर्थशास्त्र साहित्य भवन आगरा
डॉ जगदीश नारायण मिश्रा	भारतीय अर्थव्यवस्था किताब महल, इलाहाबाद
डॉ जयन्ती प्रसाद नौटियाल	' कृषितर ग्रामीण ऋण और बैको की भूमिका हिमालय प्रकाशन पब्लिक हाऊस मुम्बई
डी काक एम एच	केन्द्रीय बैकिग हिमालय प्रकाशन बम्बई
बी एस माथुर	भारत मे सहकारिता साहित्य भवन आगरा
एच सी शर्मा	बैको का विकास साहित्य भवन आगरा
एच सी शर्मा	भारत मे बैको का राष्ट्रीयकरण साहित्य भवन, आगरा
एच सी शर्मा	'मुद्रा बैकिग और राजस्व" साहित्य भवन, आगरा
एम एल गुप्ता	समाजशास्त्र साहित्य भवन आगरा
एम के राय	केन्द्रीय सहकारी बैंको का प्रबन्ध, साहित्य भवन आगरा

डॉ एमयल गुप्ता एव डॉ अनुपम अग्रवाल — उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन आजतक फरवरी 2000- साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा

एन सी जोशी — भारत मे बैकिग साहितय भवन आगरा

डॉ एस ए अन्सारी — स्नातको के लिए अधिकोषण तथा बीमा डॉ एस ए अन्सारी टी एन भार्गव एण्ड सस कटरा इलाहाबाद

यू के वाजपेयी — ग्रामीण अर्थशास्त्र साहित्य भवन लखनऊ

रुद्र प्रकाश एव सुन्दरम — 'भारतीय अर्थशास्त्र एस चान दिल्ली

श्याम लाल गौड — 'विकासमान बैकिग और ग्रामीण विकास हिमालय प्रकाशन बम्बई

श्याम कृष्ण पाण्डेय — क्षेत्रीय ग्रामीण बैक द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण अप्रकाशित शोध ग्रन्थ

कुसुम लता शर्मा — गढवाल मण्डल मे ग्रामीण वित्त का आलोचनात्मक अध्ययन — अप्रकाशित शोध ग्रन्थ

नरेन्द्र कुमार जैन — 'भारतीय आर्थिक सीमक्षा मोरी गेट दिल्ली

'भारत 2000' प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मत्रालय भारत सरकार

उत्तर प्रदेश 1999 सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

A H Elias
"Operational Problems of Rural Banking", Vora & Co Publishers, Bombay

A B Kal Kundrikar
RRB & Economic Development

A F W Plumper
"Central Banking in the Britis Divisions"

A G N Reddy
"Rural Dynamics Development" Chugh Publication, Allahabad

A P Srivastava
Role of Financial Institution in Economic Development - Unpublished Thesis

Ansari Mohd Salman
Working of the Regional Rural banks in Eastern Uttar Pradesh - Unpublished Thesis

B P Agrawal
"Commercial Banking in India after Nationalisation", Classical Publishing Compnay, New Delhi

B N Chaubey
"Principles and Practices of Cooperative Banking in India", Asia Publishing House

B M L Nigam
"Banking Low and Practice", Vani Educational Books, Ghagiabad

B M L Nigam	"Financial Analysis Techniques for Banking Division", Somaiya Publication Ltd , Bombay
B M L Nigam	"Banking and Economic Growth" Vora & Company, Bombay 1967
D M Nithanji	"Our Modern Banking and Monatary
G Rollin, Thomas	System" Bombay
H Oliver Horne	"A History of Savings Banks", Oxford University Press, London Take on Page no 104
H S Shylendra	Institutional Reforms and Rural Poor A case of Regional Rural Banks
L C Jain	"Indigenous Banking in India" Macillan, London
L Swaroop	Resource Mobilisationofr Economic Development in Uttar Pradesh - Unpublished, Thesis
M C bhandari	Report of the Committee on Restructiving of RRBs (Summary of Report)
M R Vyas	Evaluation and Management of RRBs

N D Kamble — "Poverty within Poverty", Sterling Publishers Pvt Ltd New Delhi

N Prabhu Singh — "Role of Divelement Banks in Planned Economy", Vikas Publshing House Ltd , Delhi

N K Thingalaya — "On Bankers and Economists" macmillan India Ltd , New Delhi

O R Krishnaswamy — "Fundamentals of Cooperation", New Delhi

O P Mathur — "Public Sector Banks in India's Economy" Sterling Pulishers Pvt Ltd , New Delhi

PB Trescott — "Money Banking and Economic Welfare"

PN Mehrotra — Role of Financial Institutions in Economic Development - Unpublished Thesis

R K Panda — "Agricultural Indebtedness and Institutional Finance" Chugh Publications, Allahabad

R K Pany — "Institutional Credit of Agriculture in India" Chugh Publications, Allahabad

R S Sayers — "Lloyds bank in the History of Monetry System"

S C Anand — Hand books on Reginal Rural Banks Allied Publishers Private Ltd , New Delhi

S K Datta — Service Conditions and Diseline code in RRBs

S S M Desai — "Rural banking in India" Himalaya Publishing House, Bombay

S L M Sinha — "Retorms of the India Banking System" Orient Longman Ltd , Madras, Take on Page no 105

Varde S D — "Management Studies in Banks", National Institute of Bank Management, Bombay

V Dutt — "Banks Nation Lisation in Perspective" Publications Division GOI, New Delhi

प्रतिवेदन एवं गजेटियर

गोमती ग्रामीण बैक वार्षिक प्रतिवेदन

जिला सहकारी बैक जौनपुर का वार्षिक प्रतिवदेन

बैकिग जॉच समिति 1950 का प्रतिवेदन

बैकिग समिति 1972 का प्रतिवेदन

साख्यिकीय डायरी भारत सरकार

अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान लखनऊ

बैकिग साख्यिकीय रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की साख्यिकीय नाबार्ड

रिर्पोट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स

रिजर्व ऑफ इण्डिया बुलेटिन

Uttar Pradesh Dıstrıct Gagetters - Jaunpur, 1986 Publıshed by the Government of Unttar Pradesh

Surrey of Indıa Agrıculture Hındu, 1999

Economıc Surrey, 1999

Draft Nınth Fıve Yers Plan (1997-2002) Vol -I & II

Statıstıcal out lıne of Indıa Tata Economıc Servıce 1998-1999

पत्र एवं पत्रिका

योजना

कुरुक्षेत्र

जनसत्ता

Business India

Commerce

The Bankers

Economic Times

Hindustan Times

Financial Express

हस्तलिखित पुस्तक

सामाजिक आर्थिक समीक्षा जनपद जौनपुर 1998-99, 1999, 2000 कार्यालय अर्थ एव साख्याधिकारी अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान उत्तर प्रदेश।

जौनपुर जिला वार्षिक योजना 1998-99, 1999-2000

अधिनियम

क्षेत्रीय ग्रामीण बैक अधिनियम 1976

भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम, 1934

उत्तर प्रदेश कृषि साख अधिनियम 1973

शोधकर्ता – विनोद कुमार पाण्डेय

शोध प्रश्नावली

(कृषि ऋण)

विषय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का योगदान–विशेष सदर्भ गोमती ग्रामीण बैक जनपद – जौनपुर।

नोट आपके द्वारा प्रदत्त सभी सूचनाए गोपनीय रखी जायेगी और उनका प्रयोग केवल शोध कार्य के लिए ही किया जायेगा।

1 नाम

2 जन्म–तिथि

3 पिता/पति का नाम

4 विकास खण्ड का नाम

5 पता (क) स्थायी –

स्थानीय –

6 (क) जाति

(ख) वर्ग (अ) सामान्य जाति (ब) पिछडी जाति

(स) अनुसूचित जाति (द) अनुसूचित जनजाति

7 परिवार के मुखिया का नाम

8 मासिक आय

9 परिवार के सदस्यो की सख्या

(अ) वयस्क

(ब) अवयस्क

(स) कुल

10 मुख्य व्यवसाय

11 जोत का विवरण

(अ) स्वामित्व की भूमि –

(ब) पटटे अथवा किरायेदारी की भूमि –

(स) बटाई की भूमि –

12 कृषि मे लगे व्यक्तियो की कुल सख्या

13 कृषि मे लगी पूजी

(अ) स्वामी पूजी

(ब) ऋण पूजी

14 ऋण पूजी प्राप्ति के स्रोत

स्रोत	मात्रा	ब्याज की दर	वापसी अवधि	वापसी किस्त
1 सहकारी समिति				
2 भूमि विकास बैक				
3 गोमती ग्रामीण बैक (क्षे ग्रा बैक)				
4 अन्य व्यवसायिक बैक				
5 अन्य ऋणदाता (साहूकार)				

15 ऋण प्राप्ति के उद्देश्य — अनुमानित मूल्य

(अ) जुताई के काम वाले पशु –

(ब) दुधारू पशु –

(स) तेल/इजन/पम्पिगसेट/बिजली मोटर –

(द) अन्य औजार –

(य) बिजली चालित यत्र –

(र) परिवहन गाडिया –

(ल) अन्य –

16 ऋण प्राप्त करने मे कठिनाइयॉ –

1

2

3

4

17 ऋण प्राप्त करने मे कठिनाइयो को दूर करने के उपाय –

1

2

3

4

18 क्या गोमती ग्रामीण बैक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) ने ग्रामो विकास मे योगदान दिया है –

(अ) विचार –

(ब) सुझाव –

शोधकर्ता – विनोद कुमार पाण्डेय

शोध प्रश्नावली

(गैर कृषि ऋण)

विषय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का योगदान–विशेष सदर्भ गोमती ग्रामीण बैक जनपद – जौनपुर।

नोट आपके द्वारा प्रदत्त सभी सूचनाए गोपनीय रखी जायेगी और उनका प्रयोग केवल शोध कार्य के लिए ही किया जायेगा।

1 नाम

2 जन्म–तिथि

3 पिता/पति का नाम

4 विकास खण्ड का नाम

5 पता (क) स्थायी –

स्थानीय –

6 (क) जाति

(ख) वर्ग (अ) सामान्य जाति (ब) पिछडी जाति

(स) अनुसूचित जाति (द) अनुसूचित जनजाति

7 परिवार के मुखिया का नाम

8 मासिक आय

9 परिवार के सदस्यो की सख्या

(अ) वयस्क

(ब) अवयस्क

(स) कुल

10 मुख्य व्यवसाय

11 व्यवसाय मे लगे व्यक्तिये की सख्या

(अ) शिक्षित –

(ब) अशिक्षित –

(स) प्रशिक्षित –

(द) योग –

12 व्यावसाय प्रारम्भ करने की तिथि

13 व्यवसाय मे लगी पूजी –

(अ) स्वामित्व पूजी

(ब) ऋण पूजी

14 ऋण प्राप्ति के स्रोत

स्रोत	मात्रा	ब्याज की दर	वापसी अवधि	वापसी किस्त
1 गोमती ग्रामीण बैक (क्षे ग्रा बैक)				
2 अन्य व्यवसायिक बैक				
3 औद्योगिक बैक				
4 मित्रो सम्बन्धियो से				
5 व्यापारिक उधार				
5 अन्य देनदारिया				

15 ऋण प्राप्ति के उद्देश्य

(अ) स्थायी सम्पत्ति –

(ब) कार्यशील सम्पत्ति –

(स) लेनदारो के भुगतान के लिए –

16 ऋण प्राप्त करने मे कठिनाइयो –

1

2

3

4

17 ऋण प्राप्त करने मे कठिनाइयो को दूर करने के उपाय –

1

2

3

4

18 क्या गोमती ग्रामीण बैक ने औद्योगिक विकास मे योगदान दिया है –

(अ) विचार –

(ब) सुझाव –